[2020] 6 एस. सी. आर. 1050

निदेशक सामान्य (सड़क विकास)

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण

वी.

ए. ए. एम. ए. ए. डी. एम. आई. लोकमान्च और ओ. आर. एस.

(2015 की सिविल अपील संख्या 6932)

14 जुलाई, 2020

[आर. एफ. नरीमन, एस. रवींद्र भाट और

वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010। 14 , 15 , 17 और अनुसूची पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986-का अधिकार क्षेत्र

एनजीटी-पीड़ित अपनी छोटी बेटी के साथ राजमार्ग पर कार चला रही थी-एक ओवर माइनिंग के परिणामस्वरूप एक छोटी सी पहाड़ी नष्ट हो गई

राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे-परिणामस्वरूप मलबा और पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया और सड़क पर गिर गया, जिससे पीड़ित और उसकी बेटी की जान चली गई-एनजीटी ने एक संयुक्त आदेश लागू किया

एनएचएआई और पहाड़ी की कटाई करने वाले व्यक्तियों पर पर्यावरणीय क्षति करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना-इसके अलावा, उन्हें संयुक्त रूप से और अलग-अलग रुपये की राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया। 15 के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के लिए लाख

मृतक और उसकी बेटी-साथ ही, रुपये की राशि। 10 पर्यावरण को हुए नुकसान को बहाल करने के लिए पेड़ों के रोपण के लिए लाखों रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था-यह तर्क दिया गया था कि एनजीटी के पास निर्देश जारी करने के साथ-साथ मुआवजे का आदेश देने के संबंध में संकीर्ण और सीमित अधिकार क्षेत्र है-आयोजितः एस. एस. का एक संयुक्त पठन। 14 , 15 , और अनुसूचियाँ किसी को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करेंगी कि एन. जी. टी. के पास निपटने, निर्णय लेने और कहीं भी करने के लिए अधिकार क्षेत्र है।

प्रदूषण या खतरों आदि के संपर्क में आने के कारण) पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी अधिनियम के उल्लंघन का परिणाम है। हालाँकि, एस की व्यापक भाषा। 15 (4) न्यायाधिकरण (एन. जी. टी.) को "सार्वजनिक स्वास्थ्य, संपत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए" मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने में सक्षम बनाता है-यह

व्याख्या एस के पढ़ने से होती है। 17 (2) मुआवजे के भुगतान के लिए दायित्व के विभाजन के संबंध में

एसएस। 15 (1) (ख) और 15 (1) (ग), एनजीटी के पास निर्देश देने की शक्ति है।

1050 निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च

और "क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली और ऐसे क्षेत्र के लिए पर्यावरण की बहाली के लिए प्रावधान करता है जिसे न्यायाधिकरण उचित समझे" इसके अलावा, धारा 17 (1) पहली अनुसूची के अधिनियमों को संदर्भित करता है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट या किसी संपत्ति को नुकसान की बात की गई है या

पर्यावरण "जो अनुसूची I में किसी दुर्घटना या किसी अधिनियम के तहत किसी गतिविधि या संचालन या प्रक्रिया के प्रतिकूल प्रभाव के परिणामस्वरूप हुआ है"-एक अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 है-छोटे खनिज निष्कर्षण के लिए भी पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है जहां संचालन का क्षेत्र 5 हेक्टेयर से कम है तत्काल मामले में, ईपीए का उल्लंघन हुआ था, क्योंकि खनन पट्टा 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करता था-वहाँ है

यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि प्रासंगिक मंजूरी प्राप्त की गई थी इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्य उल्लंघन का खुलासा करते हैं ई. पी. ए.-इसका मतलब है कि एन. जी. टी. का अधिकार क्षेत्र यू/एस है। 15 (1) (ए) और एस। 17 विवादित नहीं किया जा सकता है और एनजीटी ने सही ढंग से अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया है,

मामले के तथ्यों में दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986-राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956-राष्ट्रीय राजमार्ग

भारतीय प्राधिकरण अधिनियम, 1988-एक अति-खनन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी नष्ट हो गई जिसके परिणामस्वरूप मलबा और पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया और सड़क पर गिर गया, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी की जान चली गई-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने मृत्यु और नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। एक सांविधिक निगम या स्थानीय प्राधिकरण को निरीक्षण करने में चूक या दोषपूर्ण के कारण हुई चोट के लिए यातना में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसकी गतिविधियों का पर्यवेक्षण किसी अन्य एजेंसी को अनुबंधित किया गया-तत्काल मामले में, एस. एस. के आधार पर एन. एच. ए. आई. पर लगाए गए कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए। 4 और राजमार्ग अधिनियम आर/डब्ल्यू का 5। एस. 16 एनएचएआई अधिनियम के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एनएचएआई इसके लिए जिम्मेदार था

दुर्घटना हुई-उप-मंडल अधिकारी की रिपोर्ट में कमियों पर प्रकाश डाला गया, साथ ही व्यक्ति के साथ एनएचएआई का पत्राचार भी। पहाड़ियों को काटकर छोटे खनिजों का निष्कर्षण करने से पता चलता है कि अधिकारी मानव जीवन के लिए खतरे और संभावना से अवगत थे-उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने में एनएचएआई की विफलता और इसी तरह खनिज निष्कर्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा दुर्घटना को रोकने के लिए उपाय करने में विफलता, प्रथम दृष्टया उनके दायित्व का खुलासा करती है-इसलिए, एनजीटी द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देश, एनएचएआई [2020] 6 एस. सी. आर. बनाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि कोई विकास नहीं हुआ है। और निर्माण 'सबसे निचली ढलान यानी इसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर किसी भी पहाड़ी के साथ-साथ पहाड़ी की चोटियों' के 100 फीट के भीतर किया जाना चाहिए। ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मंत्री टेक्नोज़ प्राइवेट। लिमिटेड मामला, हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर मामला और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मामला सभी से पता चलता है कि एनजीटी ने नियुक्ति का सहारा लिया था

संबंधित क्षेत्र के तकनीकी और वैज्ञानिक विशेषज्ञों, जिन्होंने इस मुद्दे का अध्ययन किया, स्थल का निरीक्षण किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की-ऐसी रिपोर्टें

एनजीटी के समक्ष पक्षों द्वारा चर्चा की गई थी, जिन्हें आपत्ति करने या बनाने का अवसर भी दिया गया था

ऐसी रिपोर्टों के खिलाफ अभ्यावेदन-इन सभी सामग्रियों पर अंतिम विचार करने और उसके समक्ष पक्षों की प्रस्तुतियों के आधार पर, एनजीटी निर्देश जारी करने के लिए आगे बढ़ा-हालांकि, तत्काल मामले में, एनजीटी के पास जो था वह एस. डी. एम. की रिपोर्ट और घटना की प्रकृति के बारे में कमीशन की गई रिपोर्ट थी-इन सीमित जानकारी के आधार पर, बिना किसी तर्क के और बिना किसी वैज्ञानिक या तकनीकी साक्ष्य या विशेषज्ञों की राय के, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि विकास और निर्माण 100 के भीतर नहीं किया जाना चाहिए।

'सबसे निचली ढलान यानी इसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर किसी भी पहाड़ी के साथ-साथ पहाड़ी की चोटियों का झुकाव'-इसके परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश अनुचित और प्रक्रियात्मक रूप से अक्षम्य थे-इसलिए, उक्त

दिशाएँ अलग रखी जाती हैं।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986-महाराष्ट्र राज्य का आदेश/अधिसूचना दिनांक 14.11.2017, यू/एस द्वारा जारी किया गया। 154 महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की वैधता - महाराष्ट्र राज्य ने ऐसी कोई सामग्री या फाइल नहीं दिखाई है जिसमें

14.11.2017 के निर्देश के पीछे के कारण-ये निर्देश एन. जी. टी. के निर्देशों के परिणामस्वरूप और पूरी तरह से आधारित थे -

सबसे निचली ढलान के 100 फीट के भीतर कोई विकास और निर्माण नहीं करने के संबंध में एनजीटी के निर्देश, यानी इसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर किसी भी पहाड़ी के साथ-साथ पहाड़ी की चोटियों का झुकाव, किसी भी वैज्ञानिक आधार पर नहीं थे

किसी भी तकनीकी विशेषज्ञ का साक्ष्य या रिपोर्ट-विवादित निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च

अधिसूचना में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि 'पहाड़ियों' का गठन क्या है-यह निर्देशों को न केवल अस्पष्ट बनाता है, बल्कि उन्हें मनमाना भी बनाता है क्योंकि उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा अपनी इच्छानुसार लागू किया जा सकता है-अधिसूचना में ये निर्देश, केवल किसी भी आवेदन की कमी को रेखांकित करते हैं - राज्य की ओर से ध्यान दें-परिणामस्वरूप अधिसूचना यू/एस के तहत जारी किए गए निर्देश। 154 (दिनांकित 14.11.2017) को रद्द कर दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः एन. जी. टी. का अधिकार क्षेत्र 1. धारा 14,15 और अनुसूचियों का एक संयुक्त पठन

और जहाँ भी आवश्यकता हो, भुगतान जैसे प्रत्यक्ष उपाय क्षतिपूर्ति, या उन मामलों में प्रतिस्थापन निर्देश दें जहां

उल्लंघन (यानी प्रदूषण या संपर्क के कारण होने वाला नुकसान)

खतरे आदि) पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी अधिनियम के उल्लंघन का परिणाम हैं। फिर भी, उस व्याख्या, की राय में

यह अदालत, वारंट नहीं है। [पैरा 36] [1085-डी-ई] 2. धारा 15 (4) में अनुसूची II का संदर्भ केवल उन घटनाओं के रूप में नहीं है जो नुकसान के संबंध में कार्रवाई योग्य हैं।

किसी भी अधिनियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले कार्य

अनुसूची I के तहत उस प्रावधान की व्यापक भाषा सक्षम बनाती है

न्यायाधिकरण (एन. जी. टी.) अन्य बातों के साथ-साथ मुआवजे के भुगतान का निर्देश देता है,

" सार्वजनिक स्वास्थ्य, संपत्ति के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, और

पर्यावरण "। इस व्याख्या को पढ़ने से पता चलता है भुगतान के लिए दायित्व के विभाजन के संबंध में धारा 17 (2)

मुआवजे के लिए। [पैरा 37] [1085-एफ]

3. यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि

धारा 15 (1) (बी) और 15 (1) (सी), एनजीटी के पास निर्देश देने और "क्षतिग्रस्त और क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली" का प्रावधान करने की शक्ति है।

ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की बहाली के लिए जो न्यायाधिकरण उचित समझे। यह उल्लेखनीय है कि धारा 15 (1) (बी) और (सी) को अधिनियम की अनुसूची I अधिनियमों से संबंधित नहीं बनाया गया

है। हालांकि धारा 15 (1) (ए) के तहत मुआवजे का निर्देश पहले के तहत निर्दिष्ट अधिनियमों के उल्लंघन से संबंधित है।

अनुसूची, धारा 17 के तहत शक्ति व्यापक रूप से डाली गई प्रतीत होती है। [पैरा 43] [1089-एफ] [2020] 6 एस. सी. आर.

4. धारा 17 (1) पहली अनुसूची के अधिनियमों को संदर्भित करती है; यह किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट या किसी संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान के बारे में बात करती है जो "किसी दुर्घटना या नुकसान के परिणामस्वरूप हुई है। अनुसूची I में किसी अधिनियम के तहत किसी गतिविधि या संचालन या प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (ईपीए)। [पैरा 44] [1089-जी-एच]

5. सरकार द्वारा प्रकाशित 14.08.2018 दिनांकित अधिसूचना के आधार पर, पर्यावरण मंजूरी भी आवश्यक है।

लघु खनिज निष्कर्षण जहां संचालन का क्षेत्र 5 हेक्टेयर से कम है; उस अधिसूचना के परिशिष्ट 11 के तहत प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है। स्पष्ट रूप से, इसलिए, छोटे खनिजों के खनन का भी, जब बड़े पैमाने पर सहारा लिया जाता है (यानी, जहां कुछ से अधिक पट्टे या परमिट दिए जाते हैं), तो पर्यावरण पर संभावित प्रभाव पड़ता है। इस मामले के तथ्यों में, राज्य ने आसपास के क्षेत्र में कम से कम 62 छोटे खनिज परमिट दिए थे। अनधिकृत गतिविधि (अन्य बातों के साथ-साथ, अधिक खनन और मलबे के ढेर के रूप में) के परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया गया था। स्पष्ट रूप से, वर्तमान मामले में ई. पी. ए. का उल्लंघन किया गया था, क्योंकि खनिज निष्कर्षण करने वाला व्यक्ति अर्थात पाँचवें प्रतिवादी का

खनन पट्टे में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र शामिल था; यह 2006 की नियामक अधिसूचना के अंतर्गत आता है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि प्रासंगिक मंजूरी पांचवें प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई थी। स्पष्ट रूप से, इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों ने ई. पी. ए. के उल्लंघन का खुलासा किया-एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध एक अधिनियम। इसका मतलब था कि धारा 15 (1) (ए) और धारा 17 के तहत एनजीटी के अधिकार क्षेत्र को विवादित नहीं किया जा सकता था। [पैरा 50] [1096-एफ

जी; 1097-ए-बी]

6. ई. पी. ए. प्रभावी रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण विधायी नीति का प्रतिपादन करता है। यह कथन और जोर को प्रदूषण नियंत्रण की एक संकीर्ण अवधारणा से पर्यावरण संरक्षण के एक व्यापक पहलू में बदल देता है। पर्यावरण की विस्तृत परिभाषा जिसमें जल, वायु और भूमि शामिल हैं "और जल, वायु और भूमि, अन्य मानव जीवों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच और उनके बीच मौजूद अंतर्संबंध" केंद्र सरकार को प्रदत्त व्यापक शक्तियों का संकेत। पर्यावरण संबंधी कानूनों पर एक व्यापक जाल डाला जाता है।

ई. पी. ए. केंद्र सरकार को निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी अधिकार देता है। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च

औद्योगिक और संबंधित गतिविधियों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को व्यापक रूप से नियंत्रित करना। इन कारणों से और उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि एनजीटी ने इस मामले के तथ्यों में दुर्घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया। [पैरा 51] [1097-डी-एफ]

क्या मृत्यु के लिए मुआवजे का भुगतान करने और क्षतिपूर्ति के लिए नुकसान का निर्देश उचित था?

7. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 4 और 5 के आधार पर एनएचएआई पर लगाए गए शुल्क को ध्यान में रखते हुए

एनएचएआई अधिनियम की धारा 16 में संदेह का कोई तरीका नहीं हो सकता है।

कि एनएचएआई राजमार्ग के रखरखाव के लिए जिम्मेदार था, जिसमें वह खंड भी शामिल था जिस पर दुर्घटना हुई थी। द.

उप-मंडल अधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निरीक्षण रिपोर्ट एनएचएआई को घटना से कुछ समय पहले प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कमियों को उजागर किया गया था; साथ ही, एनएचएआई के पांचवें प्रतिवादी और स्थानीय प्रशासन के साथ पत्राचार से पता चलता है कि वह मानव जीवन के लिए खतरे और संभावना से अवगत था, और उस घटना की पूर्वानुमेयता जो वास्तव में बाद में हुई थी। इसके अलावा, स्थानीय प्रशासन और एनएचएआई द्वारा संबोधित पत्र

पाँचवाँ प्रत्यर्थी इसी तरह दिखाता है कि उपचारात्मक कार्रवाई करना उसका दायित्व था। उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने में एनएचएआई की विफलता, और इसी तरह दुर्घटना को रोकने के लिए उपाय करने में पांचवें प्रतिवादी की विफलता, प्रथम दृष्टया, उनके दायित्व का खुलासा करती है। [पैरा 65] [1110-जी-एच; 1111-ए-बी] 8. धारा 18 (1) का स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल किए बिना एक आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिक से अधिक, न्यायाधिकरण को सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल करना पड़ता है। वर्तमान मामले में,

उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। हालांकि, कानूनी उत्तराधिकारियों ने एक मुकदमा दायर किया है। न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि संबंधित न्यायालय को उस मुकदमे को पुनर्जीवित करने और सुनवाई जारी रखने का निर्देश जारी किया जाता है। मुआवजे के भुगतान की दिशा में एन. जी. टी. द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों को प्रथम दृष्टया निर्धारण का संकेत माना जाना चाहिए। नतीजतन, एनएचएआई और पांचवें प्रतिवादी को संयुक्त रूप से 15 लाख का भुगतान करने का निर्देश देना उचित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दीवानी मुकदमा अब आगे बढ़ेगा, और साक्ष्य के आधार पर, अदालत अंततः दायित्व के मुद्दे का फैसला करेगी, और [2020] 6 एस. सी. आर. को विभाजित करने के लिए इस संबंध में ऐसे और परिणामी आदेश या फरमान जारी करेगी जो आवश्यक पाए जा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एनएचएआई, पाँचवें प्रत्यर्थी, राज्य या किसी अन्य पक्ष (रियायत प्राप्तकर्ता सहित) के दायित्व का। इस अदालत के आदेश को निर्णायक नहीं माना जाएगा; निचली अदालत स्वतंत्र रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन करने और पक्षकारों को उनकी प्रस्तुतियों के गुण-दोष पर सुनने के लिए आगे बढ़ेगी। एन. जी. टी. द्वारा पुनर्स्थापना आदेश, पांचवें प्रतिवादी और एन. एच. ए. आई. द्वारा भी 10 लाख का भुगतान करने का निर्देश,

इस अदालत की राय में, इसे दोषी नहीं पाया जा सकता है। इसे बरकरार रखा जाता है। एनएचएआई और पाँचवाँ प्रतिवादी निर्देशों का पालन करेंगे।

9. एनजीटी के आदेश के पैरा 17 (ई) में निहित सामान्य निर्देशों की शुद्धता के सवाल के बगल में, इस अदालत को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के निर्देश अनुचित थे और इस मामले के तथ्यों में उचित नहीं थे। एन. जी. टी. के सामने जो था, वह एस. डी. एम. की रिपोर्ट और एक रिपोर्ट थी। घटना की प्रकृति के बारे में सूचित किया गया। इन सीमित सूचनाओं के आधार पर, न्यायाधिकरण ने बिना किसी तर्क के और बिना किसी वैज्ञानिक या तकनीकी साक्ष्य या विशेषज्ञों की राय के निष्कर्ष निकाला कि विकास और निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

सबसे निचली ढलान यानी इसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर किसी भी पहाड़ी के साथ-साथ पहाड़ी की चोटी के 100 फीट के भीतर। ऑल डिमासा छात्र संघ मामले सहित इस अदालत के फैसले; मंत्री टेक्नोज़

प्रा. लिमिटेड मामला; हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर मामला; और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मामला सभी से पता चलता है कि एनजीटी ने संबंधित क्षेत्र में तकनीकी और वैज्ञानिक विशेषज्ञों की नियुक्ति का सहारा लिया, जिन्होंने इस मुद्दे का अध्ययन किया, स्थल का निरीक्षण किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस तरह की रिपोर्टों पर एनजीटी के समक्ष पक्षों द्वारा चर्चा की गई थी, जिन्हें ऐसी रिपोर्टों पर आपत्ति करने या उनके खिलाफ अभ्यावेदन करने का अवसर भी दिया गया था। इन सभी सामग्रियों और निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतिम विचार के आधार पर।

भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च

इसके समक्ष पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ, एनजीटी निर्देश जारी करने के लिए आगे बढ़ा। वर्तमान मामले में एनजीटी द्वारा इस प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उक्त न्यायाधिकरण के निर्देश अनुचित थे और प्रक्रियात्मक रूप से अक्षम्य हैं। इसलिए पैरा 17 (ई) में निहित निर्देशों को अलग रखा गया है। [पैरा 76] [1118-जी-एच; 1119-ए-सी]

10. वर्तमान मामले में, महाराष्ट्र राज्य ने इसके पीछे के कारणों वाली कोई सामग्री या फाइल नहीं दिखाई है।

14.11.2017 का निर्देश। यह विवाद में नहीं है कि यह निर्देश एन. जी. टी. के निर्देशों के परिणामस्वरूप और पूरी तरह से आधारित था।

पैरा 17 (ई) में। जैसा कि पहले देखा गया है, वे निर्देश किसी भी वैज्ञानिक साक्ष्य या किसी तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर आधारित नहीं थे। इसके अलावा, विवादित अधिसूचना में भी यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि "पहाड़ियों" का गठन क्या है, और उन्हें लहरदार क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में स्थित कस्बों और समुदायों में कैसे लागू किया जा सकता है। यह न केवल अस्पष्ट है, बल्कि निर्देशों को मनमाना बनाता है क्योंकि उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा अपनी इच्छानुसार लागू किया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी क्षेत्रीय और विकास योजनाओं में व्यापक बदलाव के बराबर हैं। हालांकि इस तरह के निर्देश जारी किए जा सकते हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां आवश्यक हैं, जैसे कि असाधारण या आकस्मिक परिस्थितियों में, किसी भी कारण का पूर्ण अभाव कि राज्य ने उन्हें क्यों जारी किया, किसी भी सहायक विशेषज्ञ रिपोर्ट या इनपुट की कमी के साथ, इसे एक मनमाना अभ्यास बनाता है। यह कि वे केवल एन. जी. टी. के आदेशों पर आधारित हैं, केवल उन्हें जारी करते समय राज्य की ओर से किसी भी तरह के विवेक की कमी को रेखांकित करता है। [पैरा 90] [1130-ई-जी]

(प्रा.) लिमिटेड वी. भारत संघ और अन्य। (2011) 7 एससीसी 338: [2011] 7 एस. सी. आर. 954; मेघालय राज्य और अन्य। वी. ऑल दिमासा स्टूडेंट यूनियन, दीमा-हसाओ जिला समिति और अन्य। (2019) 8 एससीसी 177: [2019] 8 एस. सी. आर. 297; मंत्री टेक्नोज़ प्रा. लिमिटेड बनाम फॉरवर्ड फाउंडेशन (2019) 18 एससीसी 494; एम. सी मेहता बनाम भारत संघ (2004) 12 एससीसी 118: [2004] 3 एससीआर 126; दीपक कुमार बनाम। हरियाणा राज्य (2012) 4 एससीसी 629: [2012] 4 एस. सी. आर. 819; नगर निगम। दिल्ली बनाम। सुशीला देवी (1999) 4 एससीसी 317: [1999] 2 एससीआर 1198; पीटीसी इंडिया बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2010) 4 एस. सी. सी. 603:

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2010] 3 एस. सी. आर. 609; टी. विजयलक्ष्मी बनाम नगर नियोजन

(2004) 10 एस. सी. सी. 796 [2004] 2 पूरक। एससीआर 207; माचवरपु श्रीनिवास राव बनाम। विजयवाड़ा, गुंटूर,

तेनाली, मंगलगिरी शहरी विकास प्राधिकरण

(2011) 12 एससीसी 154: [2011] 12 एस. सी. आर. 239; एम. आई. जी. क्रिकेट क्लब वी. अभिनव सहकार एजुकेशन सोसाइटी (2011) 9

एस. सी. सी. 97 [2011] 11 एस. सी. आर. 141; सीताराम शुगर मिल्स

कंपनी वी। भारत संघ (1990) 3 एससीसी 223: [1990]

1 एस. सी. आर. 909; सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन बनाम। दूरसंचार

भारतीय नियामक प्राधिकरण (2016) 7 एससीसी 703: [2016]

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (1) लिमिटेड और ओआरएस। (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 221; हनुमान

लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत संघ (2019) 15 एससीसी

401 [2019] 5 एस. सी. आर. 916; हिच लाल तिवारी बनाम। कमला

देवी (2001) 6 एससीसी 496: [2001] 1 पूरक। एससीआर 23;

जितेंद्र सिंह बनाम। पर्यावरण और अन्य मंत्रालय (2019)

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1510; राजकोट नगर निगम। वी.

मंजुलबेन जयंतीलाल नकुम (1997) 9 एससीसी 552:

[1997] 1 एस. सी. आर. 304; वडोदरा नगर निगम

वी. पुरुषोत्तम वी. मुरंजी (2014) 16 एससीसी 14: [2014] 7

एस. सी. आर. 810 संदर्भित है।

ग्रिफिथ्स बनाम में डिप्लॉक एल. जे. लिवरपूल निगम [1967]

1 क्यू. बी. 374; बर्नसाइड वी। इमर्सन [1968] 1 डब्ल्यू. एल. आर.

1490 ; हेडन वी. केंट काउंटी काउंसिल [1978] क्यू. बी. 343;

स्टोविन बनाम वाइज (1996) 3 ऑल ई. आर. 801; गोरिंज बनाम।

काल्डरडेल मेट्रोपॉलिटन बरो काउंसिल (2004) 1

डब्ल्यूएलआर 1057; रॉबिन्सन बनाम। पश्चिम के मुख्य सिपाही

यॉर्कशायर पुलिस (2019) 2 सभी ई. आर. 1041; येटकिन बनाम।

महमूद 2011 क्यू. बी. 827; प्रतिभूति विनिमय

आयोग v. चेनरी कार्पोरेशन। 332 संयुक्त राज्य अमेरिका 194 (1947)

-

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

9) 18 एससीसी 494

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

पी] 5 एस. सी. आर. 916

पैरा 29

निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को संदर्भित किया गया। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च

(2019) 18 एससीसी 494

उस पर भरोसा करें

पैरा

30

[2001] 1 पूरक। एससीआर 23

पैरा

38

संदर्भित किया गया है

[1981] 2 एससीआर 742

उस पर भरोसा करें

पैरा

38

[2011] 7 एससीआर 954

उस पर भरोसा करें

पैरा

40

[2019] 8 एससीआर 297

उस पर भरोसा करें

पैरा

41

[2004] 3 एससीआर 126

उस पर भरोसा करें

पैरा

46

[2012] 4 एससीआर 819

उस पर भरोसा करें

पैरा

49

[1997] 1 एससीआर 304

पैरा

57

संदर्भित किया गया है

[1999] 2 एससीआर 1198

उस पर भरोसा करें

पैरा

63

[2014] 7 एससीआर 810

संदर्भित किया गया है

पैरा

63

[2010] 3 एससीआर 609

उस पर भरोसा करें

पैरा

74

[2006] 7 पूरक। एससीआर 534

उस पर भरोसा करें

पैरा

80

[2004] 2 पूरक। एससीआर 207

उस पर भरोसा करें

पैरा

81

[2011] 12 एस. सी. आर. 239

उस पर भरोसा करें

पैरा

82

[2011] 11 एससीआर 141

उस पर भरोसा करें

पैरा

83

[1990] 1 एससीआर 909

उस पर भरोसा करें

पैरा

88

[2016] 9 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा

89

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6932

2015 से।

राष्ट्रीय संविधान के 19.05.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 के आवेदन सं. 04 में हरित न्यायाधिकरण, (पश्चिमी क्षेत्र), पीठ, पुणे।

के साथ

2019 की सिविल अपील Nos.5971,2018 की 4379,2020 की 2741,6862

2018 का 2742,2020 का 11803,2020 का 2743,2744।

पी. एस. नरसिम्हा, श्याम दीवान, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

सुश्री नीतिका शर्मा, ध्रुव नायर, सुश्री आदती तिर्पेदी, मेसर्स। एम. वी. किनी एंड एसोसिएट्स, कुणाल चीमा, विलास गिरि, सुश्री अदिति पारखी, अभिमन्यु भंडारी, सुश्री रूहिना दुआ, चैतन्य मदान, नवीन कुमार, सौरव कृपाल, अंकुर सहगल, महेश अग्रवाल, अंशुमन श्रीवास्तव, अनिरुद्ध [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाटिया, ऋषि अग्रवाल, सुश्री आयुषी अमोद, शिशिर एस. दिवतिया, सुश्री आशना अग्रवाल, ई. सी. अग्रवाल, विजय कुमार वर्मा, माता डी. सागर, तरुण वर्मा, अमोल चितले, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, सुश्री शिल्पा चौहान, जितेंद्र चौधरी, शौहिक सिद्दीकी, राजेश सिंह, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, सचिन पाटिल, भक्ति वर्धन सिंह, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सुश्री भारती त्यागी, अरविंद एस. अवध, कर्री।

वेंकट रेड्डी, सुश्री अपर्णा झा, वी. एन. रघुपति, मनेन्द्र पाल गुप्ता, वी. के. वर्मा, राजेश कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

उत्तरदाता-व्यक्तिगत रूप से

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. एस. एल. पी. (सी) संख्या में दी गई छुट्टी। 28178/2018 , 1706/2019 , 2018 की डायरी संख्या 19018 और 2019 की 1632। वकील की सहमति से

पक्षकारों, उन्हें साथी नागरिक अपीलों के साथ टैग किया गया और अंत में सुना गया।

2. 6 जून, 2013 को जब सुश्री विशाखा वाडेकर अपनी छोटी बेटी संस्कृति वाडेकर के साथ अपनी कार चला रही थीं, उन्हें इसका कोई आभास नहीं था

वह खतरा राजमार्ग के कोने में छिपा हुआ था; गट नं. 112 में 75 x 30 फुट की ऊँचाई पर खनन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी नष्ट हो गई। परिणामस्वरूप मलबा और पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया और सड़क पर गिर गया, जिससे लोगों की जान चली गई।

सुश्री विशाखा और उनकी बेटी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की पुणे पीठ द्वारा एक पंजीकृत व्यक्ति के आवेदन पर दिए गए निर्देश

संगठन, (अपील में प्रतिवादी, आम आदमी लोकमंछ, इसके बाद "लोकमंछ") अपीलों का विषय है (एनएचएआई द्वारा सीए 6932/2015; सीए 5971/2019; सीए 11803/2018 और सीए 6862/2018)

इस अदालत के सामने। विशेष अनुमति द्वारा अन्य अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों और आदेशों पर सवाल उठाती हैं, जिसने एनजीटी के आदेश के अनुसार बनाए गए नियमों को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत रिट याचिकाओं में उन विनियमों को चुनौती देने को नकार दिया।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारत (इसके बाद "एनएचएआई") ने मेसर्स पी. एस. टोल रोड (प्रा. लि.) के साथ एक समझौता किया था। लिमिटेड, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक इकाई/उपक्रम (जिसे नौवें प्रतिवादी के रूप में वर्गीकृत किया गया है; पीएस टोल रोड (प्रा.) राष्ट्रीय निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के

पुणे-सतारा खंड के रखरखाव और संचालन के लिए 10.03.2010 पर लिमिटेड को इसके बाद "रियायत प्राप्तकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

140 कि. मी. की सीमा तक राजमार्ग संख्या 4। समझौते के दायरे में परियोजना का निर्माण (यानी राजमार्ग खंड) के साथ-साथ 24 साल की अवधि के लिए इसका संचालन और रखरखाव शामिल था। समझौता राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा अनिवार्य करने वाली शर्तें शामिल थीं (खंड 18.1.1)। एनएचएआई परियोजना राजमार्गों (खंड 18.1.2) की सुरक्षा लेखा परीक्षा करने के लिए अनुभवी सुरक्षा सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, जिसके लिए खर्च रियायत प्राप्तकर्ता (खंड 18.1.3) द्वारा वहन किया जाना था। समझौते (खंड 19.1) द्वारा एक विस्तृत राजमार्ग निगरानी तंत्र पर भी विचार किया गया था, जिसके माध्यम से प्रत्येक महीने की सात तारीख तक एक स्वतंत्र इंजीनियर को उचित निरीक्षण (संचालन और रखरखाव व्यवस्था) के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, जिसमें दोष या कमियां थीं (खंड 19.2)। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र इंजीनियर को यह पुष्टि करने के लिए कि राजमार्ग लागू मानकों (खंड 19.3) के अनुसार संचालित किया गया था, रियायत प्राप्तकर्ता से निर्दिष्ट परीक्षण करने की आवश्यकता थी। अन्य शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यकताएं शामिल थीं कि रियायत प्राप्तकर्ता को स्वतंत्र अभियंता की रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर उपचारात्मक उपायों (खंड 19.4.1) को पूरा करना था। रियायत पाने वाले को इस शर्त पर रखा गया था कि यदि प्रासंगिक मरम्मत या उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए थे, तो एनएचएआई खंड 17.8 के संदर्भ में नुकसान की वसूली कर सकता है। 1 रियायत प्राप्तकर्ता पर एक अन्य दायित्व विभिन्न घटनाओं की आवधिक रिपोर्ट भेजना था, जिसमें "परियोजना राजमार्ग पर असामान्य घटनाएं" जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट (खंड 19.6), कोई बाधा, या "परियोजना राजमार्ग की बाढ़" शामिल हैं।

4. इस बीच, पाँचवाँ प्रतिवादी (जिसने सी. ए. 5971/दाखिल किया है)

' खंड 19.4 के संदर्भ में। 2 , एनएचएआई जिन नुकसानों की भरपाई कर सकता था, उनकी गणना इंजीनियर द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक उपायों के अनुपालन में प्रत्येक दिन की देरी के संदर्भ में की जा सकती थी, जो "औसत दैनिक शुल्क के उच्च (ए) 0.5 प्रतिशत और (बी) स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अनुमानित ऐसी मरम्मत या मरम्मत की लागत के 0.1 प्रतिशत" पर आधारित थी। खंड (17.8.1) ने कहा किः इस समझौते में कुछ भी निहित होने के बावजूद, क्या वास्तविक यातायात किसी भी वर्ष या उसके हिस्से के दौरान डिजाइन क्षमता से अधिक होना चाहिए और रियायतकर्ता ऐसा करने में विफल रहता है -

रखरखाव आवश्यकताओं में निर्धारित किसी भी दोष या कमी की मरम्मत या सुधार करें। उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, यह इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और प्राधिकरण ऐसी तारीख से नुकसान की वसूली करने का हकदार होगा, जिसकी गणना की जाएगी।

और उल्लंघन के ठीक होने तक देरी के प्रत्येक दिन के लिए (क) औसत दैनिक शुल्क के 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) और ऐसी मरम्मत की लागत के 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) से अधिक का भुगतान किया जाता है या

रियायत की शेष अवधि के लिए स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनुमानित सुधार। इस तरह के नुकसान की वसूली इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगी, जिसमें इसे समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर्वेक्षण संख्या 112 ए 5 एकड़ और 93 सेंट की सीमा तक अधिक देखने के लिए। लाइसेंस सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दिया गया था। इस लाइसेंस की शर्तों के खंड 1 के अनुसार, लाइसेंस की अवधि थी

दो महीने; खंड 5 में कहा गया है कि निष्कर्षण और छोटे खनिजों की खुदाई के लिए, काम भूमि की सतह के नीचे 20 फीट से अधिक नहीं हो सकता है।

5. जाहिरा तौर पर लाइसेंस लेने के तुरंत बाद, गाँव को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के संबंध में कुछ मांगें की गईं। स्थानीय पंचायत को लिखे गए पत्रों के माध्यम से दर्ज की गई सामग्री इस आशय की है कि राजमार्ग के निर्माण के परिणामस्वरूप और समय बीतने के कारण मौजूदा सड़क बह गई थी। नतीजतन, गाँव तक जाने वाली नई सुरंग के बाईं ओर से 2 कि. मी. का हिस्सा लगभग अस्तित्वहीन था। पंचायत ने अनुरोध किया कि सड़क को मजबूत और चौड़ा किया जाए।

6. 31.01.2011 पर, राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारी

राठौड़ को कारणदर्शक नोटिस जारी कर आरोप लगाया कि मलबा रखा गया था

साइट पर अवैध रूप से। यह आरोप लगाया गया था कि यह महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 (इसके बाद "भूमि राजस्व संहिता") की धारा 48 के विपरीत था। फिर से, 16.06.2011 पर, स्थानीय पंचायत ने एक नोटिस जारी किया (जो रिकॉर्ड में है) जिसमें कहा गया है कि खनिज निष्कर्षण के परिणामस्वरूप, वर्षा जल का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा था। नोटिस में यह भी कहा गया कि काम न करने की स्थिति में दो भारी मशीनें जमीन पर बेकार पड़ी थीं और दो जे. सी. बी. मशीनें भी वहां तैनात थीं। राठौर को स्पष्ट रूप से ये नोटिस प्राप्त हुए; यह तहसीलदार और अन्य स्थानीय अधिकारियों को उनके जवाबों से प्रमाणित होता है। स्थानीय अधिकारियों से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, तहसीलदार, भोर ने अवैध निष्कर्षण और छोटे खनिजों के उपयोग के कारण भूमि राजस्व संहिता के उल्लंघन के लिए राठौड़ द्वारा ₹ 1,271,200 का भुगतान करने का आदेश जारी किया।

7. खुदाई और मलबे के ढेर लगाने की यह गतिविधि नहीं चली

एनएचएआई की ओर से किसी का ध्यान नहीं गया; इसने पुणे के कलेक्टर को लिखा, जिसमें कहा गया था किः

" ..... दोनों छोरों पर नई कटराज सुरंग की ऊपरी तरफ की पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर और अंधाधुंध खुदाई चल रही है। इस खुदाई के कारण सुरंग के ऊपर और पास जल निकासी प्रणाली प्रभावित हुई है। इससे सुरंग की छत के अंदर पानी का रिसाव हो सकता है जिससे सुरंग की दीवारें और छत ढह सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप सुरंग ढह सकती है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सुरंग के ढहने से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से राष्ट्रीय राजमार्ग 4 का पूरा यातायात अवरुद्ध हो जाएगा।

भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

मुंबई/पुणे से बैंगलोर और इसके विपरीत अराजकता का कारण बनता है

स्थिति "।

पत्र में विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया गया था कि राठौड़ को अधिसूचित किया गया था; इसने राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की थी।

8. 6 जून, 2013 की सुबह मानसून के कारण मौज शिंदेवाड़ी तहसील, भोर में भारी बारिश हुई।

और आसपास के क्षेत्र। माउजे शिन्देवाड़ी में पहाड़ियों से बहने वाला पानी राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर पुणे नगर निगम की ऑक्ट्राय चौकी के पास, मौज शिन्देवाड़ी तहसील भोर, जिला पुणे में बड़ी ताकत के साथ सड़क में घुस गया। इससे पानी की एक बड़ी चादर के रूप में एक बाधा उत्पन्न हुई। इन परिस्थितियों में, जब विशाखा वाडेकर और उनकी बेटी संस्कृति द्वारा चलाई जा रही ऑल्टो कार को बाधित किया गया, तो वे सुरक्षा के लिए उतर गए; हालाँकि, पानी बहुत तीव्रता से बह गया और उन्हें बहा ले गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट जांच के परिणामस्वरूप 04.10.2013 की एक रिपोर्ट आई। घटना की जाँच करने वाले उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया, जिसकी रिपोर्ट पर विचार किया गया; उन्होंने स्थल का दौरा भी किया और कई सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, विभिन्न पक्षों को जारी किए गए नोटिसों के अनुसार, राठौड़, स्थानीय पुलिस अधिकारियों, चश्मदीद गवाहों (अभय अरविंद रानाडे, विनीत वसंत जॉर्ज और मृतक के रिश्तेदारों), एनएचएआई के परियोजना निदेशक (महाप्रबंधक), राजमार्ग के रखरखाव की गुणवत्ता की जांच से जुड़े स्वतंत्र इंजीनियरिंग फर्म के टीम लीडर आदि के बयान दर्ज किए गए।

9. घटना के तुरंत बाद, लोकमंछ ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से,

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (इसके बाद "एनजीटी अधिनियम") की धारा 16 और 18 के साथ पठित धारा 14 (1) के तहत एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (इसके बाद "एनजीटी अधिनियम") के पैर के आधार पर प्राकृतिक आकृति को बहाल करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की गई।

पहाड़ी जिसे राठौड़ ने नष्ट कर दिया था। इसके अलावा, अन्य उत्तरदाताओं को पहाड़ियों को विनाश से बचाने और प्राकृतिक सर्वेक्षण में पहाड़ियों के फुट बेस डिजाइन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के माध्यम से सामान्य राहत मांगी गई थी। 10. महाराष्ट्र राज्य द्वारा एक हलफनामे के रूप में एन. जी. टी. के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से पता चला कि बड़े पैमाने पर

जिन व्यक्तियों और चिंताओं को अल्पकालिक खनन लाइसेंस दिए गए थे, उनके द्वारा पहाड़ियों का विनाश हुआ था। हलफनामे के अनुसार, 62 मामले थे, और कई मामलों में [2020] 6 एस. सी. आर. द्वारा "पहाड़ी कटाई" का सहारा लिया गया था।

डेवलपर्स। राज्य ने स्पष्ट रूप से जुर्माना और दंड लगाया था

ये अवैध गतिविधियाँ।

11. एन. जी. टी. ने अपने विवादित आदेश में राठौड़ की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया, जबकि उन पर दायित्व अधिरोपित करने को उचित ठहराया।

वह उत्तरदाताः

" अभिलेखसँ ई प्रतीत होइत अछि जे भूमि सर्वेक्षण सं. 112, प्रतिवादी सं. क स्वामित्वमे अछि। 5 और 6 और उनके परिवार के सदस्य। उक्त भूमि में पहाड़ियाँ हैं। वे बिना अनुमति के अवैध रूप से पहाड़ियों को काटते हैं और छोटे खनिज निकालते हैं, जिससे पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की परिधि और या परिधीय प्रकृति, पहाड़ी की सतह कम हो जाती है। प्रत्यर्थी सं. के कार्य। 5 और 6 ने पहाड़ी के क्षेत्र को नाजुक, खतरे के लिए अतिसंवेदनशील बना दिया

पारिस्थितिकी और प्राकृतिक मिट्टी का समर्थन। ऐसे मामले में, केवल अतिरिक्त रॉयल्टी की वसूली एक उचित उपचारात्मक उपाय नहीं होगा। कई स्थानों पर, दयनीय घटना से पहले और बाद में पहाड़ी की कटाई देखी जाती है और अब जांच की जाती है

संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा।

12. इसके बाद, एन. जी. टी. ने अपने इस तर्क के आधार पर कि कुछ गतिविधियों का विनियमन, विशेष रूप से पहाड़ियों को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज़ को शामिल करना है, सख्ती से विनियमित, निम्नानुसार निर्देशित हैः

गोल भूमि जो चारों ओर से घिरी भूमि से अधिक ऊँची हो यह, लेकिन पहाड़ जितना ऊंचा होने की उम्मीद नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह आमतौर पर भूमि की गोल प्राकृतिक ऊंचाई होती है, जो एक पहाड़ से कम होती है। 'पहाड़ी' शब्द की कोई विशेष परिभाषा नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी शब्द का अर्थ बताती है।

' पहाड़ी 'इस प्रकार हैः

पहाड़ी-भूमि का एक प्राकृतिक रूप से उठाया हुआ क्षेत्र, पहाड़ के रूप में ऊँचा या खुरदरा नहीं, सड़क का एक ढलान वाला हिस्साः वे एक खड़ी पहाड़ी पर कम गियर, एक ढेर या टीले में चढ़ रहे थे कुछ, स्लाइडिंग शिंगल की एक पहाड़ी।

शब्दपुस्तिका ने अभिव्यक्ति 'पहाड़ी' का अर्थ इस प्रकार दिया है

निम्नलिखित हैः

231 " पहाड़ी पृथ्वी की सतह की एक ऊंचाई है जिसका एक अलग शिखर है।

इसका सतह क्षेत्र सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में बहुत कम है।सीएच. भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

पहाड़ और ऊंचाई में कम है। पहाड़ियाँ आसपास के क्षेत्र से 305 मीटर से भी कम ऊँचाई पर हैं, जबकि पहाड़ हमेशा उस ऊँचाई से अधिक होते हैं। हालाँकि, एक पहाड़ी केवल छोटा पर्वत नहीं है। यह काफी अलग रूप में बनाया गया है। रास्ता।

पहाड़ियों को उनके बनने के तरीके और उन सामग्रियों के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है जिनसे वे बने हैं। वहाँ

ये दो प्रकार के होते हैं, निर्माणात्मक और विनाशकारी।

निर्माणात्मक पहाड़ियाँ चट्टान के मलबे या ग्लेशियरों और हवा द्वारा जमा की गई रेत से बनती हैं। ओवल आकार की भू-आकृतियाँ जिन्हें ड्रमलिन और रेत के टीले कहा जाता है, इस प्रकार के नमूने हैं। विनाशकारी पहाड़ियाँ उन क्षेत्रों के गहरे कटाव से आकार लेती हैं जो पृथ्वी की सतह में गड़बड़ी से उठे थे।

क्रस्ट। ऐसी पहाड़ियों में अधिक आसानी से क्षरण होने वाली चट्टानों की चूना पत्थर की परतें हो सकती हैं।

13. पुणे की विकास नियंत्रण विनियमन योजना (डी. सी. आर.) का मसौदा अभी तक पी. एम. सी. या सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी सं. द्वारा पहाड़ी की कटाई। 5 और 6, भूमि के एक हिस्से को बेकार करने के लिए विनाश किया, जिसमें शामिल हैं पौधरोपण के लिए इसका विकास। यह कहने की जरूरत नहीं है कि पहाड़ी का विनाश नहीं हो सकता था

परियोजना प्रस्तावक अर्थात एन. एच. ए. आई. (प्रत्यर्थी संख्या 9) की मिलीभगत या कम से कम उद्देश्यपूर्ण कार्य या चूक के बिना। श्री राजेशकुमार कुंडल के शपथ पत्र में यह समझौता है।

कटराज पहाड़ी की चोटी पर अवैध निर्माण गतिविधि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि, 25 अप्रैल, 2011 को प्रतिवादी संख्या 5 को एक नोटिस जारी किया गया था और इसकी प्रति घटना होने से पहले तहसीलदार, भोर को चिह्नित की गई थी। पुणे के कलेक्टर से इस मामले को देखने का अनुरोध किया गया था। इस प्रकार, अधिकारियों को बड़ी दुर्घटना से बचने और ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि श्रीमती विशाखा वाडेकर और उनकी बेटी की पानी के प्रवाह के कारण मृत्यु हो गई, जो पहाड़ी की चोटी से बहकर सड़क पर गिर गया। 14. हमें यह दिखाने के लिए कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं मिलती है कि प्रतिवादी संख्या 9 (एनएचएआई) ने अप्रिय घटना से बचने के लिए उचित कदम उठाए हैं। हमें प्राधिकरण को एनएचएआई द्वारा की गई शिकायत की प्रतियां नहीं मिलती हैं। एक पल के लिए यह मानते हुए कि [2020] 6 एस. सी. आर.

इस तरह के संचार अप्रैल, 2011 के अंत में किए गए थे, फिर भी, यह एनएचएआई की जिम्मेदारी थी कि वह 2011 के बाद निष्क्रियता के बारे में उक्त प्राधिकरण या उच्च प्राधिकरण को राजी करे। यह घटना

कहा जाता है कि 10 जुलाई, 2013 को बारिश हुई थी, जिसमें श्रीमती विशाखा वाडेकर और उनकी बेटी उड़कर चले गए थे। जाहिर है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 9 ने लगभग दो (2) वर्षों तक मौन रखा है, इस जानकारी के बावजूद कि काम

पहाड़ी काटने का काम चल रहा था। हमारी राय में, एनएचएआई (प्रत्यर्थी संख्या 9) संभवतः निहित रूप से था

इसकी परियोजना के लिए मुरम, पत्थर और मिट्टी की उपलब्धता के कारण पहाड़ी काटने के अवैध कार्य के कारण लाभान्वित हुआ। इसलिए, एनएचएआई के ठेकेदार उंगलियों को पार रखने में रुचि रखते थे।

15. रिकॉर्ड पर दिखाई देने वाली संभावनाओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि कटराज में पहाड़ी काटने के कारण पर्यावरण का काफी हद तक क्षरण हुआ है। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पहाड़ी की कटाई प्रतिवादी संख्या के अवैध कृत्यों के कारण हुई थी। 5 , 6 और प्रतिवादी की चूक के कार्य के साथ या उसके कारण

नंबर 9. वे कानूनी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं

16. हम संबंधित प्राधिकारी को कुछ और निर्देश देना उचित समझते हैं। इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं: 17. क) प्रत्यर्थी सं। 5 , 6 और 9 रुपये की राशि का भुगतान करेंगे। 50 पहाड़ी काटने के कारण कटराज के पास के क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए उन पर संयुक्त रूप से लाखों का जुर्माना लगाया गया।

ख) यह राशि छह (6) सप्ताह के भीतर कलेक्टर (पुणे) के पास जमा की जाएगी, अन्यथा कलेक्टर भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली कर सकते हैं। यह राशि कलेक्टर द्वारा विशेष एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी और यह राशि जिले में पहाड़ी संरक्षण और संरक्षण सहित पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण गतिविधियों के लिए खर्च की जाएगी।

क्षेत्रीय सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग[एच. ऑफ इंडिया बनाम आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

ग) प्रत्यर्थी सं। 5 , 6 और 9 संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से रुपये की राशि का भुगतान करेंगे। 15 मृतक श्रीमती विशाखा वाडेकर और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के रूप में लाखों

बेटी अगर कानूनी प्रतिनिधियों की पहचान पहले साबित हो जाती है

कलेक्टर। उपरोक्त तीन (3) उत्तरदाता

चार (4) सप्ताह के भीतर तुरंत ऐसी राशि जमा करें।

मुआवजे के भुगतान के लिए उपरोक्त मृत महिलाओं के कानूनी प्रतिनिधियों का पता लगाने के लिए एक प्रकाशन जारी करें और उत्तराधिकार अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए उचित अनुपात में कानूनी प्रतिनिधियों की पहचान की संतुष्टि के बाद उन्हें मुआवजे का भुगतान करें। घ) प्रत्यर्थी सं। 5 , 6 और 9 रुपये की राशि भी जमा करेंगे। 10 पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पेड़ लगाने के लिए कलेक्टर कार्यालय के साथ लाखों,

हालाँकि यह एक पर्याप्त उपाय नहीं हो सकता है।

ई) प्रत्यर्थी संख्या। 1 , 2 , 3 , 4 , 7 और 8 सभी जिलों के भीतर काम करने वाले संबंधित राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से निगरानी रखने के लिए निर्देश देगा ताकि उनका सत्यापन किया जा सके।

यह सुनिश्चित करें कि किसी भी निर्माण/विकास कार्य के लिए कोई निर्माण अनुमति नहीं दी जाएगी, जो प्रस्तावित किया जा रहा है और 100 फीट की दूरी पर स्थित है। निम्नतम से दूर ढलान अर्थात अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर किसी भी पहाड़ी की ढलान

बांस के कॉटेज को छोड़कर, पहाड़ी की चोटियों के रूप में।

च) आपात स्थिति या सार्वजनिक उद्देश्य के मामले में, पहाड़ी काटना

कलेक्टर के संबंधित कार्यालय द्वारा किया जा सकता है / आयुक्त एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करके या यदि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कानून द्वारा आवश्यक हो,

1986 और उसके तहत नियम "।

राठौड़, एनएचएआई और तीन अन्य अपीलकर्ताओं (पटेल इंडिया प्राइवेट फर्न कंस्ट्रक्शंस (इंडिया) लिमिटेड और डी. बी. रियल्टी लिमिटेड) ने एनजीटी के विवादित आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। उनकी शिकायत [2020] 6 एस. सी. आर. से है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित आदेश में जारी किए गए सामान्य निर्देश, जिसमें पहाड़ियों के पास की इमारतें शामिल हैं। 13. मामलों के दूसरे समूह में, यानी विशेष अनुमति द्वारा अपील, तथ्य यह हैं कि एनजीटी, राज्य के निर्देशों पर कार्य करना

महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना अधिनियम, 1966 (संक्षेप में "एम. आर. टी. पी. अधिनियम") की धारा 154 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया और एक अधिसूचना/परिपत्र दिनांक 1 द्वारा निर्देश दिया कि 100 फीट तक की पहाड़ियों से सटे क्षेत्र में विकास (निर्माण से संबंधित) की अनुमति नहीं है।

14. विवादित सामान्य निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि इस तरह के निर्देश या परिपत्र जारी करने की शक्ति है

संशोधित धारा 154 के माध्यम से अस्तित्व में था और ऐसी शक्ति आवश्यक थी। अदालत ने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और तर्क देता है कि वह कहीं भी विकास या निर्माण कर सकता है और अधिसूचना में निहित निर्देश

मुंबई और पुणे में पहले से ही उप-कानून और भवन संहिताएं लागू हैं। यह भी देखा गया कि -

" विनियम 2 में हमारी परिभाषाएँ हैं और जहाँ तक भाग 2 की बात है

संबंधित है, वह है सामान्य योजना और निर्माण।

आवश्यकताएँ। विनियम 11.1 में कहा गया है कि भूमि के किसी भी टुकड़े का उपयोग भवन के निर्माण के लिए स्थल के रूप में नहीं किया जाएगा यदि वह स्थल पहाड़ी है और जिसका ढाल 1 से अधिक हैः 5 . इस प्रकार, ये शर्तें

पहले से ही जगह पर हैं। क्या है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है-भेदभावपूर्ण

कटराज घाट में पहाड़ियों को काटना। यह अनाधिकृत

पहाड़ियों को तोड़कर निर्माण के परिणामस्वरूप एक दुर्घटना हुई। यही कारण है कि एनजीटी ने निर्देश दिया कि पहाड़ी की चोटियों और पहाड़ी ढलानों और पहाड़ी की तलहटी और आसपास के 100 फीट के हिस्से में किसी भी निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और न ही कोई निर्माण गतिविधि की अनुमति दी जानी चाहिए।

विकास की अनुमति जारी की जाए और ऐसे निर्देश दिए जाएं - नगर निगमों और नगर परिषदों को जारी किया गया। यह ध्यान में रखते हुए कि कानूनी प्रावधान हैं

पहाड़ी की चोटी और पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को सीमित करने के लिए, एनजीटी और इस सरकारी प्रस्ताव में केवल इतना ही निर्देश दिया गया है कि जिन मामलों में पहाड़ी के 100 फीट के भीतर पहले से ही विकास गतिविधियों की अनुमति दी गई है, वे हैं -

अतिरिक्त निर्माण के लिए अनुमति दी जाए और न ही कोई

अतिरिक्त तल क्षेत्र सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी देकर विकास की अनुमति दी जाए।

[एच. ऑफ इंडिया बनाम आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अंतरिक्ष सूचकांक (एफ. एस. आई.) या हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टी. डी. आर.)। स्वीकृत विकास योजनाओं की स्थिति में यदि उपरोक्त प्रकृति का क्षेत्र निर्माण योग्य क्षेत्र में है, तो इसे पूरा करने के लिए ऐसे क्षेत्र में विकास और व्यक्तिगत विकास की अनुमति देते समय, पहाड़ियों के आसपास के 100 फीट के क्षेत्र को गैर-निर्माण योग्य के रूप में सीमांकित किया जाना चाहिए। इसका उपयोग खुली जगह, सड़क आदि के रूप में किया जा सकता है। हम आश्चर्यचकित हैं कि एक आदेश

और एन. जी. टी. के निर्देश का पता लगाने योग्य और योजना कानून के अनुसार जिसे उसने हमारे सामने चुनौती दी थी। इसके अलावा,

राज्य सरकार के निर्देश, जो केवल मौजूदा नियमों की पुनरावृत्ति हैं, चुनौती के दायरे में हैं। विवादित सरकारी प्रस्ताव एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों और उसके अनुच्छेद 21 और 48 में निहित संवैधानिक जनादेश के अनुरूप है। 24. हम डॉ. साठे, श्री गोडबोले और डॉ. सराफ से सहमत नहीं हैं कि केवल इसलिए कि ऐसे निर्देश धारा 154 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं, नगरपालिका की सीमाओं के लिए विकास योजना।

निगम, अर्थात् पुणे और मुंबई को बदल दिया गया है या

विकास योजना और उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया। 25. हम सरकारी संकल्प विषय द्वारा लाई गई योजना में कोई संशोधन नहीं देख रहे हैं। यदि बिल्कुल भी, उसमें दिए गए निर्देश इसके प्रावधानों के पूरक हैं -

मुंबई और पुणे शहरों या संबंधित नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों के लिए विकास नियंत्रण विनियम। जैसा कि है, पहाड़ी की चोटियों पर विद्युत उप-स्टेशनों, जल कार्यों आदि के अलावा अन्य भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं थी। जहाँ तक इन ढलानों का संबंध है, उनकी प्रकृति से, एक पहाड़ी नीचे खिसक जाती है और यदि ढलान खड़ी है, तो कोई निर्माण गतिविधि नहीं की जा सकती है।

एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गारंटी या आश्वासन कि ऐसे क्षेत्रों में कोई भी निर्माण गतिविधि प्राकृतिक क्षरण के कारण पहाड़ियों के कटाव के परिणामस्वरूप भूस्खलन या दुर्घटनाओं का सामना करने में सक्षम होगी। कारणों से। यह अनुभव किया जाता है कि मानव हस्तक्षेप है

आवश्यक रूप से भूस्खलन, भूस्खलन आदि के लिए जिम्मेदार नहीं है। प्राकृतिक कारणों और आपदाओं के कारण ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा, घटना बढ़ जाती है क्योंकि

पहाड़ी के तल पर या उसके शीर्ष पर की गई निर्माण गतिविधि सहित मानव हस्तक्षेप। यह भी संभव है कि पहाड़ी को उसके किनारों से अंधाधुंध रूप से काट दिया जाए। यह तब भी संभव है जब छोटे खनिजों को निकालते समय किसी पहाड़ी को नुकसान हो।

तब पहाड़ी असमान हो जाती है। तब किसी भी आपदा को रोकना संभव नहीं है। इसलिए, प्राकृतिक देखभाल करने के लिए

आपदाएँ और जो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न स्थानों पर आई हैं और जिनके कारण भी

अनियंत्रित और अनियमित रूप से पहाड़ियों को तोड़ना और काटना जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं जिससे मानव जीवन और सुरक्षा को खतरा होता है और ये पूरक निर्देश जारी किए गए हैं। यदि वे अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए हैं और यदि वे व्यापक सार्वजनिक हित को पूरा करते हैं, तो सरकारी प्रस्ताव में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। प्रत्येक परिचालन दिशा,

सरकारी संकल्प। इस तरह के अवैध और अनधिकृत कार्यों की ओर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है अनियंत्रित, अनियंत्रित और अप्रतिबंधित पहाड़ी कटाई, जिसे रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया। इसने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 154 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का सहारा लिया। यदि दुर्घटनाओं और आपदाओं को समय पर रोका जा सकता है

यह मत सोचिए कि याचिकाकर्ताओं की विशिष्ट और अप्रमाणित दलीलों पर हमें सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।

संकल्प "। निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

15. एन. एच. ए. आई. ने अपनी अपील में तर्क दिया कि एन. जी. टी. ने इसके खिलाफ व्यापक निर्देश जारी करने में गलती की, इस पर विचार किए बिना कि नहीं

यह स्थापित करने के लिए सबूत कि यह किसी भी तरह से पर्यावरण के क्षरण के लिए जिम्मेदार था, जिसके कारण त्रासदी हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. नरसिम्हा ने आग्रह किया है कि एन. जी. टी. के निष्कर्ष स्थापित के विपरीत हैं।

16. इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किसी भी मामले में, एनएचएआई को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था या उस घटना के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता था जिसके कारण त्रासदी। श्री नरसिम्हा ने यह भी तर्क दिया कि एनजीटी ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि राजमार्ग का निर्माण किसी भी तरह से इसके विपरीत था।

एन. एच. ए. आई. द्वारा प्राप्त पर्यावरणीय मंजूरी या अनुमतियाँ।

इसलिए, न्यायाधिकरण के निष्कर्ष जहां तक वे एनएचएआई की उपेक्षा या कथित चूक से संबंधित थे, कानून के विपरीत थे। उन्होंने आग्रह किया कि निष्कर्ष अतार्किक और तर्कहीन हैं और इन्हें दरकिनार किया जाना चाहिए। 17. एनएचएआई ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उसने अवैध खनन और गतिविधियों और पहाड़ी विनाश के कारण स्थानीय प्रशासन को हस्तक्षेप करने के लिए 24.04.2011 और 15.07.2011 पर पत्र लिखे, जिसके लिए राठौड़ जिम्मेदार थे। इसके बावजूद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह, राठौड़ ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए या गतिविधि को बंद नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप हुई त्रासदी पूरी तरह से राज्य के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने में चूक और उपेक्षा और दोषी होने के कारण हुई

राठौड़ की ओर से लापरवाही, त्रासदी और उन घटनाओं का कारण थी जिनके कारण दो लोगों की जान चली गई। इस बात पर भी जोर दिया गया कि मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश कानूनी सिद्धांतों के विपरीत था और कानून को कमजोर किया। यह तर्क दिया गया था कि न तो एन. एच. ए. आई. और न ही इसके रियायत प्राप्तकर्ता का राज्य की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण था, जिसने खनन लाइसेंस दिए थे। लाइसेंसधारी राठौड़ ने आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन जारी रखा था जिससे मलबा जमा हो गया था। यह बदले में,

इसके परिणामस्वरूप एक पुलिया बाधित हुई जिसके परिणामस्वरूप एक [2020] 6 एस. सी. आर. का संग्रह हुआ।

बड़ी मात्रा में पानी। राजमार्ग पर पानी की एक बड़ी चादर बह गई, जिससे कार बह गई, जिसके परिणामस्वरूप दो लोगों की मौत हो गई।

यह तर्क दिया गया कि इन परिस्थितियों में, एनएचएआई को मृतक के आश्रितों और कानूनी प्रतिनिधियों को नुकसान का भुगतान करने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है और न ही इसे बहाल करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है 50 लाख या इसके किसी भी हिस्से के भुगतान के माध्यम से पर्यावरण।

20. यह तर्क दिया गया कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी आवेदन के अभाव में एनजीटी किसी भी राशि के भुगतान के संबंध में निर्देश जारी नहीं कर सकता था। राठौड़ की अपील में आगे यह तर्क दिया गया है कि कथित अवैध खनन के लिए राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी करने के अलावा, न तो राज्य के अधिकारियों और न ही एनएचएआई ने पुलिया और जल निकासी नालियों को मजबूत करने के लिए कोई सकारात्मक उपचारात्मक कार्रवाई की, जो खराब हालत में थे, और बारिश के पानी की निकासी के लिए सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर बनाया गया था। रखरखाव की कमी के कारण पानी निकालने के लिए पुलिया पर चिनाई बंद हो गई थी। इस तरह रखरखाव रियायत पाने वाले की एकमात्र जिम्मेदारी थी और इसके लिए एनएचएआई को उत्तरदायी ठहराया जाना था। यह भी रेखांकित किया गया है कि एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 18 में कहा गया है कि अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए क़ानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। चूंकि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों ने किसी भी राहत के लिए एनजीटी में आवेदन नहीं किया था और इसके बजाय जानबूझकर निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय उच्च न्यायालय के लिए मुआवजे का दावा करते हुए दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

एन. एच. ए. आई. की ओर से लापरवाही और दोषपूर्ण निष्क्रियता, एन. जी. टी. को साक्ष्य के अनुसार मामले को उचित निर्णय के लिए छोड़ना चाहिए था। इसके बजाय एनजीटी ने अपीलार्थी को न्याय देने का काम अपने हाथों में ले लिया

घटना के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक। इस बात पर जोर दिया जाता है कि खनन गतिविधि लाइसेंस के अनुसार की गई थी और यदि

कोई भी अनियमितता थी जिसे जुर्माने के भुगतान पर ठीक किया गया था। जहां तक मलबे के संग्रह की बात है, जिसके कारण अंततः पानी का बहाव बढ़ गया और दो लोगों की मौत हो गई, तो यह तर्क दिया जाता है कि जल निकासी प्रणाली के उचित संचालन ने यह सुनिश्चित किया होगा कि इस तरह के विशाल जल संग्रह से पानी की मात्रा में वृद्धि हुई है।

पानी की मात्रा नहीं हुई होगी। इसलिए, समय पर कार्रवाई करने और राज्य के अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करने में एनएचएआई की निष्क्रियता के कारण यह दुखद घटना हुई। इस घटना की जिम्मेदारी राठौड़ के दरवाजे पर नहीं डाली जा सकती थी। राठौड़ के कार्यों के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत दूर के थे और नुकसान का विषय नहीं हो सकते थे।

21. अपीलों में (विशेष अनुमति के साथ-साथ वैधानिक अपीलों द्वारा)

22. इन अपीलकर्ताओं का तर्क है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय भी गलती में पड़ गया और उन्होंने इस बात की सराहना नहीं की कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा 14.11.2017 के निर्देशों/संकल्प का पूरा आधार एनजीटी द्वारा जारी किए गए निर्देश थे। एम. आर. टी. पी. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जहां भी विकास संहिताएं हैं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, वे स्थापित सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए थे। इन संहिताओं और विभिन्न नगर योजना विभागों द्वारा बनाए गए भवन विनियमों के आधार पर, विकास और निर्माण के लिए मंजूरी और अनुमति/अनुमोदन जारी किए गए थे। यह तर्क दिया गया था कि एनजीटी द्वारा पैरा 17 (ई) में दिए गए निर्देशों की अनिवार्य और व्यापक प्रकृति के परिणामस्वरूप ये निर्देश [2020] 6 एस. सी. आर.

विवादित संकल्प में सन्निहित होना, जिसका उन मंजूरियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।

23. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इस तथ्य के अलावा कि 'पहाड़ी' की परिभाषा अस्पष्ट है, और यहां तक कि नियम भी अस्पष्ट हैं।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत इस संबंध में चुप हैं, एन. जी. टी. इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि पहाड़ी इलाकों में जहां आबादी विशेष क्षेत्रों में केंद्रित है, छोटे शहरों, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके निर्देशों और विवादित अधिसूचना का प्रभाव विनाशकारी होगा क्योंकि सभी प्रकार की इमारतों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह बताया गया है कि पहाड़ी विकास व्यक्तिगत स्थानीय मिट्टी की स्थिति, आसपास के इलाके की स्थिरता आदि पर विचार करने पर आधारित है। इन सभी को व्यक्तिगत स्थानीय नगर योजना प्राधिकरणों द्वारा ध्यान में रखा जाता है जब वे व्यक्तिगत विकास या निर्माण परियोजनाओं को अनुमति देते हैं या अनुमति देने से इनकार करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "सौ फुट क्षेत्र के भीतर कोई निर्माण नहीं" नियम को एक समान रूप से अपनाना, नगर नियोजन के सुस्थापित सिद्धांतों के पूरी तरह से विपरीत है।

24. यह तर्क दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश

बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं में विवादित, एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं क्योंकि वे मौजूदा मास्टर प्लान और अन्य विकास संहिताओं के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करना, जो कानून की शक्ति रखते हैं और व्यापक परामर्श के बाद बनाए गए थे। यह बताया गया है कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों की आवश्यकता है कि ऐसी संहिताओं या मास्टर प्लान में कोई भी बदलाव आपत्तियों पर अनिवार्य रूप से विचार करने के बाद किया जाना चाहिए, जो प्रस्तावों के प्रकाशन से पहले किए जाने हैं। राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कि

पैराग्राफ 17 (ई) में दिए गए आदेश का पालन करते हुए एनजीटी ने वास्तव में कानून के विपरीत निर्देश दिए। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य ने एम. आर. टी. पी. अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत भी काम किया क्योंकि उसने इसका पालन नहीं किया

मास्टर प्लान और विकास संहिताओं को बदलने के लिए अधिनियम द्वारा आवश्यक प्रक्रिया। 25. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एन. जी. टी. के निर्देश राज्य सरकार की अधिसूचना का आधार थे। यह तर्क दिया गया था कि राज्य सरकार का इन निर्देशों का अंधा पालन त्याग के बराबर है

अपने कर्तव्यों का निर्वहन, एम. आर. टी. पी. अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन था और यह किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश पर कार्य करने के बराबर भी था। यह प्रस्तुत किया गया था कि इन कारणों से, विवादित अधिसूचना को कायम नहीं रखा जा सकता है। वकील ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (1) लिमिटेड और Ors.² निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इस बात पर जोर दें कि एनजीटी के पास निर्देश जारी करने के साथ-साथ मुआवजे का आदेश देने के संबंध में एक संकीर्ण और सीमित अधिकार क्षेत्र है। 26. लोकमंछ ने एन. जी. टी. के आदेश को उचित ठहराया और एन. एच. ए. आई., रियायत पाने वाले, राठौड़ और राज्य सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया

जनहित में पर्याप्त और समय पर उपाय करना। यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य मार्ग पर पानी जमा होने से बचने के लिए राजमार्ग के किनारे उचित चैनल नहीं बनाए गए और उनका रखरखाव नहीं किया गया। यह तर्क दिया जाता है कि मौजूदा जल चैनल बेहद संकीर्ण थे और महत्वपूर्ण मात्रा को संभालने में असमर्थ थे, और यहां तक कि वे चैनल भी निर्माण मलबे के कारण बंद थे जो किनारों पर गिर गए थे। यह बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत (इसके बाद "राजमार्ग")

27. जहाँ तक राठौड़ की भूमिका का संबंध है, विद्वान वकील, सुश्री शिल्पा चौहान ने प्रस्तुत किया कि एनजीटी ने अपने अधिकारों के भीतर अच्छी तरह से काम किया और एनजीटी अधिनियम की धारा 14 और 16 और 18 के तहत आवेदन के साथ आगे बढ़ने में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया। लोकमंछ ने पहाड़ियों के पैर के आधार पर प्राकृतिक समोच्च को बहाल करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की, विशेष रूप से पहाड़ी जिसे निजी उत्तरदाताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि मजिस्ट्रेट/उप-मंडल अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अलावा, एनजीटी द्वारा स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से एक रिपोर्ट भी सौंपी गई थी; उस 15.09.2014 की रिपोर्ट से पता चला कि 2011-2013 के दौरान मामूली खनिज निष्कर्षण के बहाने अनधिकृत पहाड़ी विनाश व्यापक था। इस रिपोर्ट से पता चला कि पहाड़ी विनाश (ज्यादातर डेवलपर्स द्वारा किए गए) के 62 मामले सामने आए। इनमें से कई बिना किसी परमिट या प्राधिकरण के हुए और स्पष्ट रूप से अवैध थे। 28. यह आगे तर्क दिया जाता है कि निजी उत्तरदाताओं को केवल एक छोटी अवधि के लिए छोटे खनिज निकालने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, उन्होंने न केवल अनुमति को पार किया, बल्कि आगे बढ़कर खनिजों के खनन के उद्देश्य से पहाड़ी को नष्ट कर दिया। यह अति-खनन के साथ-साथ पहाड़ी विनाश

अनुमति या लाइसेंस की शर्तों के भीतर नहीं था। यह रेखांकित किया जाता है कि "पहाड़ी कटाई" या पहाड़ी विनाश पहाड़ियों के छोटे होने का कारण बनता है। मिट्टी के कटाव का संभावित खतरा और वनस्पति, वानिकी, वनस्पतियों और जीवों को कम करता है, और पृथ्वी को प्राकृतिक समर्थन से वंचित करता है, इसलिए अंततः

2 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 221

आवासीय क्षेत्रों सहित आस-पास के क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय खतरा पैदा करना। यह तर्क दिया जाता है कि पहाड़ियों के विनाश के परिणामस्वरूप धाराओं और नदियों के प्रवाह में विकृति आती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके मार्ग बदल जाते हैं।

कभी-कभी संपत्ति के विनाश के अलावा मानव जीवन और वनस्पतियों और जीवों को भी भारी नुकसान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुआवजे के भुगतान की आवश्यकता वाला एनजीटी का निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में था; इसका समर्थन करने के लिए, विद्वान वकील ने एनजीटी को अनुसूची II के प्रावधानों पर भरोसा किया अधिनियम, विशेष रूप से उन नुकसानों के लिए क्षतिपूर्ति राहत के शीर्षों का उल्लेख करता है जिनका दावा किया जा सकता है और जिन्हें दिया जा सकता है, यानी मृत्यु, स्थायी, अस्थायी, या कुल, या आंशिक विकलांगता या अन्य चोट, निजी संपत्ति को नुकसान, किसी भी प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा किए गए खर्च, या किसी भी नुकसान या क्षति से निपटने के लिए, जिसमें पर्यावरण क्षरण के लिए मुआवजा और पर्यावरण की गुणवत्ता की बहाली शामिल है।

पर्यावरण। यह प्रस्तुत किया गया था कि गणना के लिए वैधानिक आधार

एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची II के तहत ये नुकसान धारा 15 द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो एन. जी. टी. को संपत्ति की बहाली, पर्यावरण की बहाली के लिए अनुसूची I के संदर्भ में प्रदूषण के पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान करने का अधिकार देता है, और महत्वपूर्ण रूप से धारा 17, जो एन. जी. टी. को अनुसूची II में निर्दिष्ट सभी शीर्षों के तहत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या चोट या संपत्ति को नुकसान के कारण मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने का अधिकार देता है, जो किसी भी दुर्घटना का परिणाम है या किसी गतिविधि या परिचालन प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शिकायतों, विशेष रूप से पर्यावरणीय क्षति के कारण होने वाली मौतों से संबंधित, कानूनी प्रतिनिधियों या सीधे प्रभावित व्यक्तियों द्वारा शुरू किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए एनजीटी के अधिकार क्षेत्र को सीमित करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि

एक विशेष दुर्घटना या घटना इतनी व्यापक है कि एक पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है, किसी के द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करना एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में होगा। विद्वान वकील ने एक ओर धारा 15 और 17 और दूसरी ओर धारा 18 के बीच वाक्यांश विज्ञान में अंतर पर प्रकाश डाला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 18 (2) स्पष्ट रूप से धारा 16 में निहित प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है और इस संबंध में किसी के द्वारा दायर किए जाने पर न्यायाधिकरण द्वारा प्राथमिक क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जा सकता है। 29. सुश्री चौहान ने मंत्री टेक्नोज़ प्राइवेट में इस अदालत के फैसले का हवाला दिया। लिमिटेड बनाम फॉरवर्ड फाउंडेशन 3 का कहना है कि एनजीटी वैध रूप से कर सकता है

ऐसे निर्देश जारी करें जो अन्य सभी वैधानिक प्राधिकरणों के लिए बाध्यकारी हों। उन्होंने एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 33 पर भी भरोसा किया, इस बात पर जोर देते हुए कि

3 2019 (18) एस. सी. सी. 494 निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अन्य सभी अधिनियमों को ओवरराइड करता है। हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम में भी निर्णय पर भरोसा रखा गया था। भारत संघ। ए

30. महाराष्ट्र राज्य ने दिए गए तर्कों का समर्थन किया

लोकमंछ की ओर से। यह इंगित किया गया कि पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सामान्य निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र क्षतिपूर्ति आदेश एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 15 (1) (सी) में पाए जाते हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मुआवजे का आदेश देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र

मृत्यु का मामला स्वतंत्र है और घातक दुर्घटनाओं के मामले में लागू किया जा सकता है, जैसा कि अनुसूची II के प्रावधानों से स्पष्ट है। राज्य ने आगे तर्क दिया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय भी असाधारण है, क्योंकि इसने एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 154 के तहत नियामक शक्ति के प्रयोग की सही सराहना की और उसे बरकरार रखा। वकील ने आग्रह किया कि उक्त प्रावधान को 2015 में संशोधित किया गया था और इसे किसी भी चुनौती के अभाव में, प्रासंगिक कारकों पर उचित विचार करने के बाद शक्ति के प्रयोग को स्वीकार नहीं किया जा सका।

मुद्दे

31. चार मुद्दे विचार के लिए उठते हैं। सबसे पहले, की अधिकारिता

क्षतिपूर्ति देने के लिए एन. जी. टी.; दूसरा, क्षतिपूर्ति देने के एन. जी. टी. के निर्णय के गुण और दृढ़ता और लागू कानूनी सिद्धांत; तीसरा, तलहटी में और उसके आसपास निर्माण पर प्रतिबंध के संबंध में एन. जी. टी. के व्यापक निर्देश और अंत में, धारा 154, एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत जारी निर्देशों/अधिसूचनाओं के अधिकार।

I. एन. जी. टी. का अधिकार क्षेत्र

32. एन. जी. टी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

" 2. परिभाषाएँ। - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकताएँ

X

XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

(एम) "पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न"

एक उदाहरण शामिल करें जहाँ

(i) एक विशिष्ट वैधानिक का सीधा उल्लंघन है।

एक व्यक्ति द्वारा पर्यावरणीय दायित्व जिसके द्वारा

((क) किसी व्यक्ति या समुदाय के अलावा अन्य समुदाय।

व्यक्तियों का समूह पर्यावरणीय परिणामों से प्रभावित है या प्रभावित होने की संभावना है; या

((b) पर्यावरण या संपत्ति को नुकसान की गंभीरता

महत्वपूर्ण है; या

((ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान व्यापक रूप से मापा जा सकता है।

((ii) पर्यावरणीय परिणाम एक विशिष्ट स्थिति से संबंधित हैं।

गतिविधि या प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत;

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

14. विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण। - (1) न्यायाधिकरण के पास सभी दीवानी मामलों पर अधिकार क्षेत्र होगा जहां -

पर्यावरण से संबंधित प्रश्न (पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित) शामिल है और ऐसा

अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से प्रश्न उत्पन्न होता है।

(2) न्यायाधिकरण से उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई करेगा

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रश्न और ऐसे विवादों का निपटारा करना और उन पर आदेश पारित करना। (3) इस धारा के तहत विवाद के निर्णय के लिए कोई भी आवेदन न्यायाधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन इस तरह के विवाद के लिए कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न हुआ थाः

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को उक्त अवधि के भीतर आवेदन दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे साठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है। 15. राहत, क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति। - (1) न्यायाधिकरण, एक आदेश द्वारा, प्रदान कर सकता है -

(क) अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत उत्पन्न प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को राहत और मुआवजा (किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालते समय होने वाली दुर्घटना सहित);

(बी) क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली के लिए;

(ग) ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की बहाली के लिए, क्षेत्रीय सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग

टी. एच. भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जैसा कि न्यायाधिकरण उचित समझे।

(2) राहत और क्षतिपूर्ति और संपत्ति की बहाली

और उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट वातावरण भुगतान या देय राहत के अतिरिक्त होगा।

सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के अधीन।

(3) इस धारा के तहत किसी भी मुआवजे या राहत या संपत्ति या पर्यावरण की बहाली के लिए कोई भी आवेदन न्यायाधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह उस तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन इस तरह का कारण था।

क्षतिपूर्ति या राहत सबसे पहले उत्पन्न हुईः

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को दाखिल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था

उक्त अवधि के भीतर आवेदन, इसे साठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दाखिल करने की अनुमति दें।

(4) न्यायाधिकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, संपत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए, अनुसूची II में निर्दिष्ट अलग-अलग शीर्षों के तहत देय मुआवजे या राहत को विभाजित कर सकता है ताकि दावेदारों को मुआवजा या राहत प्रदान की जा सके और क्षतिग्रस्त संपत्ति या पर्यावरण की बहाली के लिए, जो वह उचित समझे।

(5) इस अधिनियम के तहत मुआवजे या राहत का प्रत्येक दावेदार न्यायाधिकरण को दायर आवेदन के बारे में, या, जैसा भी मामला हो, मुआवजे या राहत के बारे में सूचित करेगा।

किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकरण से।

" 16. न्यायाधिकरण के पास अपीलीय अधिकार क्षेत्र होगा। कोई भी व्यक्ति

दुखी होकर,

(क) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 28 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया कोई आदेश या निर्णय;

((ख) आदेश के प्रारंभ पर या उसके बाद पारित किया गया आदेश।

राज्य द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 29 के तहत सरकार;

(ग) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद, एक बोर्ड द्वारा, [2020] 6 एस. सी. आर. के तहत जारी किए गए निर्देश।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जल की धारा 33-ए (जल की रोकथाम और नियंत्रण)

प्रदूषण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6);

अपीलीय द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया कोई आदेश या निर्णय

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (1977 का 36) की धारा 13 के तहत प्राधिकरण;

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा धारा 2 के तहत किया गया आदेश या निर्णय।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69);

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद, वायु की धारा 31 के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश या निर्णय (रोकथाम और

प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14);

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद जारी किया गया कोई भी निर्देश;

प्रारम्भ होने पर या उसके बाद किया गया आदेश

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010

उस क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरी जिसमें कोई उद्योग, प्रचालन या प्रक्रिया या उद्योगों का वर्ग, प्रचालन और प्रक्रियाएँ नहीं की जाएंगी या नहीं की जाएंगी।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद पर्यावरण (संरक्षण) के तहत किसी भी गतिविधि या संचालन या प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए पर्यावरण मंजूरी देने से इनकार करने वाला आदेश। अधिनियम, 1986 (1986 का 29);

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रारंभ पर या उसके बाद किए गए लाभ बंटवारे या आदेश का कोई निर्धारण

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा अधिनियम, 2010 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18),

y, उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जिस पर आदेश या निर्णय या दिशा या निर्धारण किया जाता है

उसकी ओर अग्रसर होने पर, न्यायाधिकरण में अपील करना पसंद करते हैं:

क्षेत्रीय सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग[एच. ऑफ इंडिया बनाम आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारण से दाखिल करने से रोका गया था उक्त अवधि के भीतर अपील, इसे इस धारा के तहत साठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दें।

17. कुछ मामलों में राहत या मुआवजे का भुगतान करने की देयता।

(1) जहां अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के तहत दुर्घटना या किसी गतिविधि या संचालन या प्रक्रिया के प्रतिकूल प्रभाव के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति (एक कर्मचारी के अलावा) की मृत्यु या चोट या किसी संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान हुआ है, वहां जिम्मेदार व्यक्ति अनुसूची II में निर्दिष्ट सभी या किसी भी शीर्ष के तहत ऐसी मृत्यु, चोट या क्षति के लिए ऐसी राहत या मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए।

(2) यदि किसी दुर्घटना से हुई मृत्यु, चोट या क्षति या अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के तहत किसी गतिविधि या संचालन या प्रक्रिया के प्रतिकूल प्रभाव को किसी एक गतिविधि या संचालन या प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन ऐसी कई गतिविधियों, संचालन और प्रक्रियाओं का संयुक्त या परिणामी प्रभाव है, तो न्यायाधिकरण राहत या मुआवजे के लिए दायित्व को ऐसी गतिविधियों, संचालन और प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के बीच न्यायसंगत आधार पर विभाजित कर सकता है। (3) न्यायाधिकरण, दुर्घटना के मामले में, कोई गलती नहीं के सिद्धांत को लागू करेगा।

18. न्यायाधिकरण में आवेदन या अपील।

(1) धारा 14 और 15 के तहत प्रत्येक आवेदन या धारा 16 के तहत एक अपील, ऐसे रूप में न्यायाधिकरण को की जाएगी, जिसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे, और इसके साथ ऐसे विवरण भी होंगे। दस्तावेज़ और ऐसे शुल्क जो निर्धारित किए जाएं।

(2) धारा 16 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राहत देने या मुआवजे या विवाद के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण को आवेदन किया जा सकता है -

((क) वह व्यक्ति, जिसे चोट लगी हो; या ((ख) उस संपत्ति का स्वामी जिसे नुकसान हुआ है।

((c) जहाँ मृत्यु पर्यावरण के कारण हुई है। मृतक के सभी या किसी भी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा नुकसान; या

(घ) ऐसी व्यक्ति या ऐसी संपत्ति के मालिक या मृतक के सभी या किसी भी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अधिकृत कोई भी एजेंट, जैसा भी मामला हो; या (ई) कोई भी व्यथित व्यक्ति, जिसमें कोई प्रतिनिधि निकाय या संगठन शामिल है; या

बशर्ते कि जहां मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे या राहत या विवाद के निपटारे के लिए ऐसे किसी भी आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं, आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा और कानूनी प्रतिनिधि जो इस तरह से शामिल नहीं हुए हैं

आवेदन में उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया गयाः

बशर्ते कि व्यक्ति, मालिक, कानूनी

प्रतिनिधि, अभिकर्ता, प्रतिनिधि निकाय या संगठन राहत देने या मुआवजे या विवाद के निपटारे के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा यदि ऐसा है।

व्यक्ति, मालिक, कानूनी प्रतिनिधि, अभिकर्ता, प्रतिनिधि निकाय या संगठन ने धारा 16 के तहत अपील की है।

(3) इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष दायर आवेदन या यथास्थिति, अपील पर उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा।

उसके द्वारा आवेदन का निपटारा करने के लिए, या, जैसा भी मामला हो, अपील, अंत में आवेदन दायर करने की तारीख से छह महीने के भीतर, या अपील, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXX निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

29. अधिकारिता का बार। (1) तारीख से प्रभावी इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना, कोई दीवानी अदालत नहीं

इस संबंध में किसी भी अपील पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा

किसी भी मामले का, जिसे न्यायाधिकरण निर्धारित करने के लिए सशक्त है

अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के तहत।

(2) किसी भी दीवानी अदालत के पास विवाद को निपटाने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
या देने के लिए किसी भी दावे से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार करें

संपत्ति की कोई राहत या क्षतिपूर्ति या पुनर्स्थापना

क्षतिग्रस्त या पर्यावरण क्षतिग्रस्त जो हो सकता है न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया, और इसमें कोई निषेधाज्ञा नहीं

द्वारा या उससे पहले की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई का सम्मान

ऐसे विवाद या किसी विवाद के निपटारे के संबंध में न्यायाधिकरण

कोई राहत या क्षतिपूर्ति देने के लिए ऐसा दावा या

क्षतिग्रस्त या पर्यावरण से क्षतिग्रस्त संपत्ति की प्रतिपूर्ति

दीवानी अदालत द्वारा मंजूर किया जाएगा। "

XXXXXX

XXXXXX

X

XXXXX

" 33. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। इसके प्रावधान

अधिनियम, कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होगा

तत्समय प्रवृत्त या लागू किसी अन्य कानून में निहित

किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाला कोई भी साधन

इस अधिनियम से "।

33. एन. जी. टी. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का एक सादा अध्ययन होगा

सिविल मामलों से संबंधित विवादों पर जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न (किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित) पर्यावरण से संबंधित), अनुसूची I [धारा 14 (1)] में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित है। द.

अन्य प्रावधान [धारा 14 (2) और (3)] धारा 14 (1) के तहत प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के लिए आनुषंगिक हैं। दूसरी ओर, धारा 15 को व्यापक रूप से जोड़ा गया है। धारा 15 (1) में यह प्रावधान है कि क्षतिपूर्ति या नुकसान

एनजीटी द्वारा "अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत उत्पन्न प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों" [धारा 15 (1) (ए)] को दिया जा सकता है; क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली [धारा 15 (1) (बी)] और ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की बहाली [धारा 15 (1) (सी)] के लिए। धारा 15 (2) प्रक्रियात्मक है; धारा 15 (3)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदनों के लिए सीमा की अवधि को दर्शाता है। धारा 15 (4) जी. टी. को सार्वजनिक स्वास्थ्य, संपत्ति और संपत्ति के नुकसान को ध्यान में रखते हुए सक्षम बनाती है।

आनमेंट,

" देय मुआवजे या राहत को अलग से विभाजित करें

अनुसूची II में निर्दिष्ट शीर्ष ताकि क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सके

या दावेदारों को राहत और क्षतिग्रस्त की बहाली के लिए

संपत्ति या पर्यावरण, जैसा कि वह उचित समझे।

34. अनुसूची I के तहत निर्दिष्ट अधिनियमों में जल प्रवेश और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974; जल (प्रदूषण की रोकथाम) उपकर अधिनियम, 1977; वन (संरक्षण) अधिनियम, एस वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

भुगतान (संरक्षण) अधिनियम, 1986; सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम,

और जैविक विविधता अधिनियम, 2002।

35. अनुसूची II इस प्रकार हैः

" अनुसूची 2 [धारा 15 (4) और 17 (1) देखें]

किसके लिए प्रतिस्पर्धा या विश्वास

((क) मृत्यु; (बी) स्थायी, अस्थायी, पूर्ण या आंशिक विकलांगता या अन्य चोट या बीमारी;

(ग) पूर्ण या आंशिक अक्षमता या स्थायी के कारण मजदूरी का नुकसान।

या अस्थायी अक्षमता;

(घ) चोटों के इलाज के लिए किए गए चिकित्सा खर्च या

बीमारी;

(ई) निजी संपत्ति को नुकसान; (च) सरकार या किसी स्थानीय द्वारा किए गए खर्च

राहत, सहायता और पुनर्वास प्रदान करने में प्राधिकरण

प्रभावित व्यक्ति;

पर्यावरण के लिए मुआवजे सहित क्षति पर्यावरण की गुणवत्ता का क्षरण और पुनर्स्थापना;

(ज) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को होने वाला नुकसान,

या किसी भी नुकसान का कारण बनने वाली गतिविधि से जुड़ा हुआ; निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(i) दुग्ध और भार वाले जानवरों और जलीय सहित जीवों को किसी भी नुकसान, क्षति या विनाश के कारण दावा

जीव-जंतु;

(जे) जलीय वनस्पतियों, फसलों, सब्जियों, पेड़ों सहित वनस्पतियों को किसी भी नुकसान, क्षति या विनाश के कारण दावा और

फलियाँ;

(के) किसी भी कारण से बहाली की लागत सहित दावे

मिट्टी, हवा, पानी, भूमि और पारिस्थितिकी प्रणालियों के प्रदूषण सहित पर्यावरण को नुकसान या क्षति; (1)
निजी संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति का नुकसान और विनाश

संपत्ति;

((च) व्यवसाय या रोजगार या दोनों का नुकसान;
(एन) खतरनाक पदार्थ के संचालन की किसी भी गतिविधि से उत्पन्न होने वाला या उससे जुड़ा कोई अन्य दावा।

36. धारा 14,15 और अनुसूचियों का एक संयुक्त पठन होगा

जहां उल्लंघन (यानी प्रदूषण या खतरों के संपर्क में आने आदि के कारण होने वाला नुकसान) पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी अधिनियम के उल्लंघन का परिणाम है, वहां मुआवजे के भुगतान जैसे प्रत्यक्ष उपायों के साथ, न्यायनिर्णयन और जहां भी आवश्यकता हो, प्रत्यावर्ती निर्देश दें। फिर भी, इस अदालत की राय में, यह व्याख्या उचित नहीं है। 37. धारा 15 (4) में अनुसूची II का संदर्भ केवल उन घटनाओं के माध्यम से नहीं है जो इसके कारण हुए नुकसान के संबंध में कार्रवाई योग्य हैं -

उस प्रावधान की व्यापक भाषा न्यायाधिकरण (एन. जी. टी.) को अन्य बातों के साथ-साथ "सार्वजनिक स्वास्थ्य, संपत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए" मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने में सक्षम बनाती है। यह व्याख्या मुआवजे के भुगतान के लिए दायित्व के विभाजन के संबंध में धारा 17 (2) को पढ़ने से सामने आती है।

38. इस अदालत के फैसले में इंच लाल तिवारी बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। कमला देवी ', इस अदालत ने माना कि तालाब सार्वजनिक उपयोगिता का गठन करते हैं और वे सामान्य उपयोग के लिए थे। अदालत ने माना कि तालाबों को आवंटित या व्यावसायीकरण नहीं किया जा सकता है, और तालाबों को भरना अवैध है।

हाल ही में, जितेंद्र सिंह बनाम। पर्यावरण और अन्य मंत्रालय ", 5 2001 (6) एससीसी 496

6 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1510 [2020] 6 एस. सी. आर.

एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ निर्देशित एक अपील के विस्तार में, जिसने अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत एक आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें ग्रेटर ए औद्योगिक विकास क्षेत्र में तालाबों को भरने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

39. बहुत पहले, तमिलनाडु राज्य बनाम. एम/एस। हिंद स्टोन और

इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 6. नदियाँ, वन, खनिज और ऐसे अन्य संसाधन किसी भी राष्ट्र की प्राकृतिक संपत्ति होते हैं। इन संसाधनों को किसी एक पीढ़ी द्वारा नष्ट और समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से विकास और संरक्षण करे। यह मानव जाति के हित में है। यह राष्ट्र के हित में है। यह संसद द्वारा मान्यता प्राप्त है। संसद ने घोषणा की है कि यह जनता के लिए समीचीन है

ब्याज जो संघ को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए खानों का विनियमन और खनिजों का विकास। इसमें है।

खान और खनिज (विनियमन और

विकास) अधिनियम, 1957।

40. इसी तरह, लाफार्ज उमियम माइनिंग (प्रा.) में लिमिटेड वी. संघ का

& Ors.³ ये प्रासंगिक अवलोकन किए गए थे:

" 75. उपयोग पर सार्वभौमिक मानव निर्भरता

सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए पर्यावरणीय संसाधन इसे प्रदान करते हैं। पर्यावरण को बदलने से बचना असंभव है। नतीजतन, पर्यावरणीय संघर्ष अपरिहार्य और पर्यावरणीय हैं।

संरक्षण हमेशा एक डिग्री का मामला है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के उचित स्तर और विनियमित किए जाने वाले जोखिमों के रूप में अपरिहार्य रूप से विकल्पों की आवश्यकता होती है। यह पहलू है -

"सतत विकास" की अवधारणाओं द्वारा मान्यता प्राप्त। नर्मदा में इस न्यायालय के फैसले से यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है।

बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ उस वातावरण में है

पर्यावरण के विभिन्न पहलू और देखभाल एक सतत प्रक्रिया है। इन अवधारणाओं ने एक पार-बोर्ड सिद्धांत के निर्माण को खारिज कर दिया क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या किसी दिए गए मामले में मोड़ की अनुमति दी जानी चाहिए।

(7) एस. सी. सी. 338 निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

या नहीं, "नो गो" क्षेत्रों को छोड़कर (जिनकी पहचान फिर से उचित परिश्रम अभ्यास के उपक्रम पर निर्भर करेगी)। ऐसे मामलों में, प्रशंसा सिद्धांत का अंतर लागू होगा।

मेघालय राज्य में बड़े पैमाने पर खनन का सम्मान, इस आधार पर कि इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह इस तथ्य के बावजूद था कि खनन और खानों का विषय पहली अनुसूची के तहत अधिनियमों की सूची में निर्दिष्ट नहीं है। अदालत ने इस तरह के खनन के प्रभाव का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करने वाले एनजीटी के निर्देशों को भी मंजूरी दे दी। पर्यावरण।

42. एनजीटी की कानूनी स्थिति और अधिकार क्षेत्र पर इस अदालत द्वारा मंत्री टेकज़ोन (उपरोक्त) में विचार किया गया था, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एनजीटी के पास "पर्यावरण अधिकारों के प्रवर्तन" के लिए "विशेष अधिकार क्षेत्र" है। यह माना गया था किः

" 41. न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र निम्नानुसार प्रदान किया गया है -

अधिनियम की धारा 14,15 और 16। धारा 14 में प्रावधान है -

सभी दीवानी मामलों पर अधिकारिता जहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है

पर्यावरण से संबंधित अधिकार) शामिल है। लेकिन इस तरह अधिनियमों के कार्यान्वयन से सवाल उठना चाहिए

अनुसूची I में निर्दिष्ट।

42. न्यायाधिकरण के पास अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) के तहत पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान करने का भी अधिकार क्षेत्र है।

के तहत उत्पन्न होने वाले प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति

अनुसूची I में विनिर्दिष्ट अधिनियम. इसके अलावा, धारा के तहत

15 (1) (ख) और 15 (1) (ग) न्यायाधिकरण प्रतिपूर्ति का प्रावधान कर सकता है।

क्षतिग्रस्त संपत्ति और पर्यावरण की बहाली के लिए

ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए जो न्यायाधिकरण उचित समझे। यह है।

उल्लेखनीय है कि धारा 15 (1) (बी) और (सी) को अधिनियम की अनुसूची I अधिनियमों से संबंधित नहीं बनाया गया है। ठीक है तो, यह

शक्तियों की विस्तृत श्रृंखला में एक झलक प्रदान करता है कि

पुनर्स्थापना के संबंध में न्यायाधिकरण को बंद कर दिया गया है पर्यावरण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. अधिनियम की धारा 15 (1) (सी) अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित शक्ति और अधिकार क्षेत्र का एक पूरा द्वीप है। सतत विकास के सिद्धांत, एहतियाती सिद्धांत और

इस न्यायालय द्वारा कई न्यायिक निर्णयों के माध्यम से प्रस्तावित प्रदूषक भुगतान को अब एनजीटी अधिनियम के तहत पर्यावरण न्यायशास्त्र के आधार के रूप में शामिल किया गया है। इसलिए, जहां कहीं भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से समझौता किया जा रहा है और खतरे में डाला जा रहा है, न्यायाधिकरण धारा लागू कर सकता है

20 हित में सुधारात्मक उपाय करने के लिए पर्यावरण।

44. एन. जी. टी. अधिनियम एक लाभकारी कानून होने के नाते, शक्ति

न्यायाधिकरण को दिए गए निर्णय को संक्षिप्त रूप से नहीं पढ़ा जाएगा। पर्यावरण के हितों को आगे बढ़ाने वाली व्याख्या को व्यापक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। (किशोर लाल बनाम देखें। अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। (2007) 4 एस. सी. सी. 579, पैरा 17)। न्यायाधिकरण का अस्तित्व धारा 15 (1) (सी) के तहत इसकी व्यापक पुनर्स्थापनात्मक शक्तियों के बिना धारा 20 के साथ पढ़ा जाता है

अधिनियम, इसे अप्रभावी और दाँत रहित बना देगा, और एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना में विधायी इरादे को धोखा देगा।

विशेष रूप से पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए। न्यायाधिकरण, विशेष रूप से न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ पर्यावरण के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ गठित, पर्यावरण के हित में निवारक और पुनर्स्थापनात्मक उपायों का प्रावधान करने का कानूनी दायित्व रखता है।

45. अधिनियम की धारा 15 शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है,

इसकी धारा 14 से स्वतंत्र। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 15 (3) के साथ जुड़ी धारा 14 (3) न्यायाधिकरण के समक्ष अलग-अलग आवेदन दायर करने के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं।

सीमा की विशिष्ट अवधियों के साथ, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि न्यायाधिकरण की अधिकारिता इन धाराओं (यानी अधिनियम की धारा 14 और 15) से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। धारा 14 में दी गई सीमा उस तारीख से 6 महीने की अवधि है जिस दिन कार्रवाई का कारण पहली बार सामने आया था और जबकि धारा 15 में यह 5 साल है। इसलिए, धारा 14 और 15 को स्व-निहित क्षेत्राधिकार के रूप में रखने का विधायी इरादा स्पष्ट है।

46. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 18 धारा 14 और 15 के तहत आवेदन दायर करने के अधिकार को मान्यता देती है। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि धारा 14 निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

न्यायाधिकरण जबकि धारा 15 केवल उसी का पूरक है शक्तियों के साथ। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि न्यायाधिकरण की विशिष्ट प्रकृति, अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ अनुसूचित अधिनियमों के तहत प्रदान की गई शक्तियों की व्यापकता, कुल मिलाकर, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि इन प्रावधानों की एकमात्र स्थायी व्याख्या प्रावधानों को व्यापक रूप से पढ़ना होगा।

न्यायाधिकरण को प्रभावी अधिकार से ढकने का पक्ष। अ.

व्याख्या जो अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के पक्ष में है अधिकार क्षेत्र को छीनने के बजाय इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

47. अधिनियम की धारा 33 में निहित किसी भी असंगत चीज़ पर अधिनियम के प्रावधानों को एक प्रमुख प्रभाव प्रदान करता है।

के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी अन्य कानून या किसी साधन में

इस अधिनियम के अलावा अन्य कानून। यह न्यायाधिकरण को ओवरराइड करता है

के. आई. ए. डी. अधिनियम में निहित किसी भी असंगत चीज़ पर शक्तियाँ,

योजना अधिनियम, कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976

(" के. एम. सी. अधिनियम) और बेंगलुरु का संशोधित मास्टर प्लान, 2015 (आर. एम. पी.)। भारत के संविधान की सूची I अनुसूची VII की प्रविष्टि 13 के तहत अधिनियमित एक केंद्रीय कानून राज्य विधानों पर प्रबल प्रभाव। परिणाम यह है कि

क्षेत्र निर्धारण के विपरीत विशिष्ट झीलें और जल निकाय इन कानूनों या आर. एम. पी. के तहत विनियम।

43. यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि धारा के तहत

15 (1) (बी) और 15 (1) (सी), एनजीटी के पास निर्देश देने और "क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली और संपत्ति की बहाली" के लिए प्रावधान करने की शक्ति है।

ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण जो न्यायाधिकरण उचित समझे। यह उल्लेखनीय है कि धारा 15 (1) (बी) और (सी) नहीं बनाई गई है।

अधिनियम की अनुसूची I अधिनियमों से संबंधित "। हालांकि एक दिशा धारा 15 (1) (ए) के तहत मुआवजे के लिए पहली अनुसूची के तहत निर्दिष्ट अधिनियमों के उल्लंघन से संबंधित है, धारा के तहत शक्ति

17 ऐसा प्रतीत होता है कि इसे व्यापक रूप से लिया गया है।

44. जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 17 (1) पहली अनुसूची के अधिनियमों को संदर्भित करती है; यह किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट या किसी संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान की बात करती है जो दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है। या किसी गतिविधि या संचालन या प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव,

अनुसूची I में कोई भी अधिनियम। अधिनियमों में से एक पर्यावरण है

संरक्षण अधिनियम, 1986 (इसके बाद "ईपीए")।

20] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. ईपीए के तहत "पर्यावरण" की परिभाषा व्यापक है और एक समावेशी हैः " पर्यावरण में जल, वायु और भूमि शामिल हैं और

जल, वायु और भूमि और मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच और उनके बीच अंतर-संबंध। 10 इसी तरह, "पर्यावरण प्रदूषक" और "पर्यावरण प्रदूषण" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" पर्यावरणीय प्रदूषक "का अर्थ है कोई ठोस, तरल या गैसीय।

ऐसी सांद्रता में मौजूद पदार्थ जो हो सकता है, या हो सकता है

पर्यावरण के लिए हानिकारक होना ",

" पर्यावरण प्रदूषण "का अर्थ है इसमें उपस्थिति

किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषक का पर्यावरण;

ई. पी. ए. की धारा 3 (1) केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में व्यापक शक्ति प्रदान करती हैः

" 3. केंद्रीय सरकार को लेने की शक्ति

पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उपाय।

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्रीय

सरकार के पास ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी।

जैसा कि वह इस उद्देश्य के लिए आवश्यक या समीचीन समझता है

पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करना और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने से रोकना।

46. बहुत पहले, एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ 1 3 इस न्यायालय ने खनन के कारण पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान को मान्यता दी

संचालनः

" कानूनी मापदंड

45. हवा, पानी और मिट्टी के प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग नहीं किया जा सकता है यदि उपयोग के परिणामस्वरूप पर्यावरण को अपरिवर्तनीय नुकसान होता है। पर्यावरण के क्षरण में तेजी आई है

मुख्य रूप से पर्यावरण कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन की कमी और वैधानिक नियमों का पालन न करने के कारण

मानक। इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण का आनंद लेने का अधिकार शामिल है-मुफ्त पानी और

10 धारा 2 (ए) ईपीए 11 धारा 2 (बी) ईपीए 12 धारा 2 (सी) ईपीए

13 (2004) 12 एस. सी. सी. 118 निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग एयूटीएच। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जीवन के पूर्ण आनंद के लिए हवा। (सुभाष कुमार बनाम देखें। की स्थिति

बिहार [(1991) 1 एस. सी. सी. 598.)

XXXXXX

XXXXXX

X

XXXXX

47. खनन कार्य प्रकृति में खतरनाक है। यह बाधित करता है।

पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों का अधिकार। पूरा मामला

खनन कार्य की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया

की ओर से अत्यधिक अच्छे विश्वास और ईमानदारी की आवश्यकता है

इच्छुक उद्यमी। किसी भी खनन गतिविधि को जारी रखने के लिए

बस्ती के पास जो पर्यावरण को खराब करने की प्रवृत्ति रखता है

और हवा, पानी और मिट्टी को प्रभावित करने और गुणवत्ता को खराब करने की संभावना है क्षेत्र के निवासियों के जीवन का, वहाँ अधिक होगा

उद्यमी की ओर से जिम्मेदारी। सबसे पूर्ण

संभावित वृद्धि के परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा और डिग्री, शुरू में ही बनाई जानी चाहिए

ताकि जनता और सभी संबंधित लोग

अधिकारी तय कर सकते हैं कि क्या अनुमति दी जा सकती है

खनन गतिविधि को जारी रखने के लिए अनुदान। नियामक

अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी

ऐसे सुरक्षा उपायों, मानदंडों और मानकों का पालन करना

उद्यमी। जब पूछताछ की जाती है, तो नियामक प्राधिकरण यह दिखाना होगा कि उक्त अधिकारियों ने इस तरह से काम किया

उन्हें आदेश दिया। जहाँ नियामक प्राधिकरण, या तो त्वरित कार्रवाई न करके लापरवाही से कार्य करना

पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकना, बचना या नियंत्रित करना, प्राकृतिक

संसाधन और लोगों का जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति, सिद्धांत

लागू किया जाता है।

47. ई. पी. ए. के प्रावधानों के तहत कार्य करते हुए, केंद्र सरकार

ई. पी. ए. की धारा 3 (2) और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 5 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई. आई. ए.) को अनिवार्य करने के लिए आई. डी. 1 पर एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के संदर्भ में, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और मंजूरी थी

विभिन्न प्रक्रियाओं और उद्योगों के लिए आवश्यक। खनन को भी अधिसूचना के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था; एकमात्र अपवाद यह था कि पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए छोटे खनिज पट्टों को छूट दी गई थी। स्पष्ट रूप से, इसलिए, केंद्र सरकार ने प्रमुख और लघु खनिज निष्कर्षण को ई. पी. ए. के दायरे में शामिल किया।

20] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. समय के साथ कई अनियमितताएं देखी गईं, जिनके साथ

बालू सहित लघु खनिज निष्कर्षण के संबंध में, और उन गतिविधियों के लिए कड़े नियम लागू करने की आवश्यकता थी। 2010 में प्रस्तुत तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ., अब एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी.) की एक रिपोर्ट प्रचलित मानदंडों की आलोचनात्मक थी। नतीजतन, इस अदालत और एनजीटी ने पांच हेक्टेयर से कम की परियोजनाओं के लिए ईसी को अनिवार्य बनाने के आदेश और निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने भी पहल की

उपाय।

49. इस अदालत की निम्नलिखित टिप्पणियां दीपक में की गई थीं।

कुमार बनाम. हरियाणा राज्य "4:

" 18. विभिन्न राज्यों और विशेषज्ञों की टिप्पणियां और सुझाव

एम. ओ. ई. एफ. आयोजित चर्चा और उसके बाद के सुझावों के आधार पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई और सभी को वितरित की गई

सदस्यों को उनके आगे के इनपुट के लिए। रिपोर्ट आगे थी

इसे अंतिम रूप देने के लिए 29-1-2010 पर चर्चा की गई। टिप्पणियाँ /

पूरे क्षेत्र में नदी तल खनन सहित छोटे खनिज देश।

19. एक आसान संदर्भ के लिए, हम मुद्दों को निकाल सकते हैं और

एम. ओ. ई. एफ. द्वारा की गई सिफारिशें जो इस प्रकार हैं:

" 4.0 . मुद्दे और सिफारिशें

XXXXXX

XXXXXX

X

XXXXX

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि खनिजों को वर्गीकृत किया गया है।

प्रमुख और छोटे खनिजों में उनके अंतिम उपयोग के आधार पर उत्पादन के स्तर, मशीनीकरण के स्तर, निर्यात और

आयात आदि। सिलिका की कुछ छोटी खनिज खदानें मौजूद हैं। रेत और चूना पत्थर जहां मशीनीकरण और स्तर का पैमाना

औद्योगिक खनिज की तुलना में उत्पादन बहुत अधिक है। खदानें। इसके अलावा, आर्थिक लागत और राजस्व के संदर्भ में, यह

अनुमान लगाया गया है कि लघु खनिजों का कुल मूल्य यह खनिज उत्पादन के कुल मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत है।

14 (2012) 4 एस. सी. सी. 629 क्षेत्रीय सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्गटी. एच. भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जबकि गैर-धातु खनिजों के मूल्य में केवल शामिल हैं 3 % . अतः यह स्पष्ट है कि लघु खनिजों की खानों का संचालन कुछ नियामकीय नियमों के अधीन होना चाहिए।

प्रमुख खनिजों की खानों के रूप में मापदंड।

इसके अलावा, भारत के विपरीत ऐसा कोई नहीं है

प्रमुख और लघु श्रेणियों में खनिजों को वर्गीकृत करने के लिए अन्य देशों में अंतिम उपयोग पर आधारित प्रणाली। इस प्रकार, 'लघु खनिजों' की परिभाषा पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो के साथ, राज्य सरकारों के परामर्श से वर्गीकरण की फिर से जांच की जा सकती है - प्रमुख और लघु श्रेणियों में खनिज ताकि नियामक पहलुओं और पर्यावरण शमन उपायों

टिकाऊ और टिकाऊ सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से एकीकृत

पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव वाले वैज्ञानिक खनन। XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

4.5 . लघु खनिजों के लिए खदान योजना की आवश्यकता

वर्तमान में, अधिकांश राज्य सरकारों ने ऐसा नहीं किया है

यह लघु खनिजों के संबंध में खनन योजना तैयार करने के लिए अनिवार्य है। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में पर्यावरण के अनुकूल खनन

योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिन्हें राज्य खनन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इस तरह से तैयार की गई पर्यावरण के अनुकूल खनन योजनाएं, हालांकि वैचारिक रूप से स्वागत योग्य हैं, कम पाई जाती हैं और उन्हें इस तरह से व्यापक बनाने की आवश्यकता है जैसा कि किया जा रहा है। प्रमुख खनिजों के लिए किया जाता है। इसके अलावा, खनन किए गए क्षेत्रों के सुधार और पुनर्वास के पहलुओं, प्रगतिशील खदान बंद करने की योजना, जैसा कि प्रमुख खनिजों के लिए प्रचलित है, के लिए पेश किया जा सकता है।

छोटे खनिज भी।

यह सिफारिश की जाती है कि तैयारी के लिए प्रावधान और

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लघु खनिजों के खनन को नियंत्रित करने वाले नियमों में प्रमुख खनिजों के मामले में खदान योजना की मंजूरी उचित रूप से प्रदान की जा सकती है। इनमें विशेष रूप से खनन क्षेत्र के सुधार और पुनर्वास, प्रगतिशील खदान बंद करने की योजना और खदान के बाद भूमि उपयोग का प्रावधान शामिल होना चाहिए।

4.6 . लघु खनिजों की खानों के सुधार/पुनर्वास के लिए अलग कोष का निर्माण [2020] 6 एस. सी. आर.

हमारे देश में लघु खनिजों का खनन बड़े पैमाने पर एक असंगठित क्षेत्र है और इसका अव्यवस्थित और अव्यवस्थित तरीके से अभ्यास किया जाता है। अवैज्ञानिक तरीके से। कभी-कभी, पट्टे का आकार भी खनन किए गए क्षेत्रों के सुधार और पुनर्वास के मुद्दे को संबोधित करने के लिए बहुत छोटा होता है। इसलिए यह वांछनीय हो सकता है कि लघु खनिजों के लिए खदान बंद करने की योजना की अवधारणा से पहले

अपनाया गया, मौजूदा परित्यक्त खदानों को राज्य सरकार की भागीदारी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और उनका पुनर्वास किया जा सकता है। इस प्रकार एक अलग कोष बनाने की आवश्यकता है, जो हो सकता है खनन क्षेत्रों के सुधार और पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकारें प्रदूषक पर इस तरह के कोष के निर्माण के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार कर सकती हैं

भुगतान का सिद्धांत। इन गतिविधियों को शुरू करने और उनकी निगरानी के लिए एक संगठनात्मक संरचना बनाने की भी आवश्यकता हो सकती है।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

4.8 . समान लघु खनिज रियायत नियम देश में खुदाई किए गए लघु खनिजों के आर्थिक मूल्य का कुल आय में लगभग 9 प्रतिशत योगदान होने का अनुमान है।

खनिजों का मूल्य जबकि गैर-धातु खनिजों का योगदान लगभग 2.8 प्रतिशत है। व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए

शासन। 4.9 . नदी के किनारे खनन

4.9. 1 . रेत, बाजार और पत्थरों के अनियंत्रित नदी तल खनन के कारण होने वाली पर्यावरण क्षति अदालतों सहित काफी ध्यान आकर्षित कर रही है। इसलिए नदी तल खनन के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

5.0 . निष्कर्ष

छोटे खनिजों के खनन, हालांकि व्यक्तिगत रूप से, खदान पट्टों के छोटे आकार के कारण, प्रमुख खनिजों के खनन की तुलना में कम प्रभाव पड़ता है।

हालांकि, गतिविधि क्षेत्रीय सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय उच्च मार्गटीएच। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

समग्र रूप से महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है पर्यावरण। इसलिए यह आवश्यक है कि लघु खनिजों का खनन सरल लेकिन सख्त नियामक व्यवस्था के अधीन हो।

और केवल खनन के एक अनुमोदित ढांचे के तहत किया जाता है

योजना, जिसमें सुधार और पुनर्वास का प्रावधान होना चाहिए

खनन किए गए क्षेत्रों से। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टों को प्रदान करते समय किसी भी पर्यावरण के स्थान

प्रस्तावित खनन क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र के भीतर नाजुक क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले जुड़े हुए नियम/अधिसूचनाएं और

न्यायिक घोषणाएँ, यदि कोई हों, को विधिवत नोट करने की आवश्यकता है। द.

भारतीय खनन ब्यूरो के साथ केंद्रीय खान मंत्रालय

इसलिए खानों और संबंधित राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत नियम, 1960 के तहत इस संबंध में आवश्यक प्रावधान करने चाहिए और सभी राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले मॉडल दिशानिर्देशों को अपनाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

20. रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि छोटे खनिजों की खानों के संचालन को प्रमुख खनिजों की खानों की तरह सख्त नियामक मानकों के अधीन करने की आवश्यकता है। "लघु खनिजों" की परिभाषा पर फिर से विचार करना भी आवश्यक महसूस किया गया। तैयारी की आवश्यकता

" निकटवर्ती खंडों के लिए व्यापक खान योजना

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खनिज भंडार को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है और इसे खान मंत्रालय द्वारा खनिज रियायत नियम, 1960 में उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकता है।

21. इसके अलावा, यह भी सिफारिश की गई कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश यह देखें कि लघु खनिजों का खनन

सरल लेकिन सख्त नियामक व्यवस्था के अधीन और केवल खनन योजना के एक अनुमोदित ढांचे के तहत किया जाता है, जो खनन किए गए क्षेत्रों के सुधार और पुनर्वास के लिए प्रावधान करना चाहिए। खनन योजना के स्तर पर ध्यान देना चाहिए

उत्पादन, मशीनीकरण का स्तर, लघु खनिजों के खनन में उपयोग की जाने वाली मशीनरी का प्रकार, डीजल की मात्रा

खपत, उखड़े गए पेड़ों की संख्या, खनन खनिजों का निर्यात और आयात, पर्यावरणीय प्रभाव, वनस्पतियों की बहाली और 2010 के नियमों में निर्दिष्ट अन्य मामले। ए.

खनन समूह (2020) 6 एस. सी. आर. पर भी उचित ढांचा विकसित किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

छोटे खनिजों के लिए जिनके लिए एक क्षेत्रीय होना चाहिए

पर्यावरण प्रबंधन योजना। एक और महत्वपूर्ण निर्णय

यह लिया गया था कि खनन पट्टों को प्रदान करते समय

संबंधित राज्य सरकारें, किसी भी पर्यावरण-नाजुक का स्थान

प्रस्तावित खनन क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र के भीतर क्षेत्र,

ऐसे क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले जुड़े हुए नियम/अधिसूचनाएँ और

न्यायिक घोषणाएँ, यदि कोई हों, को विधिवत नोट करने की आवश्यकता है।

X

XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

28. केंद्र सरकार को भी इसके लिए कदम उठाने चाहिए लघु खनिज संरक्षण और विकास को लागू करना

नियम, 2010 जल्द से जल्द। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक नियम बनाने के लिए भी तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए

खान और खनिज (विकास) की धारा 15 के तहत

मार्च 2010 की अपनी रिपोर्ट में एम. ओ. ई. एफ. की सिफारिशें और खान मंत्रालय, सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल दिशानिर्देश

भारत से। इस आदेश की प्रति एम. ओ. ई. एफ. को भेजें,

सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली; जल मंत्रालय

संसाधन, केंद्र सरकार जल प्राधिकरण; प्रमुख

संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, जो

29. हम, इस बीच, आदेश देते हैं कि छोटे खनिजों को पट्टे पर दिया जाए पाँच हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए उनके नवीनीकरण सहित

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त करने के बाद ही प्रदान किया जाएगा

एम. ओ. ई. एफ. से पर्यावरण मंजूरी। तदनुसार आदेश दिया।

50. एक अधिसूचना के आधार पर, 1 5 पर्यावरण मंजूरी है

लघु खनिज निष्कर्षण के लिए भी आवश्यक है जहां संचालन का क्षेत्र 5 हेक्टेयर से कम है; उस अधिसूचना के परिशिष्ट XI के तहत प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है। स्पष्ट रूप से, इसलिए, छोटे खनिजों का खनन, जब बड़े पैमाने पर किया जाता है (यानी जहां कुछ से अधिक पट्टे या परमिट दिए जाते हैं), तो पर्यावरण पर संभावित प्रभाव पड़ता है। में

इस मामले के तथ्यों के अनुसार, राज्य ने आसपास के क्षेत्र में कम से कम 62 छोटे खनिज परमिट दिए थे; अनधिकृत गतिविधि (अन्य बातों के साथ, अधिक खनन और मलबे के ढेर के रूप में) के परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया गया था। स्पष्ट रूप से, वर्तमान मामले में ई. पी. ए. का उल्लंघन हुआ था,

15 भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 14 अगस्त, 2018 को प्रकाशित सं. 3181।

भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

क्योंकि राठौड़ के खनन पट्टे में 5 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र शामिल था; यह 2006 की नियामक अधिसूचना के अंतर्गत आता है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि प्रासंगिक मंजूरी राठौड़ द्वारा प्राप्त की गई थी। स्पष्ट रूप से, इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों ने ई. पी. ए. के उल्लंघन का खुलासा किया-एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध एक अधिनियम। इसका मतलब था कि धारा 15 (1) (ए) और धारा 17 के तहत एनजीटी के अधिकार क्षेत्र को विवादित नहीं किया जा सकता था।

51. ई. पी. ए. के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के संसदीय इरादे को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत की यह सुविचारित राय है कि "पर्यावरण" और "पर्यावरण प्रदूषण" अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 ए के अंतर्निहित सिद्धांतों को प्रभावी बनाता है। ई. पी. ए. मूल रूप से एक व्यापक कानून है जो जल अधिनियम और वायु अधिनियम जैसे अन्य कानूनों के तहत स्थापित विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए केंद्र सरकार के लिए एक व्यापक ढांचा लागू करता है। ई. पी. ए. पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण विधायी नीति को भी प्रभावी ढंग से स्पष्ट करता है। यह. प्रदूषण नियंत्रण की एक संकीर्ण अवधारणा से पर्यावरण संरक्षण के एक व्यापक पहलू तक कथा और जोर को बदल देता है। पर्यावरण की विस्तृत परिभाषा जिसमें जल, वायु और भूमि शामिल हैं और जल, वायु और भूमि, अन्य मानव जीवों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच और उनके बीच मौजूद अंतर्संबंध केंद्र सरकार को प्रदत्त व्यापक शक्तियों का संकेत देते हैं। पर्यावरण संबंधी कानूनों पर एक व्यापक जाल डाला जाता है। ई. पी. ए. केंद्र सरकार को व्यापक रूप से नियंत्रण करने का भी अधिकार देता है।

औद्योगिक और संबंधित गतिविधियों से पर्यावरण प्रदूषण। इन कारणों से और उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि एनजीटी ने इस मामले के तथ्यों में दुर्घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया।

II. क्या मृत्यु के लिए मुआवजे का भुगतान करने और क्षतिपूर्ति के लिए नुकसान का निर्देश उचित था?
52. वर्तमान मामले में, मृतक राजमार्ग पर यात्रा कर रहे थे। बाढ़ की घटना हुई, और पानी के चैनलों के बंद होने के कारण हुई थी। उप-मंडल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि निरीक्षण इंजीनियर (आर्वी एसोसिएट्स, एक फर्म) ने निरीक्षण के बाद एक रिपोर्ट दी थी। एनएचएआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियरिंग फर्म की ओर से उप-मंडल अधिकारी के समक्ष मौखिक बयान दिया गया था। यह कहा गया था कि सड़क के किनारे के चैनल और पुलिया जहां से पानी का निपटान किया जाता है, को स्क्रीन [2020] 6 एस. सी. आर. के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

पानी के निपटान के लिए वहाँ अंधा और 1.2 मीटर व्यास की एक पाइपलाइन मौजूद थी। उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया था दुर्घटना की घटना से पहले रियायत प्राप्तकर्ता। यह भी कहा गया था कि एनएचएआई के निर्देशों के संदर्भ में, रियायत प्राप्तकर्ता को 15.05.2013 पर कमी के बारे में और 04.06.2013 दिनांकित एक और पत्र द्वारा सूचित किया गया था। रियायत पाने वाले से मानसून पूर्व कार्य पूरा करने के लिए एक कार्य योजना मांगी गई थी। हालांकि, रियायत प्राप्तकर्ता ने एक महीने के अंतराल के बावजूद एक कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की।

53. एस. डी. ओ. की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिया का निर्माण नई सुरंग से किया गया था और यह 2004 से मौजूद था। जाहिरा तौर पर 1 मीटर

व्यास वाली पाइप को पुलिया में रखा गया था और एक सेतु बनाया गया था। एक होटल ने एक संपर्क सड़क का भी निर्माण किया था और 950 एमएम पाइप लगाया था। ऑक्ट्राय पोस्ट और होटल की मौजूदा जल निकासी क्षमता भारी बारिश के कारण अपर्याप्त थी, जिसके परिणामस्वरूप बारिश का पानी पूरी तरह से नहीं निकला था। यह पानी सड़क पर जमा होने लगा। टाटा मोटर्स द्वारा इसकी सुविधा के लिए कुछ रैंप भी बनाए गए थे; उन्हें रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा हटा दिया गया था; फिर भी, रैंप फिर से तैयार किए गए थे। मौजूदा क्रॉस ड्रेनेज प्रावधान एक उप-पुलिया-प्रकार की संरचना का था और पुराने राजमार्ग के समय इसका आकार 1 मीटर x 1 मीटर था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्राकृतिक जल निकासी और राजमार्ग की पहाड़ियों के किनारे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे और उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। ऊपर की दाहिनी ओर पानी का निपटान

कैच ड्रेन के माध्यम से पुराने राजमार्ग पर क्रॉस ट्रेन के माध्यम से सुरंग और बाद में पानी के प्रवाह के लिए चैनल बंद हो गए थे विकास कार्य और वर्षा जल निकासी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट इंगित करती है कि 06.06.2013 पर दुर्घटना के बाद, स्थानीय

प्रशासन ने कैच ड्रेन पुलिया में पानी के मुक्त प्रवाह और आगे के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए बाधाओं को पैदा करने वाले मलबे को हटा दिया।

पानी।

54. राजमार्गों के संबंध में कानूनी स्थिति को दो रूपों में रेखांकित किया गया है।

अधिनियम, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ("राजमार्ग अधिनियम") और एनएचएआई अधिनियम। राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान, जिस हद तक प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैं:

" 4. राष्ट्रीय राजमार्ग संघ में निहित होंगे। — सभी राष्ट्रीय राजमार्ग संघ में निहित होंगे, और इसके उद्देश्यों के लिए

अधिनियम "राजमार्ग" में शामिल हैं

(i) उससे संबंधित सभी भूमि, चाहे सीमांकित हो या नहीं; क्षेत्रीय सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय उच्च न्यायालय

[एच. ऑफ इंडिया बनाम आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

((ख) ऐसे राजमार्गों पर या उनके पार निर्मित सभी पुल, पुलिया, सुरंग, सेतु मार्ग, कैरिजवे और अन्य संरचनाएँ;

5. विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी की उचित मरम्मत में विकास और रखरखाव करे।

राष्ट्रीय राजमार्ग; लेकिन केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास या रखरखाव के संबंध में कोई भी कार्य, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं,

राज्य सरकार जिसके भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग है

केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा स्थित।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

8 ए. समझौतों में प्रवेश करने की केंद्र सरकार की शक्ति

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ समझौता कर सकती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरे या किसी भाग के विकास और रखरखाव के संबंध में।

(2) धारा 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति संग्रह करने का हकदार है और

उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं या लाभों के लिए ऐसी दर पर शुल्क बनाए रखें जो केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरे या हिस्से के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन में शामिल खर्च, निवेश की गई पूंजी पर ब्याज, उचित रिटर्न, यातायात की मात्रा और ऐसे समझौते की अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को निम्नलिखित के अनुसार यातायात को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्तियां होंगी -

6 एस. सी. आर. बनाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अध्याय VIII में निहित प्रावधान।

उचित प्रबंधन के लिए इस तरह के समझौते का विषय

वहाँ से "।

55. एनएचएआई अधिनियम की धारा 16 के कार्यों को बताती है

एन. एच. ए. आई.; यह इस प्रकार है:

" 16. प्राधिकरण के कार्य। - (1) बनाए गए नियमों के अधीन

केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में, यह होगा -

विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए प्राधिकरण का कार्य

राष्ट्रीय राजमार्गों और किसी अन्य राजमार्ग में निहित, या

इसे सरकार द्वारा सौंपा गया है। केंद्र द्वारा बनाए गए नियम

इस संबंध में सरकार का कार्य होगा -

राष्ट्रीय विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए प्राधिकरण

राजमार्गों और किसी अन्य राजमार्ग में निहित या सौंपे गए, सरकार द्वारा "।

56. अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हुए, एनएचएआई ने एक

राजमार्ग के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए रियायत प्राप्तकर्ता के साथ समझौता (यानी 140 किलोमीटर का हिस्सा जिस पर दुर्घटना हुई थी)। सवाल यह है कि क्या एनएचएआई, जो निर्विवाद रूप से राजमार्ग का स्वामित्व और नियंत्रण करता है, और जिसकी ओर से इसका निर्माण किया गया था, और जिसके लिए रखरखाव और संचालन समझौता किया गया था। (राजमार्ग के) उपयोगकर्ताओं के लिए देखभाल के कर्तव्य के लिए प्रवेश किया गया था।

57. यह मुद्दा राजकोट नगर निगम में उठा था। वी.

मंजुलबेन जयंतीलाल नकुम "कुछ तथ्यों के संदर्भ में। द.

मृतक अपने कार्यालय के काम में भाग लेने के लिए रेलवे सीज़न के टिकट पर राजकोट जाता था। एक दिन जब वह अपने रास्ते में फुटपाथ पर थे

कार्यालय, सड़क के किनारे एक पेड़ अचानक उन पर गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं, और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। इस अदालत ने जनता के सदस्यों की देखभाल के लिए एक सामान्य कानून

कर्तव्य के बीच के अंतर को नोट किया, और क्या किसी स्थानीय प्राधिकरण पर अपने वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए दायित्व लगाया जा सकता है। अदालत ने पिछले अंग्रेजी फैसलों 1 7 पर ध्यान दिया और

उन्होंने कहा कि

" 18. सवाल यह उठता है कि उल्लंघन कब होगा

एक विशेष अधिनियम के तहत वैधानिक कर्तव्य यातना को जन्म देता है दायित्व? वैधानिक कर्तव्य नागरिक कार्रवाई को जन्म देता है। द.

16 (1997) 9 एस. सी. सी. 552 17 गोरिस वी। स्कॉट [(1874) 9 एक्सच 125] और किल्गोलान बनाम। विलियम कुक एंड कंपनी लिमिटेड (1956) 2 ऑल ई. आर. 295, सी. ए.] ई. सी. टी. ओ. आर. जनरल (रोड डेवलपमेंट) राष्ट्रीय राजमार्ग

टी. एच. भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

वैधानिक लापरवाही सामान्य है और किसी भी अन्य प्रकार के यातनापूर्ण दायित्व से स्वतंत्र है। इसलिए, प्रत्येक वैधानिक कर्तव्य के निर्माण से यह पता लगाना आवश्यक होगा कि क्या विशेष कर्तव्य सार्वजनिक कानून में सामान्य कर्तव्य है या वादी के प्रति निजी कानून कर्तव्य है। वादी को यह दिखाना होगा कि (ए) लगी चोट क़ानून के दायरे में है; (बी) वैधानिक कर्तव्य नागरिक कार्रवाई के लिए दायित्व लगाता है; (सी) वैधानिक कर्तव्य पूरा नहीं किया गया था; और (डी) कर्तव्य के उल्लंघन ने उसे चोट पहुंचाई है। प्रत्येक मामले में इन आवश्यक बातों पर विचार किया जाना आवश्यक है। वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए कार्रवाई या तो सख्त या पूर्ण दायित्व की श्रेणी से संबंधित हो सकती है, जिस पर कानूनी कर्तव्य की प्रकृति में विचार किया जाना आवश्यक है, इसलिए, प्रतिवादी वादी का ऋणी है; क्या कर्तव्य पूर्ण है या नहीं; और कर्तव्य में अंतर्निहित सार्वजनिक नीति। ज्यादातर मामलों में, क़ानून तब तक कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि इसका उल्लंघन नहीं किया जाता है और इसने वादी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, हालांकि कभी-कभी क़ानून स्वयं कर्तव्य के उल्लंघन को कार्रवाई योग्य बना सकता है। इसलिए, संभावनाओं के संतुलन पर यह साबित करने का भार वादी पर है कि

प्रतिवादी की देखभाल का कर्तव्य वादी या व्यक्तियों के उस वर्ग के प्रति है जिससे वह संबंधित है, कि प्रतिवादी उस कर्तव्य के प्रदर्शन या चूक में लापरवाही कर रहा था और कर्तव्य के उल्लंघन के कारण या भौतिक रूप से उसकी चोट में योगदान दिया और देखभाल का कर्तव्य प्रतिवादी पर है। यदि कानून को स्वैच्छिक गैर-उपयुक्त नुकसान के सिद्धांत पर कुछ सुरक्षा की आवश्यकता है, तो देयता को बाहर रखा जाता है। किसी कानून द्वारा बनाए गए कर्तव्य का उल्लंघन, यदि इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को प्रथम दृष्टया नुकसान होता है, तो वह यातना है जिसके लिए हर्जाने के लिए कार्रवाई मुकदमे में होगी। कानून के उद्देश्य का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी को कर्तव्य के उल्लंघन के लिए कोई अधिकार और उपाय प्रदान किया गया है, आमतौर पर अधिनियम को समग्र रूप से लिया जाता है। इसलिए, हर मामले में यह आवश्यक होगा कि विधानमंडल का उद्देश्य पता लगाया जाए। कर्तव्य और उसके परिणामस्वरूप कार्रवाई या चूक से हुए परिणाम, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। यदि कानून के उचित निर्माण पर इरादा यह है कि कोई अन्य उपाय उपलब्ध है तो नुकसान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कानून के इरादे को निर्धारित करने में परीक्षणों में से एक यह पता लगाना है कि क्या कर्तव्य मुख्य रूप से आम जनता या समुदाय के लिए है और केवल संयोग से किसी व्यक्ति [2020] 6 एस. सी. आर. के लिए है।

कानून का उद्देश्य किसी विशेष नागरिक या नागरिकों के विशेष वर्ग की रक्षा करना है, जिससे वादी संबंधित है। एक ही समय में उन नागरिकों में निहित मूल अधिकार पैदा करता है जिनमें से एक वादी है; उसके पास प्रवर्तन के लिए उपाय है, अर्थात्, लापरवाही के कारण या इसकी विफलता के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए हर्जाने के लिए कार्रवाई। लेकिन यह परीक्षण हमेशा निर्णायक नहीं होता है।

19. कर्तव्य का इतना सर्वोपरि महत्व हो सकता है कि यह सभी जनता के प्रति ऋणी है। यह सोचना गलत होगा कि किसी कार्रवाई पर, शुल्क को नुकसान के रूप में लागू किया जा सकता है जब शुल्क जनता के किसी वर्ग के लिए देय होता है और इसे तब लागू नहीं किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है जिसे निगम का कोई कर्तव्य नहीं है और किसी निजी हित का उल्लंघन नहीं किया जाता है। इसलिए, वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन की जांच उस संदर्भ में की जानी चाहिए जिसमें कर्तव्य व्यक्ति के प्रति नहीं बनाया गया है, बल्कि समाज के प्रति व्यक्ति के अधिकार पर इसका प्रभाव पड़ता है। वैधानिक कर्तव्य आम तौर पर बड़े पैमाने पर जनता के प्रति होता है और नहीं

किसी व्यक्ति या व्यक्ति और मूल अधिकार की ओर सार्वजनिक में निहित है और निजी व्यक्ति में नहीं, भले ही उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसे मामले में कर्तव्य यह है कि

लोक-उत्साही व्यक्ति द्वारा आपराधिक अभियोजन के माध्यम से या सी. पी. सी. की धारा 192 के तहत मुकदमे पर निषेधाज्ञा के माध्यम से या आदेश I, नियम 8 सी. पी. सी. के तहत अदालत की अनुमति के साथ लागू किया जाता है।

या किसी भी उचित तरीके से अधिकार को लागू करने के लिए और नुकसान के लिए निजी कार्रवाई के माध्यम से नहीं। इस स्थिति में,

विधायिका, एक घायल व्यक्ति में निहित निजी अधिकार को मान्यता देते हुए, यह इरादा रख सकती है कि इसे केवल किसी विशेष मामले के लिए प्रदान किए गए किसी विशेष उपचार द्वारा बनाए रखा जाएगा, न कि जुर्माने के रूप में नुकसान के लिए कार्रवाई के सामान्य तरीके से।

या क्षतिपूर्ति।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

24. आम तौर पर, एक सार्वजनिक प्राधिकरण जिसे किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई वैधानिक दायित्व नहीं सौंपा गया है, ऐसा करने के लिए देखभाल के सामान्य कानून कर्तव्य के तहत नहीं आता है, लेकिन आचरण द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण खुद को ऐसी स्थिति में डाल सकता है कि वह देखभाल के कर्तव्य को आकर्षित करता है जिसके लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है।

सामान्य चित्रण सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग[एच. ऑफ इंडिया बनाम आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आवश्यक चेतावनी। यह प्राधिकरण का आचरण है जिसमें उस खतरे को पैदा करना जो परिकल्पना के अनुसार देखभाल के कर्तव्य को आकर्षित करता है

शेपर्ड वी। बरो ऑफ ग्लोसॉप [(1921) 3 KB 132: 1921

एक नागरिक कार्रवाई लेकिन यह सूत्रीकरण बनाता है जिस पर आम कानून कार्रवाई का कारण बना सकता है।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

वे कार्य करने के कर्तव्य के अधीन हैं या इस पर विचार करने में विफलता के लिए कि क्या उन्हें इस इरादे से प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करना कि

यदि और जब लोक हित में इसकी आवश्यकता होगी तो इसका प्रयोग किया जाएगा।

जहाँ सार्वजनिक प्राधिकरण ने एक शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया है

और इसे लापरवाही से एक ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसने निर्भरता में काम किया है सार्वजनिक प्राधिकरण ने जो किया है, उसमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती है

यह साबित करने में कि उसे जो नुकसान हुआ है लापरवाही के कारण। जहाँ नुकसान हुआ है

लापरवाही से कार्य करने में विफलता से अधिक कठिनाई हो सकती है।

विवरण। ..... 58. यू. के. में, एक राजमार्ग प्राधिकरण के कर्तव्य का वर्णन किया गया था

ग्रिफिथ्स बनाम में ओक एल. जे. लिवरपूल कॉर्पोरेशन "निम्नानुसार हैः

" सामान्य कानून में बनाए रखने का कर्तव्य, जिसमें एक कर्तव्य शामिल है

बनाए रखने के लिए उचित देखभाल करने का कर्तव्य, और वैधानिक कर्तव्य जिसने इसे प्रतिस्थापित किया वह भी निरपेक्ष था।

एक बार फिर, डिप्लॉक, एलजे ने बर्नसाइड बनाम में कहा। इमर्सन 1 9 वर्णित है

57] 1 क्यू. बी. 374 58] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1490 [2020] 6 एस. सी. आर.

" ऐसी अच्छी मरम्मत में जो इसे अपनी भौतिक स्थिति के कारण होने वाले खतरे के बिना वर्ष के सभी मौसमों में पड़ोस के सामान्य यातायात के लिए उचित रूप से गुजरने योग्य बनाती है।

59. बाद में, हेडन बनाम। केंट काउंटी काउंसिल 20 लॉर्ड डेनिंग एम. आर. ने समझाया कि जबकि राजमार्ग को बनाए रखने के कर्तव्य का अर्थ है

यह सुनिश्चित करना पूर्ण कर्तव्य है कि यह राजमार्ग के रूप में उपयोग करने की स्थिति में था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इसमें हर समय यह सुनिश्चित करना कर्तव्य शामिल नहीं था कि सड़क की सतह को साफ रखा जाए। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया था कि इस मुद्दे पर प्रत्येक मामले में विचार किया जाना था, और इस बात पर विचार किया जाना था कि क्या प्राधिकरण ने बाधा के बारे में सूचित किए जाने के बाद इसे ठीक रखने के लिए उचित कदम उठाए थेः

" यदि धारा 41 को अधिरोपित करने में सक्षम माना जाए

राजमार्ग या पैदल मार्ग पर बर्फ और बर्फ से निपटने के लिए उपचारात्मक उपाय करना कर्तव्य, जो अच्छी भौतिक मरम्मत में है, ताकि क्या विशेष परिस्थितियों में वह कर्तव्य उत्पन्न हुआ है, यह 'तथ्य और डिग्री के प्रश्न के रूप में' तय किया जाना है, ऐसा प्रतीत होगा कि यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तथ्य अनिवार्य रूप से उन तथ्यों के समान होंगे जो यह तय करने के लिए प्रासंगिक हैं कि क्या कर्तव्य का उल्लंघन साबित हुआ है और क्या धारा 58 के तहत वैधानिक बचाव किया गया है। संसद ने इन उद्देश्यों के लिए उन तथ्यों को परिभाषित नहीं किया

धारा 41. राजमार्ग प्राधिकरण के लिए उपचारात्मक उपाय करने में विफल रहने को प्रथम दृष्टया अनुचित बनाने के लिए पर्याप्त समय बीतने की अवधारणा को पूर्व निर्धारित करना चाहिए।

कैरिजवे और फुटवे जो मार्गदर्शन करते हैं या जिन्हें प्राधिकरण का मार्गदर्शन करना चाहिए; और तात्कालिकता की आवश्यक डिग्री
उन संसाधनों का उपयोग करना। कर्तव्य के उद्भव के प्रमाण के संदर्भ में कानून में ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है।

60. स्टोविन बनाम वाइज 2 1 में, प्रतिवादी एक साइड रोड से निकला और वादी के नीचे भाग गया, क्योंकि वह ठीक से देख नहीं रही थी।

बाहर निकलें। जब उस पर हर्जाने के लिए मुकदमा चलाया गया, तो प्रतिवादी एक तीसरे पक्ष के रूप में काउंटी परिषद में शामिल हो गया क्योंकि चौराहे पर दृश्यता खराब थी और उन्होंने कहा कि परिषद, जिसका कर्तव्य था

21 1996 (3) सभी ई. आर. 801 निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सड़क को इसे सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए था। परिषद के पास वैधानिक शक्तियां थीं जो आवश्यक कार्य करने में सक्षम होतीं और इस बात के प्रमाण थे कि संबंधित अधिकारियों ने सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया था

कि यह किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के लिए कदम नहीं उठाए थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि वैधानिक कर्तव्य के आधार पर निजी कानून में देखभाल का कोई कर्तव्य नहीं है, और "वाहनों के चालकों को राजमार्ग नेटवर्क को लेना चाहिए जैसा कि वे पाते हैं"। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वैधानिक शक्ति नहीं हो सकती है एक सामान्य कानून कर्तव्य में परिवर्तित। परिषद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो क़ानून के अलावा, देखभाल के एक सामान्य कानून कर्तव्य को आकर्षित करता। उसने कुछ भी नहीं किया था। एकमात्र आधार जिस पर यह दायित्व के लिए एक उम्मीदवार था, वह यह था कि संसद ने इसे राजमार्गों के लिए सामान्य जिम्मेदारी सौंपी थी और उन्हें सुधारने और अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अन्य उपाय करने की शक्ति दी थी। लॉर्ड हॉफमैन ने कहा,

" संक्षेप में, इसलिए, मुझे लगता है कि देखभाल के कर्तव्य को आधार बनाने के लिए न्यूनतम पूर्व शर्तें एक वैधानिक के अस्तित्व पर आधारित हैं।

शक्ति, यदि यह बिल्कुल भी किया जा सकता है, तो सबसे पहले, यह होगा

शक्ति का प्रयोग न करने के लिए परिस्थितियां अतार्किक रही हैं, ताकि प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए एक सार्वजनिक कानून कर्तव्य था, और दूसरा, यह मानने के लिए असाधारण आधार हैं कि क़ानून की नीति में उन व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता है जिन्हें नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि शक्ति का उपयोग नहीं किया गया था।

अभ्यास किया "।

61. गोरिंज v में स्टोविन (ऊपर) और इसके इस कथन का पालन किया गया कि एक सार्वजनिक कर्तव्य का अस्तित्व विशेष उपाय करने के लिए देखभाल के एक निजी कर्तव्य तक नहीं फैला है, जब तक कि असाधारण विशेषताएं साबित नहीं हो जाती हैं। काल्डरडेल मेट्रोपॉलिटन बरो काउंसिल 22। पूरे कानून की फिर से जांच की गई और सही स्थिति, जिसे यू. के. सुप्रीम कोर्ट द्वारा रॉबिन्सन बनाम में हाल के एक फैसले में दोहराया गया। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस 23 के मुख्य कांस्टेबल ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 32 सामान्य कानून में, सार्वजनिक प्राधिकरण आम तौर पर निजी व्यक्तियों और निकायों के समान दायित्वों के अधीन होते हैंः उदाहरण के लिए, एंटिक बनाम कैरिंगटन (1765) 2 विल्स के. बी. 275 और मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड बनाम गिब्स (1866) एल. आर. 1 एच. एल. 93 देखें। डाइसी ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि "प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक हर अधिकारी, बिना कानूनी रूप से किए गए हर कार्य के लिए समान जिम्मेदारी के अधीन है।

22 2004 (1) डब्ल्यूएलआर 1057

23 2019 (2) सभी ई. आर. 1041 [2020] 6 एस. सी. आर.

किसी भी अन्य नागरिक की तरह औचित्य ": संविधान का कानून, तीसरा संस्करण (1889), पृष्ठ 181। सामान्य कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद क्राउन था, लेकिन उस अपवाद को क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947, धारा 2 द्वारा संबोधित किया गया था।

33. तदनुसार, यदि किसी निजी व्यक्ति या निकाय द्वारा किया गया आचरण यातनापूर्ण होगा, तो यह आम तौर पर समान रूप से यातनापूर्ण होगा यदि एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबद्धः उदाहरण के लिए, डॉर्सेट याट कंपनी लिमिटेड बनाम होम ऑफिस [1970] एसी 1004 देखें, जैसा कि इसमें समझाया गया है।

गोरिंज का मामला 2004 (1) डब्ल्यू. एल. आर. 1057, पैरा 39। वह सामान्य सिद्धांत इस संभावना के अधीन है कि सामान्य कानून या क़ानून अन्यथा प्रदान कर सकता है, उदाहरण के लिए विचाराधीन आचरण को अधिकृत करकेः गेडिुस बनाम बैन के मालिक

34. दूसरी ओर, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी व्यक्तियों और निकायों की तरह, आम तौर पर नुकसान की घटना को रोकने के लिए देखभाल का कोई कर्तव्य नहीं हैः जैसा कि लॉर्ड टौलसन जे. एस. सी. ने कहा है माइकल के मामले [2015] ए. सी. 1732, पैरा 97 में, "सामान्य कानून आम तौर पर शुद्ध चूक के लिए दायित्व नहीं लगाता है"। इस "चूक सिद्धांत" को टोफरिस और स्टील द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, "चूक और पुलिस के लिए लापरवाही देयता" [2016] सी. एल. जे. 128:

" लापरवाही के अपराध में, एक व्यक्ति ए का कर्तव्य नहीं है कि वह ए द्वारा पैदा नहीं किए गए खतरे के स्रोत के माध्यम से बी व्यक्ति को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ध्यान रखे, जब तक कि (i) ए ने बी को उस खतरे से बचाने की जिम्मेदारी नहीं ली है, (ii) ए ने कुछ ऐसा किया है जो दूसरे को बी को उस खतरे से बचाने से रोकता है, (iii) ए का खतरे के उस स्रोत पर विशेष स्तर का नियंत्रण है, या (iv) ए की स्थिति बी को उस खतरे से बचाने का दायित्व पैदा करती है।

35 जैसा कि वह सारांश स्पष्ट करता है, कुछ निश्चित हैं ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें सार्वजनिक प्राधिकरण, जैसे निजी

व्यक्ति और निकाय, देखभाल के कर्तव्य के तहत आ सकते हैं

हानि की घटना को रोकेंः

उदाहरण के लिए, ई. सी. टी. ओ. आर. जनरल (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग देखें।टी. एच. भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

बैरेट बनाम एनफील्ड लंदन बरो काउंसिल [2001] 2 एसी 550 और फेल्प्स बनाम हिलिंगडन लंदन बरो काउंसिल [2001] 2 एसी 619, जैसा कि गोरिंज के मामले 2004 (1) डब्ल्यूएलआर 1057, पैरा 39-40 में समझाया गया है। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियों के अभाव में, सार्वजनिक प्राधिकरणों को आम तौर पर देखभाल का कोई कर्तव्य नहीं देना पड़ता है। व्यक्तियों को किसी निजी व्यक्ति या निकाय से अधिक नुकसान से उनकी रक्षा करके उन्हें लाभ प्रदान करनाः उदाहरण के लिए, स्मिथ बनाम लिटिलवुड्स संगठन लिमिटेड [1987] एसी 241, एक निजी निकाय के संबंध में, मिशेल बनाम में लागू किया गया है।

ग्लासगो सिटी काउंसिल [2009] एसी 874, एक सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित।

36 यह इस प्रकार है, इसके बावजूद कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण

कानूनी शक्तियाँ या कर्तव्य हैं जो प्रश्न में नुकसान को रोकने के लिए इसे सक्षम या आवश्यक बनाते हैं। उस सिद्धांत का एक प्रसिद्ध उदाहरण हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ईस्ट सफ़ोक रिवर्स कैचमेंट बोर्ड बनाम केंट [1941] एसी 74 का निर्णय है। स्थिति अलग है यदि, इसके वास्तविक निर्माण पर, वैधानिक शक्ति या कर्तव्य का उद्देश्य जनता के व्यक्तिगत सदस्यों को एक कर्तव्य को जन्म देना है जो एक के माध्यम से लागू करने योग्य है कार्रवाई का निजी अधिकार। हालाँकि, यदि क़ानून कार्रवाई का एक निजी अधिकार नहीं बनाता है, तो "कम से कम कहने के लिए, यह असामान्य होगा यदि केवल वैधानिक कर्तव्य का अस्तित्व [या,

फोर्टियोरी, एक वैधानिक शक्ति] देखभाल का एक सामान्य कानून कर्तव्य उत्पन्न कर सकती है ": गोरिंज का मामला 2004 (1) डब्ल्यू. एल. आर. 1057, पैरा 23।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

40 हालाँकि, जब तक एन्स मामले में तर्क को अस्वीकार नहीं किया गया था, तब तक दायित्व की अस्वीकृति को उचित ठहराना संभव नहीं था, जहां नुकसान की पूर्वानुमेयता से विश्लेषण के पहले चरण में देखभाल का कर्तव्य उत्पन्न हुआ था, इस आधार पर कि सार्वजनिक निकाय आम तौर पर अपनी वैधानिक शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं ताकि नुकसान से सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जा सके। इसके बजाय, दूसरे चरण में दायित्व की अस्वीकृति को उचित ठहराने के लिए सार्वजनिक नीति का सहारा लेना आवश्यक था। यह तदनुसार हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कोर्ट ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण था। हिल के मामले [1989] एसी 53 सहित निर्णयों की एक श्रृंखला में अपील। उस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक नीति का सहारा लेने की आवश्यकता को [2020] 6 एस. सी. आर. में रूढ़िवादिता की ओर लौटने से हटा दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोरिंज का मामला। उस मामले के बाद से, एक चूक के परिणामों के लिए एक सार्वजनिक प्राधिकरण के गैर-दायित्व को आम तौर पर इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है कि चूक सिद्धांत लापरवाही के कानून का एक सामान्य सिद्धांत है, और लापरवाही का कानून आम तौर पर सार्वजनिक अधिकारियों पर उसी तरह लागू होता है जैसे यह निजी व्यक्तियों और निकायों पर लागू होता है।

41 समान रूप से, सार्वजनिक नीति के बारे में चिंताएं अपने आप में एक दायित्व को ओवरराइड नहीं कर सकती हैं जो एक वैधानिक कार्य करने के दौरान किए गए सकारात्मक कार्य के लिए सामान्य कानून में उत्पन्न होगी।

कार्यः सही सवाल यह है कि क्या, ठीक से अर्थ लगाया गया है, कानून उस दायित्व को बाहर करता है जो अन्यथा उत्पन्न होता हैः गोरिंज का मामला 2004 (1) डब्ल्यू. एल. आर. 1057, पैरा 38, प्रति लॉर्ड देखें।

हॉफमैन।

42 इसका मतलब इस बात से इनकार करना नहीं है कि जिसे नीतिगत विचारों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, उसकी कभी-कभी लापरवाही के कानून में भूमिका होती है। जैसा कि पहले समझाया गया है, जहां स्थापित सिद्धांत इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं कि क्या देखभाल के कर्तव्य को एक नई स्थिति में मान्यता दी जानी चाहिए, अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इसकी मान्यता न्यायसंगत और उचित होगी।

62. येटकिन वी. महमूद 24, जहाँ एक को चोट लगी थी

झाड़ियों द्वारा वाय उपयोगकर्ता जो अधिक बढ़ गए थे और दृश्यता में बाधा डाल रहे थे, ने नुकसान के दावे को बरकरार रखा। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

..... केंद्र के ऊँचे बिस्तरों में वनस्पति का रोपण

आरक्षण स्पष्ट रूप से एक उचित अभ्यास है

प्राधिकरण की शक्तियाँ लेकिन झाड़ियाँ लगाना जो इतने बड़े हो जाएँगे कि दृश्य को अस्पष्ट कर दें और फिर यह सुनिश्चित न करें कि उन्हें काट दिया गया है, उन शक्तियों का लापरवाही से प्रयोग है। द.

न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि यह विफलता इस दुर्घटना का कारण थी। यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि वह धारण करने के लिए सही नहीं था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले की परिस्थितियों में, स्थानीय प्राधिकरण

दावेदार की देखभाल का एक सामान्य कानूनी कर्तव्य था,

उसकी अपनी लापरवाही के बावजूद, कि वह कर्तव्य था उल्लंघन किया और यह कि उल्लंघन दुर्घटना का कारण था। न्यायाधीश को इस बात पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि क्या झाड़ियों से उत्पन्न खतरा एक जाल के बराबर है या नहीं।

1 क्यू. बी. 827 ई. सी. टी. आर. जनरल (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्गटी. एच. भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रलोभन। मेरे फैसले में यह कहा गया है कि न्यायाधीश ने दावे को खारिज करने में गलती की। उन्हें यह मान लेना चाहिए था कि प्राथमिक दायित्व

स्थापित किया गया था "।

63. नगरपालिका एन में इस अदालत द्वारा एक समान दृष्टिकोण का संकेत दिया गया था। दिल्ली बनाम। सुशीला देवी 25 (जहां एक राहगीर पर एक पेड़ गिर गया-एनजी चोट से) अदालत ने इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि नगर निगम

सक्षम, यह कहते हुए किः

" 13. निर्णयों के एक समूह द्वारा, कानून अच्छी तरह से तय किया जाता है कि यदि प्रतिवादी की भूमि पर एक पेड़ खड़ा है जिसे सुखाया जाता है

या मृत और उस कारण से गिर सकता है और दोष एक है

जिसे या तो जाना जाता है या जाना जाना चाहिए था

प्रतिवादी, तब प्रतिवादी पेड़ के गिरने से होने वाली किसी भी चोट के लिए उत्तरदायी है (ब्राउन वी देखें। हैरिसन [1947 डब्ल्यू. एन. 191: 63 टीएलआर 484], क्विन बनाम। स्कॉट [(1965) 1 डब्ल्यूएलआर 1004: (1965) 2 सभी ई. आर. 588] और मैकी बनाम। डम्बार्टनशायर काउंटी परिषद

[1927 WN 247])। के मालिक/अधिभोगकर्ता का कर्तव्य

सड़क के किनारे का परिसर जिस पर व्यक्ति कानूनी रूप से

पास बाय, परिसर में किसी भी खतरनाक चीज के कारण परिसर के ठीक बगल में क्या हो सकता है, इसके खिलाफ सुरक्षा करने के लिए विस्तारित है। परिसर को मरम्मत की सुरक्षित स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। मालिक/कब्जाधारक दायित्व से बच नहीं सकता है।

पर मौजूद किसी भी खतरनाक चीज़ के कारण होने वाली चोट के लिए

यह दलील देकर कि उसने एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्त किया था

परिसर को सुरक्षित मरम्मत में रखना। नगर निगम में। दिल्ली बनाम। सुभागवंती [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1750] एक घड़ी मीनार जो 80 साल पुरानी थी, दिल्ली के चांदनी चौक में ढह गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। उनके प्रभुओं का मानना था कि मालिक को ऐसा बचाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी जिसे वह न तो जानता था और न ही उसे खतरे के बारे में पता होना चाहिए था। " [टी] वह

मालिक कानूनी रूप से जिम्मेदार है चाहे वह क्षति एक पेटेंट या एक अव्यक्त दोष के कारण होती है, "

उनके प्रभुता। हमारी राय में यही सिद्धांत सड़क के किनारे खड़े पेड़ के मालिक पर भी लागू होता है। यदि पेड़ इस मायने में खतरनाक है कि किसी भी बीमारी या मृत होने के कारण पेड़ या उसकी शाखा के गिरने की संभावना है और इस तरह किसी भी राहगीर को चोट पहुँच सकती है-तब तक ऐसे पेड़ या शाखा को हटा दिया जाना चाहिए ताकि जीवन के लिए खतरे को टाला जा सके। यह प्रासंगिक है कि

9) 4 पृष्ठ 323 [2020] 6 एस. सी. आर. पर एस. सी. सी. 317।

ध्यान दें कि यह नगर निगम का बचाव नहीं है जो एक बड़े या भगवान के कार्य जैसे तूफान, तूफान,

बिजली गिरने या असाधारण भारी बारिश हुई थी जिसके कारण पेड़ की शाखा का गिरना और इसलिए निगम

उत्तरदायी नहीं था।

यह दृष्टिकोण कि एक सांविधिक निगम या स्थानीय प्राधिकरण को चूक के कारण हुई चोट के लिए यातना में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है

एजेंसी का वडोदरा नगर निगम बनाम पुरुषोत्तम वी. मुरंजी26 में भी अनुसरण किया गया। 64. एनएचएआई ने रियायत प्राप्तकर्ता के साथ जो समझौता किया था, उसकी शर्तों में स्पष्ट रूप से राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा (खंड 18.1.1) और एक विस्तृत राजमार्ग निगरानी तंत्र (खंड 19.1) पर विचार किया गया था। समझौते में किसी भी असामान्य घटना की भी आवश्यकता थी

रिपोर्ट की गई; एक स्वतंत्र इंजीनियर की आवश्यकता थी, और उसने राजमार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने वाले इंजीनियर की रिपोर्ट से पता चलता है कि जलमार्गों के संकुचित होने और मलबे के असामान्य संग्रह की कमियों को नोट किया गया। घटना से पहले भी, एनएचएआई इसके लिए जीवित था; उसने राठौड़ को अलग से लिखा था, और बाद में स्थानीय प्रशासन को अपने दिनांकित 15.04.2011 पत्र के माध्यम से इसके बारे में लिखा था। वह पत्र खुलासा कर रहा है; अन्य बातों के साथ, यह कहता है किः

" मानसून से पहले की बारिश के दौरान सभी खुदाई किए गए कचरे

बारिश के पानी के साथ एन. एच. 4 तक ले जाया गया और कुछ समय के लिए सतारा जाने वाले यातायात मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। यह होगी समस्या

जुलाई और अगस्त की भारी बारिश के दौरान गंभीर।

जैसे कि ऊपरी तरफ पहाड़ियों की अंधाधुंध कटाई के कारण राजमार्ग और सुरंग की सुरक्षा पूरी तरह से दांव पर है।

सुरंग और दोनों अंत "।

65. राजमार्ग अधिनियम की धारा 4 और 5 के आधार पर एनएचएआई पर लगाए गए शुल्क को ध्यान में रखते हुए, धारा 16 के साथ पढ़ें

खंड सहित राजमार्ग के रखरखाव के लिए जिम्मेदार जिस पर दुर्घटना हुई। उप-मंडल अधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घटना से कुछ समय पहले निरीक्षण रिपोर्ट एनएचएआई को प्रस्तुत की गई थी, जो कमियों को उजागर करती है; साथ ही, राठौड़ और स्थानीय प्रशासन के साथ एनएचएआई के पत्राचार से पता चलता है कि यह

26 2014 (16) एस. सी. सी. 14 निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

मानव जीवन के लिए खतरे और संभावना से अवगत था, और

उस घटना की पूर्वानुमेयता जो वास्तव में बाद में हुई। इसके अलावा, स्थानीय प्रशासन और एन. एच. ए. आई. द्वारा राठौड़ को संबोधित पत्रों से भी यही पता चलता है कि उन्हें उपचारात्मक कार्रवाई करनी थी। उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने में एनएचएआई की विफलता, और इसी तरह राठौड़ द्वारा दुर्घटना को रोकने के लिए उपाय करने में विफलता, प्रथम दृष्टया, उनके दायित्व का खुलासा करती है।

इस अदालत की राय में, कार्रवाई कोई बाधा नहीं थी, न ही यह मामले की गंभीरता और जनता के सदस्यों के लिए उत्पन्न खतरे को देखते हुए एनजीटी को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक सकती थी। दीवानी कार्रवाई शुरू करने का मतलब यह नहीं था कि एनजीटी को या तो अस्वीकार करना पड़ा आवेदन (जहाँ तक उसने दुर्घटना के लिए राहत का दावा किया है), या दीवानी मुकदमे के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है। यह स्थिति धारा 18 (1) के परंतुक से स्पष्ट है जो इस प्रकार हैः

क्षतिपूर्ति या राहत या विवाद का समाधान, आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा और कानूनी प्रतिनिधि जो इस तरह से शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया जाएगा - आवेदन "।

67. उपरोक्त प्रावधान का स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल किए बिना आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिक से अधिक, न्यायाधिकरण को सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल करना पड़ता है। वर्तमान मामले में उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। हालांकि, कानूनी उत्तराधिकारियों ने एक मुकदमा दायर किया है। न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि उस मुकदमे (सिविल जज सीनियर डिवीजन, पुणे के न्यायालय के समक्ष 2014 का विशेष दीवानी मुकदमा संख्या 890) को पुनर्जीवित करने और जारी रखने का निर्देश दिया जाता है। संबंधित न्यायालय (सिविल जज सीनियर डिवीजन, पुणे का न्यायालय) को एक निर्देश जारी किया जाता है। मुआवजे के भुगतान की दिशा में एन. जी. टी. द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों को प्रथम दृष्टया निर्धारण का संकेत माना जाना चाहिए। नतीजतन, एनएचएआई और राठौड़ को संयुक्त रूप से 15 लाख का भुगतान करने का निर्देश देना उचित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दीवानी मुकदमा अब आगे बढ़ेगा, और साक्ष्य के आधार पर, अदालत अंततः दायित्व के मुद्दे का फैसला करेगी, और ऐसे आगे के परिणामी आदेश या फरमान बनाएगी जो आवश्यक पाए जा सकते हैं।

इस संबंध में, एनएचएआई, राठौड़ के दायित्व के विभाजन की दिशा में, [2020] 6 एस. सी. आर.

राज्य या कोई अन्य पक्ष (रियायत प्राप्तकर्ता सहित)। इस अदालत का आदेश

निर्णायक के रूप में नहीं माना जाएगा; निचली अदालत स्वतंत्र रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन करने और पक्षकारों को उनकी प्रस्तुतियों के गुण-दोष पर सुनने के लिए आगे बढ़ेगी। भुगतान का निर्देश देते हुए एन. जी. टी. द्वारा पुनर्स्थापन आदेश राठौड़ और एन. एच. ए. आई. द्वारा 10 लाख भी, इस अदालत की राय में, दोषी नहीं पाया जा सकता है। इसे बरकरार रखा जाता है। एनएचएआई और राठौड़ एनजीटी के निर्देशों का पालन करेंगे और चार सप्ताह के भीतर समान अनुपात में उक्त अदालत में 15 लाख की राशि जमा करेंगे। 10 लाख की राशि उसी अनुपात में अदालत में जमा की जाएगी, जिसे पर्यावरण को बहाल करने और वनरोपण/पेड़ लगाने आदि के लिए राज्य सरकार को वितरित किया जाएगा।

महाराष्ट्र राज्य के आदेश/अधिसूचना की वैधता, धारा 154, एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत जारी किया गया

68. तीसरे बिंदु पर विचार करने के लिए दो मुद्दे उठते हैं-पहला,

एन. जी. टी. की अपने विवादित आदेश के पैरा 17 (ई) में निहित प्रकार की विकास और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी करने की शक्ति, और दूसरा, इस मामले में ऐसे निर्देश जारी करते समय अपनाई गई प्रक्रिया की शुद्धता।

69. ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन मामले 2 7 में, इस अदालत ने विचार किया

एन. जी. टी. की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र की प्रकृति। प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार हैः

" 156. न्यायाधिकरण की शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र क्या हैं?

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दिया जाना चाहिए

उपरोक्त प्रस्तुति पर विचार करने के लिए देखा गया? जहाँ तक

न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, हम पहले से ही

अधिनियम की धारा 14,15 और 16 पर ध्यान दिया गया। की धारा 19 अधिनियम न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों से संबंधित है। अनुभाग

19 जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है वह इस प्रकार हैः

X

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

27 एफ. एन. देखें। 9 (ऊपर)

28 " 19. न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियाँ। — (1) न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

क्षेत्रीय सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग[एच. ऑफ इंडिया बनाम आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

157. धारा 19 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि न्यायाधिकरण

प्राकृतिक न्याय। उप-धारा (1) का क्या आशय है कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बंधा नहीं है

सी. पी. सी. अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए। की उप-धारा (2)

धारा 19 न्यायाधिकरण को इसके विनियमन की शक्तियों के साथ सशक्त बनाती है अपनी प्रक्रिया। धारा 19 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ

जहाँ तक न्यायाधिकरण की प्रक्रिया का संबंध है। धारा 19 (4)

प्रयास करते समय सिविल न्यायालय में निहित कुछ शक्तियां निहित करता है।

एक वाद, उसमें वर्णित मामलों के संबंध में। इसका उपयोग

अभिव्यक्ति "निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगी सी. पी. सी. द्वारा "यह कहने के समान नहीं है कि प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया गया है

सी. पी. सी. किसी भी तरह से न्यायाधिकरण के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, अनुभाग

19 (1) इसका यह भी मतलब नहीं है कि न्यायाधिकरण किसी का पालन नहीं कर सकता है।

सी. पी. सी. में दी गई प्रक्रिया। सी. पी. सी. का एक प्रावधान शामिल किया गया

1-2-1977 से प्रभावी 1976 का अधिनियम 104 आदेश 26 है, जो वर्तमान जाँच के लिए प्रासंगिक है। आदेश 26 नियम 10-ए प्रदान करता है

इस प्रकार हैः

" 10 - ए. वैज्ञानिक जाँच आयोग। — (1)

जहाँ किसी मुकदमे में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न में कोई वैज्ञानिक बात शामिल हो।

जांच जो न्यायालय की राय में नहीं की जा सकती है

न्यायाधिकरण भी भारतीय संविधान में निहित साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं होगा।

एस अधिनियम, 1872।

न्यायाधिकरण के पास, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने के उद्देश्यों के लिए, ऐसी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक दीवानी अदालत में निहित हैं, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक मुकदमे की सुनवाई करते हैं, अर्थात् -

(क) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जाँच करना;

(ख) दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 के प्रावधानों के अधीन, किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ या ऐसे रिकॉर्ड की प्रति की मांग करना या

किसी भी कार्यालय से दस्तावेज़;

(ई) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना;

(च) अपने निर्णय की समीक्षा करना;

(छ) किसी आवेदन को चूक के लिए खारिज करना या इसे एकतरफा रूप से तय करना;

(ज) चूक के लिए किसी भी आवेदन को खारिज करने के किसी भी आदेश को दरकिनार करना या

इसके द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया गया;

(i) किए गए किसी भी आवेदन पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक अंतरिम आदेश (निषेधाज्ञा या स्थगन देने सहित) पारित करें या

मैंने इस अधिनियम के तहत दायर किया; [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय के समक्ष सुविधाजनक रूप से संचालित, न्यायालय, यदि वह

उसे इस तरह के सवाल की जांच करने और उस पर रिपोर्ट करने का निर्देश देना। अदालत तक।

(2) इस आदेश के नियम 10 के प्रावधान, जहाँ तक

इस नियम के तहत जैसा कि वे एक आयुक्त के संबंध में लागू होते हैं नियम 9 के तहत नियुक्त।

158. नियम 10-ए में यह प्रावधान है कि जहां किसी मामले में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है

मुक़दमे में कोई भी वैज्ञानिक जाँच शामिल है जो इसमें नहीं हो सकती है

न्यायालय की राय, के समक्ष सुविधाजनक रूप से संचालित की जाए

न्यायालय, यदि वह आवश्यक या समीचीन समझता है तो

न्याय के हितों को ऐसा करने के लिए, इस तरह के लिए एक आयोग जारी करें

व्यक्ति जैसा वह उचित समझता है, उसे इस तरह की पूछताछ करने के लिए निर्देशित करता है

प्रश्न पूछें और उस पर न्यायालय को रिपोर्ट करें। नियम 10-ए सक्षम कर रहा है

न्यायालयों को ऐसे व्यक्तियों से रिपोर्ट प्राप्त करने की शक्ति

जब कोई प्रश्न वैज्ञानिक से संबंधित हो तो वह उचित समझता है।

जांच पड़ताल की। नियम 10-ए के तहत शक्तियां जो होनी हैं - न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया एनजीटी द्वारा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है

विशेषज्ञों की रिपोर्ट। एनजीटी की वैधानिक योजना के अनुसार एनजीटी

प्रदूषण से संबंधित कई जटिल प्रश्नों का निर्णय लेना पड़ता है

और पर्यावरण। द्वारा वैज्ञानिक जांच और रिपोर्ट

विशेषज्ञ उपयुक्त मामलों में आवश्यक आवश्यकताएँ हैं -

उपचार के उपायों का पता लगाने के लिए सही निष्कर्ष पर जाएँ प्रदूषण और पर्यावरण। इस प्रकार, हम कोई कमी नहीं पाते हैं।

प्रस्तुत करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए एनजीटी में अधिकार क्षेत्र

रिपोर्ट करें। हम आगे कह सकते हैं कि एक विशेषज्ञ से पूछते हुए एक रिपोर्ट दें, एनजीटी नियम के चार कोनों तक ही सीमित नहीं है

10 - ए बल्कि इसका अधिकार क्षेत्र सख्त शर्तों से बंधा नहीं है

आदेश 26 नियम 10-ए धारा 19 (1) के अनुसार जैसा कि ऊपर देखा गया है।

(जे) एक आदेश पारित करना जिसमें किसी व्यक्ति को अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम का उल्लंघन करने से रोकने या रोकने की आवश्यकता होती है;

((ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(5) न्यायाधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193,219 और 228 के अर्थ के भीतर भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्य माना जाएगा और न्यायाधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय उच्च न्यायालय की धारा 195 और अध्याय XXVI के दीवानी अदालत के उद्देश्यों के लिए माना जाएगा।

[एच. ऑफ इंडिया बनाम आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

70. अदालत ने नेशनल ग्रीन के नियम 24 पर भी ध्यान दिया।

एन. ए. एल. (अभ्यास और प्रक्रिया) नियम, 2011 (धाराओं के तहत बनाए गए)

और एन. जी. टी. अधिनियम की 35)। 29 इस न्यायालय ने तब इस प्रकार निर्णय दियाः

" 160. नियम 24 न्यायाधिकरण को ऐसे आदेश देने का अधिकार देता है या

ऐसे निर्देश दें जो देने के लिए आवश्यक या समीचीन हों

अपने आदेश को लागू करने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। नियम 24

न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए न्यायाधिकरण को व्यापक शक्तियां देता है। नियम 24 न्यायाधिकरण को आदेश पारित करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है।

और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए निर्देश जारी करते हैं। शब्दों का प्रयोग

" "हो सकता है", "ऐसे आदेश", "ऐसे निर्देश देता है", "जो हो सकता है

आवश्यक या समीचीन "", इसके आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए "", आदेश प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ", ऐसे शब्द हैं जो सक्षम करते हैं

न्यायाधिकरण आदेश पारित करेगा और उपरोक्त शब्द व्यापक रूप से प्रदान करते हैं

विवेकपूर्ण।

163. जिस उद्देश्य के लिए उक्त शक्ति दी गई है वह बहुत दूर नहीं है

ढूँढें। एनजीटी अधिनियम, 2010 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एनजीटी को

अधिकारिता की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रयोग करें और इसके पास व्यापक अधिकार होना चाहिए किसी मामले में न्याय करने के लिए शक्तियों की सीमा। शक्ति है।

जिनके लिए अधिकार है उनके लाभ के लिए व्यायाम करने के लिए दिया गया है स्वच्छ पर्यावरण जो उन्हें पहले स्थापित करना होगा

न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण को दी गई शक्ति के साथ जोड़ा गया है -

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना कर्तव्य है। में।

इस संबंध में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है एल. हिरडे नारायण बनाम। सी. आई. टी. [एल. हिरडे नारायण बनाम। सी. आई. टी. (1970) 2

एस. सी. सी. 3s55], जिसमें यह न्यायालय प्रावधान की जांच कर रहा था

कुछ करने के लिए प्राधिकरण को सशक्त बनाना। इस न्यायालय ने निर्धारित किया

पैरा 14 में हैः (एस. सी. सी पी. 359)

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

164. इस प्रकार, हमारा विचार है कि कोई नहीं है

एन. जी. टी. में नियुक्ति के लिए निर्देश देने के लिए अधिकार क्षेत्र की कमी

समिति या किसी समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए

मामले के तथ्य "।

उक्त नियम इस प्रकार हैः

कुछ मामलों में आरडर और निर्देश। न्यायाधिकरण अपने आदेश को प्रभावी बनाने या अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए ऐसे आदेश या निर्देश दे सकता है जो आवश्यक या समीचीन हों।

71. धारा 15 (1) (बी) और (सी) के तहत एनजीटी की शक्ति और अधिकार क्षेत्र पर्यावरण को बहाल करने के अर्थ में पुनर्संचयित नहीं हैं।

जिस स्थिति में यह अभ्यास से पहले या घटना होने से पहले था। एन. जी. टी. का अधिकार क्षेत्र एक मायने में उपचारात्मक है, जो अपनी शक्तियों के प्रतिबिंबीत प्रयोग पर आधारित है। एक अन्य अर्थ में, अपमानजनक अभ्यास की प्रकृति के आधार पर, इसकी शक्तियां निवारक भी हो सकती हैं।

भविष्य में पर्यावरण को प्रभावित करने वाली घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। 73. अमेरिका के न्यायालयों, विशेष रूप से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को नियामक निर्णय से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ा है। का दायरा

पुनर्गठन अवधि के दौरान प्रबंधन की स्टॉक खरीद। एस. ई. सी. ने मूल रूप से अपनी अस्वीकृति सामान्य निगम कानून सिद्धांतों की अपनी समझ पर आधारित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में उस फैसले को सिद्धांतों के गलत अध्ययन के रूप में खारिज कर दिया। रिमांड पर, एस. ई. सी. ने पुनर्गठन योजना की अपनी अस्वीकृति की पुष्टि की। लेकिन इस बार एस. ई. सी. ने भरोसा किया 1935 के सार्वजनिक उपयोगिता धारक कंपनी अधिनियम के मानकों की इसकी व्याख्या। जब सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरी बार अपील का फैसला किया, तो उसने एस. ई. सी. के आदेश की पुष्टि की। अदालत ने स्पष्ट किया कि एस. ई. सी. को एक विशिष्ट व्याख्या के माध्यम से ऐसी व्याख्या स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

एक सामान्य विनियमन के बजाय आदेश दिया और कहा किः

" कानून के प्रभावी प्रशासन के लिए आवश्यक हर सिद्धांत को तुरंत सांचे में नहीं डाला जा सकता है या डाला जाना चाहिए।

एक सामान्य नियम। कुछ सिद्धांतों को अपना इंतजार करना चाहिए।

विकास, जबकि अन्य को विशेष रूप से मिलने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए,

30 332 संयुक्त राज्य अमेरिका 194 (1947)

क्षेत्रीय सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्गटी. एच. भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अप्रत्याशित परिस्थितियाँ। इन मामलों में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने में, इसलिए, एक प्रशासनिक एजेंसी को सामान्य नियम या व्यक्तिगत आदेश द्वारा कार्य करने के लिए सुसज्जित होना चाहिए। एक प्रकार की कार्रवाई पर जोर देना और दूसरे को बाहर करना।

रूप को आवश्यकता से ऊपर उठाना है। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं जो प्रशासनिक एजेंसी नहीं कर सकती थी

यथोचित रूप से पूर्वानुमेय, ऐसी समस्याएं जिन्हें एक प्रासंगिक सामान्य नियम के अभाव के बावजूद हल किया जाना चाहिए। या एजेंसी कर सकती है

किसी विशेष समस्या के साथ पर्याप्त अनुभव नहीं है जो इसके अस्थायी निर्णय को कठोर और तेज़ नियम में कठोर करने की गारंटी देता है। या समस्या इतनी विशिष्ट और भिन्न प्रकृति की हो सकती है कि सीमाओं के भीतर पकड़ना असंभव हो सकता है।

एक सामान्य नियम। उन स्थितियों में, एजेंसी को मामले-दर-मामले के आधार पर समस्याओं से निपटने के लिए शक्ति बनाए रखनी चाहिए यदि

प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावी होनी चाहिए। इस प्रकार मामले दर मामले वैधानिक विकास के लिए एक बहुत ही निश्चित स्थान है।

मानक। और द्वारा आगे बढ़ने के बीच किया गया चुनाव सामान्य नियम या व्यक्तिगत रूप से, तदर्थ मुकदमेबाजी वह है जो प्रशासनिक के सूचित विवेक में प्राथमिक रूप से निहित है।

एजेंसी "।

74. इसी तरह की टिप्पणियां इस अदालत द्वारा पी. टी. सी. इंडिया बनाम में की गई थीं। आरएल विद्युत नियामक आयोग 3 1. अदालत ने कहा किडब्ल्यूएस, विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बादः

" 49. 2003 के अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उपरोक्त विश्लेषण पर, हम पाते हैं कि निर्णय लेने और विनियमन करने के कार्य दोनों सी. ई. आर. सी. को सौंपे गए हैं। कानून अस्तित्व में आता है

न केवल कानून के माध्यम से बल्कि विनियमन और

मुकदमेबाजी। तीनों स्रोतों के कानून बाध्यकारी हैं। प्रोफेसर वेड के अनुसार, "विधायी और प्रशासनिक के बीच

हमारे पास नियामक कार्य हैं "। एक वैधानिक

उपकरण, जैसे कि एक नियम या विनियमन, प्रत्यायोजित विधायी शक्ति के प्रयोग से निकलता है जो इसका एक हिस्सा है द्वारा कानून के अधिनियमन के समान प्रशासनिक प्रक्रिया

विधायिका जबकि एक अर्ध-न्यायिक आदेश से आता है

न्यायनिर्णयन जो प्रशासनिक प्रक्रिया का भी एक हिस्सा है

कानून की अदालत द्वारा एक न्यायिक निर्णय के समान।

) एससीसी 603 [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50. उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, मूल्य निर्धारण अभ्यास वास्तव में विधायी है, जब तक कि किसी विशेष परीक्षण की शर्तों के अनुसार न हो। कानून के तहत इसे अर्ध-न्यायिक बनाया गया है जैसा कि धारा 62 के तहत शुल्क निर्धारण के मामले में धारा 111 के तहत अपील योग्य बनाया गया है।

2003 अधिनियम, हालांकि धारा 61 सी. ई. आर. सी. द्वारा विनियमों को तैयार करने के लिए एक सक्षम प्रावधान है। यदि कोई "शुल्क" को एक विषय-वस्तु के रूप में लेता है, तो यह पाया जाता है कि 2003 के अधिनियम के भाग VII के तहत

शुल्क का वास्तविक निर्धारण/निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है

सामान्य प्रस्तावों वाले विनियमों को तैयार करने के लिए सक्षम प्रावधान है जिसके अनुसार उपयुक्त आयोग को शुल्क तय करना है। यह मूल योजना समान रूप से एक अलग वैधानिक संदर्भ में "व्यापार मार्जिन" विषय पर लागू होती है जैसा कि चर्चा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ नीचे "।

75. एन. जी. टी. के निर्देश, हालांकि इसकी न्यायिक भूमिका के संदर्भ में रखे गए हैं, इस अर्थ में एक व्यापक प्रभाव है कि इसके निर्णय उचित मानदंड का गठन करते हैं जिनका पालन समान गतिविधियों में शामिल सभी लोगों द्वारा किया जाना है। इसलिए, इसके आदेश, प्रासंगिक रूप से निर्णय के दौरान, भविष्य के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त व्यवहार को भी स्थापित और निर्देशित करते हैं। इन परिस्थितियों में, एन. जी. टी. अधिनियम के तहत एन. जी. टी. की शक्तियों को देखते हुए, जिसमें जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत विशेषज्ञ नियामक निकायों द्वारा जारी नियामक निर्देशों पर विचार करना शामिल है, यह माना जाना चाहिए कि भविष्य के मार्गदर्शन के लिए सामान्य निर्देश, प्रासंगिक नियमों में उचित एकीकरण के लिए पर्यावरण को नुकसान से बचने या रोकने के लिए, एन. जी. टी. द्वारा दिए जा सकते हैं।

76. एनजीटी के आदेश के पैरा 17 (ई) में निहित सामान्य निर्देशों की शुद्धता के सवाल के बगल में, इस अदालत को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के निर्देश अनुचित थे और इस मामले के तथ्यों में उचित नहीं थे। एन. जी. टी. के पास इससे पहले जो था, वह रिपोर्ट थी

एस. डी. एम. और घटना की प्रकृति के बारे में एक रिपोर्ट सौंपी गई। इन सीमित सूचनाओं के आधार पर, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला-बिना किसी तर्क के और किसी वैज्ञानिक या तकनीकी साक्ष्य या विशेषज्ञों की राय के आधार पर, कि विकास और निर्माण सबसे निचली ढलान के 100 फीट के भीतर नहीं किया जाना चाहिए, यानी इसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर किसी भी पहाड़ी की ढलान। साथ ही पहाड़ी-चोटी "।

इस न्यायालय के निर्णय, जिसमें ऑल डिमासा डायरेक्टर जनरल (रोड डेवलपमेंट) राष्ट्रीय उच्च न्यायालय भी शामिल है। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

छात्र संघ मामला (एफ. एन. 9); मंत्री टेक्नोज़ प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड मामला (एफ. एन. 3); हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर मामला (एफ. 4) और तमिलनाडु

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मामला (एफ. एन. 2) सभी से पता चलता है कि एनजीटी ने संबंधित क्षेत्र में तकनीकी और वैज्ञानिक विशेषज्ञों की नियुक्ति का सहारा लिया, जिन्होंने इस मुद्दे का अध्ययन किया, स्थल का निरीक्षण किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस तरह की रिपोर्टों पर एनजीटी के समक्ष पक्षों द्वारा चर्चा की गई थी, जिन्हें आपत्ति करने या बनाने का अवसर भी दिया गया था

वर्तमान मामले में एनजीटी। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उक्त न्यायाधिकरण के निर्देश अनुचित थे और प्रक्रियात्मक रूप से अक्षम्य हैं। इसलिए पैरा 17 (ई) में निहित निर्देशों को अलग रखा गया है। 77. अंतिम मुद्दे, अर्थात राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/निर्देश की वैधता पर विचार करने के लिए, प्रावधानों की संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करना आवश्यक है।

(महाराष्ट्र के) क्षेत्रों में उपयोग, योजना और विकास का उद्देश्य। यह क्षेत्रीय योजना बोर्डों, नए नगर विकास प्राधिकरणों और विशेष योजना प्राधिकरणों की स्थापना के माध्यम से था, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट "अधिसूचित क्षेत्रों" के लिए। इस अधिनियम में विकास योजनाओं की तैयारी, अधिसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष योजना प्राधिकरणों की नियुक्ति और विकास प्राधिकरणों के माध्यम से निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए नए शहरों के निर्माण का प्रावधान है। एम. आर. टी. पी. अधिनियम योजनाओं के संबंध में और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण को भी सक्षम बनाता है। इस अधिनियम में क्षेत्रीय योजना बोर्ड ("बोर्ड") द्वारा क्षेत्रीय योजना तैयार करने और किसी भी योजना प्राधिकरण द्वारा विकास योजना तैयार करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान है। बोर्ड को अध्याय II (सी) में निहित प्रक्रिया का पालन करना होगा। धारा 16 प्रक्रिया प्रदान करती है-क्षेत्रीय बोर्डों को (आवश्यक सर्वेक्षण के बाद) क्षेत्र के लिए भूमि-उपयोग के नक्शे तैयार करने होते हैं, और एक क्षेत्रीय योजना का मसौदा तैयार करना होता है, जिसके बाद उन्हें योजना के बारे में एक सूचना प्रकाशित करनी होती है।

आधिकारिक राजपत्र, किसी भी व्यक्ति से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करता है मसौदा योजना के संबंध में। बोर्ड को अपने द्वारा प्राप्त आपत्तियों, सुझावों और अभ्यावेदनों को विचार और रिपोर्ट के लिए धारा 10 के तहत नियुक्त क्षेत्रीय योजना समिति ("समिति") को भेजना होगा। समिति, प्रभावित व्यक्तियों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसके बाद बोर्ड को सुझावों, आपत्तियों और अभ्यावेदनों और रिपोर्ट [2020] 6 एस. सी. आर. पर विचार करने के बाद क्षेत्रीय योजना तैयार करनी होती है।

समिति से। इसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना है। धारा 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा योजना के अनुमोदन पर, अंतिम क्षेत्रीय योजना को धारा 17 के तहत प्रकाशित किया जाना है।

78. अध्याय III एक योजना प्राधिकरण द्वारा विकास योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 23 में प्रावधान है कि योजना प्राधिकरण को ऐसी योजना तैयार करने के अपने इरादे की घोषणा करनी चाहिए और इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करना चाहिए, जिसमें आधिकारिक राजपत्र में सूचना के प्रकाशन से कम से कम साठ दिनों की अवधि के भीतर जनता से सुझाव या आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए। इसके बाद धारा 26 के तहत, योजना प्राधिकरण को धारा 23 के तहत प्रकाशित सूचना की तारीख से दो साल के बाद एक मसौदा विकास योजना तैयार करनी होती है, और आधिकारिक राजपत्र में नोटिस प्रकाशित करना होता है जिसमें कहा गया है कि विकास योजना तैयार की गई है, जिसमें एक बार फिर से सूचना के साठ दिनों की अवधि के भीतर मसौदा योजना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। धारा 27 में प्रावधान है कि क्षेत्रीय योजना में किए गए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए और उनके द्वारा निर्देशित योजना प्राधिकरण क्षेत्रीय योजना बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना उसमें कोई संशोधन नहीं करेगा। धारा 28 योजना प्राधिकरण को सुझावों या आपत्तियों पर विचार करने का आदेश देती है।

धारा 26 (1) के तहत उसके द्वारा प्राप्त किया गया और इसके प्रतिनिधियों सहित किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करता है।

प्रस्तावित संशोधन के संबंध में ऐसी सूचना की तारीख से साठ दिनों के बाद नहीं। तब धारा संबंधित प्राधिकारी से अपेक्षा करती है कि वह उसके द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करे और सहित किसी भी व्यक्ति को सुनने का उचित अवसर

सरकारी विभागों के प्रतिनिधि जिन्होंने विकास योजना के मसौदे में इस तरह के संशोधन या परिवर्तन करने से पहले विकास योजना के मसौदे के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज की हो या कोई सुझाव दिया हो। धारा 30 योजना प्राधिकरण से अपेक्षा करती है कि वह धारा 26 के तहत सूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह महीने के भीतर अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को मसौदा योजना प्रस्तुत करे कि मसौदा योजना तैयार की गई है। धारा 31 में प्रावधान है कि राज्य सरकार निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अधिसूचना द्वारा नगर योजना निदेशक से परामर्श करने के बाद ऐसा कर सकती है।

राजपत्र, पूरे क्षेत्र के लिए या उसके किसी भी हिस्से के लिए अलग से प्रस्तुत विकास योजना के मसौदे को मंजूरी देना, या तो बिना किसी संशोधन के, या ऐसे संशोधनों के अधीन जो वह उचित समझे,

या योजना को संशोधित करने के लिए विकास योजना के मसौदे को योजना प्राधिकरण को वापस कर दें, जैसा कि वह निर्देश दे सकता है, या मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां राज्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए जाने हैं सरकार एक ठोस प्रकृति की है, राज्य सरकार को संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले विरोध करने वालों को सुनवाई का उचित अवसर देने के लिए धारा 28 के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।

79. धारा 37 एक योजना प्राधिकरण को वहन करने की शक्तियाँ प्रदान करती है।

एक अंतिम विकास योजना में ऐसा संशोधन जो इसके चरित्र को नहीं बदलेगा। इस शक्ति का प्रयोग एक योजना प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक राजपत्र में एक सूचना प्रकाशित करने के बाद और इस तरह के अन्य तरीके से किया जा सकता है जो प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए उसके द्वारा निर्धारित किया जाए, ऐसी सूचना की तारीख से एक महीने के बाद नहीं। यह धारा योजना प्राधिकरण को प्रस्तावित प्रावधान से प्रभावित सभी व्यक्तियों को नोटिस देने का भी आदेश देती है।

संशोधन और, ऐसे किसी भी व्यक्ति को सुनवाई देने के बाद, प्रस्तुत करें

राज्य सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तावित संशोधन (यदि कोई हो तो संशोधन के साथ)। धारा 40 में कुछ अधिसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष योजना प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान है, और धारा 40 (1) (सी) में प्रावधान है कि राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बॉम्बे महानगर क्षेत्र के तहत स्थापित बॉम्बे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बी. एम. आर. डी. ए.) की नियुक्ति कर सकती है। विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी अविकसित क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए विशेष योजना प्राधिकरण होगा। धारा 116 तब यह निर्धारित करती है कि एक विशेष योजना प्राधिकरण

अधिसूचित क्षेत्र में या तो समझौते द्वारा या भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ऐसी भूमि के अधिग्रहण के विशेष उद्देश्य के लिए एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अध्याय VII में प्रदान की गई योजना प्राधिकरण की सभी शक्तियां उनके पास होंगी।

80. जहाँ तक विवादित अधिसूचना जारी होने से पहले मंजूर की गई योजनाओं और विकास का सवाल है, इस अदालत की राय है कि

उन्हें बाधित नहीं किया जा सकता है और आवेदकों का अधिकार, चाहे वे

विकासकर्ताओं, बिल्डरों या भूमि या भूखंडों के मालिकों पर पूर्वाग्रह या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। यह टी. विजयलक्ष्मी बनाम में इस अदालत के एक फैसले से स्पष्ट है। नगर नियोजन सदस्य 3 2. इस अदालत ने कहा कि नगर नियोजन कानून (जैसे एम. आर. टी. पी. अधिनियम) नियामक हैं; और वह [2020] 6 एस. सी. आर.

जब इसके संशोधन के प्रस्ताव के दौरान कोई विकास योजना लागू होती है, तो अदालतों को इस धारणा पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि

भवन या विकास के लिए योजना, अंततः अनुमति नहीं दी जाएगी। यह माना गया था किः

" क्या उक्त संशोधन व्यापक हैं

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित विकास योजना

अंततः राज्य द्वारा स्वीकार किया जाना या न किया जाना अनिश्चित है। इसे अभी अपना दिमाग लगाना बाकी है। विकास योजना में संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, राज्य ने नागरिकों से आपत्ति का आह्वान किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है और अदालतें

कानून की व्याख्या करते समय गंभीर होना चाहिए। इस संबंध में विचार, लेकिन पारिस्थितिक पहलू, यह साधारण है, आम तौर पर नगर नियोजन कानून का एक हिस्सा हैं। यदि स्वयं विधान में या क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून में, पारिस्थितिक पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया है

भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य और प्राधिकरण को इसके लिए दोष लेना चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि मामले के इन पहलुओं पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था

और राज्य। लेकिन पक्षों के अधिकार नहीं हो सकते हैं जब तक एक उचित संशोधन के रूप में के साथ अंतःस्थापित

यह कानून लागू नहीं किया गया है।

81. इस अदालत ने फैसला सुनाया है कि धारा 37 के तहत एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत मौजूदा विकास योजना में संशोधन भी विधायी कार्य की प्रकृति में है। इस अदालत ने पुणे नगर निगम के तहत टिप्पणी की थी। वी. धारा 37 (1) की बात करते हुए प्रवर्तक और बिल्डर संगठन 3 3 कहते हैं किः

" 4. इस प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि खंड (1) के तहत,

योजना प्राधिकरण आपत्तियाँ आमंत्रित करने के बाद और

प्रस्तावित संशोधन और उसके बाद के बारे में सुझाव

सभी प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस देना सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तावित संशोधन प्रस्तुत करेगा। विचार-विमर्श

संशोधन करने से पहले जनता के साथ बातचीत इस स्तर पर समाप्त हो गई है। इसके बाद, खंड (2) के तहत सरकार को आवश्यक जांच करने या न करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है।

मंजूरी देने से पहले। फिर से, मंजूरी के अनुसार,

32 (2006) 8 एस. सी. सी. 502

33 (2004) 10 एस. सी. सी. 796 क्षेत्रीय सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्गटी. एच. भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सरकार संशोधनों के साथ या बिना ऐसा कर सकती है। सरकार ऐसी शर्तें लगा सकती है जो उसे उचित लगे। सरकार के लिए मंजूरी से इनकार करने की भी अनुमति है।

विकास योजना की सीमाओं के भीतर संशोधन केवल मामूली हो सकता है। और ऐसे मामूली परिवर्तनों के लिए सरकार के लिए विभिन्न प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए व्यापक विवेक का प्रयोग करना सामान्य है। एक बार फिर, यदि यह मनमाना या अनुचित है तो इसे चुनौती दी जा सकती है। यहाँ उत्तरदाताओं का मामला यह नहीं है कि प्रस्तावित परिवर्तन मनमाना या अनुचित है। उन्होंने चुनौती दी उसी कारण का हवाला देते हुए कि सरकार को अधिनियम के तहत संशोधन में इस तरह के बदलाव करने का अधिकार नहीं है।

5. डी. सी. आर. बनाना या उसमें संशोधन करना विधायी कार्य हैं। इसलिए, धारा 37 को डी. सी. आर. में संशोधन करने के लिए विधायी शक्तियों के भंडार के रूप में देखा जाना चाहिए। डी. सी. आर. में संशोधन करने की विधायी शक्ति राज्य को सौंपी गई है।

सरकार। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, धारा 37 (2) की सही व्याख्या राज्य सरकार को आवश्यक संशोधन करने या शर्तें रखने की अनुमति देती है।

मंजूरी देना। धारा 37 (2) में, विधायिका ने पहले सार्वजनिक सुनवाई का प्रावधान करने का इरादा नहीं किया है।

मंजूरी। इस तरह का संशोधन करने की प्रक्रिया धारा 37 में प्रदान की गई है। प्रत्यायोजित विधान पर उसके निर्माण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए सवाल नहीं उठाया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब क़ानून स्वयं उस आवश्यकता के लिए प्रावधान करता है। जहाँ विधायिका ने किसी सूचना या सुनवाई के लिए प्रावधान करने का विकल्प नहीं चुना है, वहाँ कोई भी उस पर जोर नहीं दे सकता है और ऐसी विधायी गतिविधि में प्राकृतिक न्याय को पढ़ने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, एक अधीनस्थ विधायी निकाय द्वारा "ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे" के लिए एक प्रावधान आम तौर पर अधीनस्थ विधायी निकाय को किसी से भी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए एक सक्षम प्रावधान है।

स्रोत और इसका उद्देश्य किसी को भी कोई अधिकार निहित करना नहीं है। (भारत संघ बनाम। साइनामाइड इंडिया लिमिटेड [(1987) 2 एससीसी 720], [2020] 6 एस. सी. आर.

एस. सी. सी. पैरा 5 और 27। सामान्यतः H.S.S.K. नियामी v. देखें। भारत संघ [(1990) 4 एस. सी. सी. 516] और केनरा बैंक बनाम। देबाशीष दास [(2003) 4 एस. सी. सी. 557: 2003 एससीसी (एल एंड एस) 507]।) विधायी कार्यों का प्रयोग करते समय, जब तक कि अनुचितता या

मनमानेपन को इंगित किया गया है, यह अदालत के लिए हस्तक्षेप करने के लिए खुला नहीं है। (आम तौर पर ओ. एन. जी. सी. बनाम देखें। एसोसिएशन। गुजरात के प्राकृतिक गैस खपत करने वाले उद्योगों का (1990 एस. सी. सी. 397)। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण नहीं है

सही प्रतीत होता है।

82. इस मुद्दे को इस अदालत द्वारा माचवरपु वासा राव बनाम में फिर से रेखांकित किया गया था। विजयवाड़ा, गुंटूर, तेनाली, मंगलगिरी शहरी34 जहां यह आंध्र प्रदेश (शहरी क्षेत्र) विकास अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः

" 20. उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के विश्लेषण से पता चलता है कि

एक बार मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित, राज्य सरकार/विकास प्राधिकरण सहित कोई भी किसी भी कार्य के लिए भूमि का उपयोग नहीं कर सकता है।

उसमें निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य। वहाँ कोई नहीं है

अधिनियम में वह प्रावधान जिसके तहत विकास प्राधिकरण किसी भवन आदि के निर्माण या मास्टर प्लान/क्षेत्रीय विकास योजना में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि के उपयोग को मंजूरी दे सकता है। विकास योजना में संशोधन करने की शक्ति विकास प्राधिकरण में निहित है -

असीमित भी नहीं। यह योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस तरह का संशोधन केवल राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है और वह भी निम्नलिखित के बाद

धारा 12 (3) के तहत निर्धारित प्रक्रिया।

83. एक निर्णय में जो विकास योजना में परिवर्तन से संबंधित है

आर एम. आर. टी. पी. अधिनियम, इस अदालत ने कहा कि एक में कोई भी परिवर्तन

विकल्प या मास्टर प्लान में एम. आई. जी. क्रिकेट क्लब बनाम में परामर्श और उच्च स्तर का अभ्यास शामिल है। अभिनव सहकार शिक्षा

व्युत्पत्ति 3 5:

" 28. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि भूमि के उपयोगकर्ता का निर्णय इस तरह का निर्णय लेने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाना है और यह

न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

उसी में हस्तक्षेप करें जब तक कि उपयोगकर्ता में परिवर्तन नहीं पाया जाता है

1) 12 एससीसी 154

1) 9 एस. सी. सी. 97 निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

मनमाना होना। प्रक्रिया में विचार करना शामिल है

वर्तमान और भविष्य में निवासियों के प्रतिस्पर्धी दावे और आवश्यकताएँ ताकि उनके जीवन को खुशहाल, स्वस्थ और आरामदायक बनाया जा सके। हमारी राय है कि नगर नियोजन के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और यह राज्य सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है, जिसके लिए विशेषज्ञ निकाय की सलाह उपलब्ध होती है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि शक्ति का प्रयोग इसके अनुसार किया गया है -

कानून और इसमें कोई मनमानी नहीं है।

84. अब, एम. आर. टी. पी. अधिनियम 36 के प्रावधानों के तहत, क्षेत्रीय योजनाओं और विकास योजनाओं को मिट्टी जैसी विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा

प्रत्येक संबंधित शहर या क्षेत्र के लिए योजना बनाते समय प्राकृतिक विशेषताओं का संरक्षण, बाढ़ की रोकथाम आदि। बदले में, ऐसी क्षेत्रीय और विकास योजनाएं स्थानीय नगर योजना प्राधिकरणों के लिए व्यक्तिगत आवेदकों को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए खाका बनाएंगी। इन परिस्थितियों में, एम. आर. टी. पी. की धारा 154 का उपयोग वर्तमान मामले में अधिनियम वास्तव में सभी योजनाओं- क्षेत्रीय, विकास, आदि का संशोधन है। इस तरह का संशोधन (निरपेक्ष के रूप में)

निर्माण में निषेध) किसी भी तरह के सार्वजनिक परामर्श से पहले नहीं था, आपत्तियों के पिछले निमंत्रण या प्रभावित पक्षों के विचारों पर विचार करना बहुत कम था। यह इस पृष्ठभूमि में है कि किसी को राज्य के तर्क पर विचार करना होगा, जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन मिला, कि ऐसी अधिसूचना जनहित में जारी की गई थी।

85. एम. आर. टी. पी. अधिनियम की असंशोधित धारा 154 इस प्रकार है:

" 154 राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

(1) प्रत्येक क्षेत्रीय बोर्ड, योजना प्राधिकरण और

विकास प्राधिकरण ऐसे निर्देशों या निर्देशों का पालन करेगा।

जो इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किया जा सकता है।

(2) यदि क्षेत्रीय बोर्ड द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का निर्वहन किया जाता है, तो योजना

इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय बोर्ड, योजना प्राधिकरण या के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है।

विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार, ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

36 धारा 14 और 22 एस. सी. आर.

86. धारा 154 (1) को एक प्रतिस्थापन द्वारा (22.04.2015 से प्रभावी) संशोधन किया गया था। नया प्रावधान [धारा 154 (1)] इस प्रकार हैः

" 154. (1) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों या परियोजनाओं को लागू करने या लागू करने के लिए या
इस अधिनियम का कुशल प्रशासन या व्यापक लोक हित में, समय-समय पर ऐसे निर्देश या निर्देश जारी करना।

जो भी आवश्यक हो, किसी भी क्षेत्रीय बोर्ड के लिए, योजना

प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरणों का कर्तव्य होगा कि वे ऐसे निर्देशों में निर्दिष्ट समय-सीमा, यदि कोई हो, के भीतर ऐसे निर्देशों या निर्देशों का पालन करें या

निर्देश "।

87. अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद केंद्र या राज्य सरकार को लागू करने या लागू करने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

राज्य सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों या परियोजनाओं या इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए या व्यापक लोक हित में, समय-समय पर मुद्दा "। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गैर-अवरोधक खंड का अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर एक प्रबल प्रभाव पड़ता है। हालांकि, अगर कोई इस बात को ध्यान में रखता है कि क्षेत्रीय और विकास योजनाओं की तैयारी में है

विशिष्ट प्रावधानों की शर्तें जो विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती हैं जिनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए, जिनके अभाव में, अदालतों ने बार-बार हस्तक्षेप किया है और कहा है कि ऐसे संशोधन (निम्नलिखित के बिना) निर्धारित प्रक्रिया या निर्धारित परामर्श के बिना) अवैध हैं, अच्छे और पर्याप्त कारणों से शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। वर्तमान मामले में विवादित दिशा केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी कार्यक्रम, नीतियों या परियोजनाओं पर आधारित नहीं है।

विवादित अधिसूचना इस प्रकार हैः

महाराष्ट्र सरकार

शहरी विकास विभाग

मैडम कामा रोड

हुतात्मा राजगुरु चौक

मंत्रालय, मुंबई 4000032

सरकारी संकल्प सं। टीपीएस-1817/एएनएस-90/97/यूडी-13

दिनांक 14 नवंबर 2017 क्षेत्रीय सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्गसीएच. भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

विकास योजनाएं महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए तैयार की जाती हैं।

विकास और नगर नियोजन अधिनियम, 1966। कटराज घाट जिला पुणे में पहाड़ी कटाई द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण के संदर्भ में, माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे ने आवेदन संख्या 4/2014 में दिनांक 19 मई 2015 के आदेश द्वारा आदेश जारी किए हैं और राज्य के सभी महानगर पालिकाओं/नगर पालिकाओं को निर्देश दिया है कि वे कटराज घाट पर निर्माण के लिए कोई विकास अनुमति न दें। पहाड़ी की चोटी और पहाड़ी ढलानों से 100 फीट की दूरी। विकास नियंत्रण विनियमों में पहले से ही एक प्रावधान मौजूद है कि पहाड़ी की चोटी पर किसी भी विकास की अनुमति नहीं है और 1 से अधिक ढाल वाली कोई पहाड़ी ढलान नहीं हैः 5 . महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर विकास और नगर योजना अधिनियम 1966 की धारा 154 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 19 मई 2015 के आदेश पर विचार करते हुए राज्य के सभी योजना प्राधिकरणों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थेः

दिशा-निर्देश

1. विकास योजना तैयार करते समय योजना प्राधिकरण

उनके अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र के लिए या उनके संबंध में संशोधन करना

100 फीट तक की पहाड़ियों से सटे अविकसित हिस्से का

नो डेवलपमेंट/ओपन स्पेस के रूप में दिखाया जाना चाहिए

आरक्षण।

2. यदि 100 क्षेत्र पहाड़ियों से सटे हैं, तो पहले से ही

विकसित, उस क्षेत्र में कोई अनुमति नहीं दी जाएगी अतिरिक्त एफ. एस. आई. या टी. डी. आर.

3. यदि 100 फीट का क्षेत्र पहाड़ियों से सटा हुआ है तो नं.

स्वीकृत विकास योजना के अनुसार विकास क्षेत्र,

फिर आगे के लिए विकास की अनुमति देते हुए

100 फुट क्षेत्र निकटवर्ती/निकटवर्ती होना चाहिए

केवल गैर-निर्माण योग्य उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है जैसे कि खुला

जगह, सड़क आदि।

के नाम से और क्रम से

महाराष्ट्र राज्य के माननीय राज्यपाल "[2020] 6 एस. सी. आर.

88. इस प्रस्ताव के लिए कई प्राधिकरण हैं कि हालांकि एक प्रशासनिक आदेश को अनिवार्य रूप से सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है प्राकृतिक न्याय जैसे सुनवाई प्रदान करना, फिर भी, प्रशासनिक निर्णय या आदेश कुछ कारणों पर आधारित होने चाहिए। श्री में। सीताराम शुगर मिल्स कंपनी बनाम। भारत संघ, 3 1 (जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के संदर्भ में प्रासंगिक वैधानिक आदेश के तहत चीनी लगाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय विनियमों से संबंधित है), सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" कानून द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति अपनी शर्तों द्वारा सीमित होती है और अपने उद्देश्यों के अधीन होती है। प्रतिनिधि को सद्भावना से कार्य करना चाहिए,

सक्षम करने वाले कानून का "। यदि वे स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण या दमनकारी या अपमानजनक हैं या एक अनधिकृत अंत के लिए निर्देशित हैं या प्रतिनिधि मंडल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ हद तक झुकाव नहीं रखते हैं, अदालत अच्छी तरह से कह सकती है, "संसद का कभी भी ऐसे नियम बनाने का अधिकार देने का इरादा नहीं था; वे हैं

अनुचित अति अधिकार।

सत्ता का भंडार या तो अधिकार के बाहर काम करता है जब वह संकीर्ण अर्थों में अपनी शक्ति से अधिक कार्य करता है या जब वह बुरे विश्वास में या किसी अस्वीकार्य उद्देश्य के लिए या अप्रासंगिक आधार पर या प्रासंगिकता की परवाह किए बिना अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है।

विचार या घोर अनुचितता के साथ।

89. सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन बनाम। दूरसंचार नियामक

भारतीय प्राधिकरण, 38 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधीनस्थ विनियामक विधान को न्यायिक समीक्षा में अलग रखा जा सकता है, यदि वे कोई तर्क नहीं दिखाते हैं या मनमाने हैं:

" 62. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि सेवा विनियमों की गुणवत्ता और उपभोक्ता विनियमों को एक ही योजना के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए ताकि उनकी तर्कसंगतता का परीक्षण किया जा सके। प्रतिकारक लाभ

सेवा प्रदाताओं को प्रति माह 2 प्रतिशत औसत कॉल ड्रॉप का भत्ता दिया जाता है, जो 2009 के तहत दिया गया है।

37 (1990) 3 एस. सी. सी. 223 38 (2016) 7 एस. सी. सी. 703 ई. सी. टी. आर. जनरल (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग[एच. ऑफ इंडिया बनाम आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सेवा विनियमों की गुणवत्ता, जिसे विवादित विनियम द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था ताकि अपीलार्थियों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया जा सके, और इस तरह से नजरअंदाज किए जाने से विवादित विनियम स्पष्ट रूप से मनमाना हो जाएगा और

अनुचित है। 63. दूसरा, हमें ऐसा कोई तथ्य नहीं दिखाया गया है जो यह संकेत दे कि सेवा प्रदाताओं की ओर से गलती के कारण एक विशेष क्षेत्र कॉल ड्रॉप से भरा होगा जिसमें उपभोक्ताओं को गंभीर रूप से असुविधा होगी। विद्वान महान्यायवादी का केवल अस्पष्ट बयान, इस प्रभाव के लिए किसी भी तथ्य का अनुरोध किए बिना, संभवतः ऐसा नहीं कर सकता है

असंवैधानिक विनियमन संवैधानिक। इसलिए हम मानते हैं कि गलत आधार पर निर्धारित एक सख्त दंडात्मक दायित्व कि गलती पूरी तरह से सेवा प्रदाता के साथ है, स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित है। इसके अलावा, एक ऐसे उपभोक्ता को इस तरह के जुर्माने का भुगतान भी स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित है जो खुद गलती पर हो सकता है, और जो ऐसे उपभोक्ता को अनुचित परिणाम देता है। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं की प्रस्तुतियों में जाना आवश्यक नहीं है जो कॉल ड्रॉप करते हैं यह चार कारणों से होता है, जिनमें से तीन सेवा प्रदाता की गलती के कारण नहीं हैं, जिसमें नगरपालिका अधिकारियों द्वारा टावरों को सील करना और बंद करना शामिल है।

जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, या क्या वे हैं केवल दो कारणों से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसा कि वकील द्वारा सुझाया गया है

सामान्य तौर पर, नेटवर्क से संबंधित कारण या उपयोगकर्ता से संबंधित कारण होना। समान रूप से, अंत में यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि कॉल ड्रॉप के कारण का तकनीकी रूप से पता लगाया जा सकता है या नहीं और क्या यह नेटवर्क से संबंधित कारण है या उपयोगकर्ता से संबंधित कारण है।

कारण।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

66. उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए स्पष्टीकरण ज्ञापन में दिया गया कारण यह है कि दिया गया मुआवजा केवल काल्पनिक है। यह धारणा कि केवल काल्पनिक मुआवजा दिया जाता है, भी पूरी तरह से आधारहीन है। एक उपभोक्ता को वॉयस कॉल में 3 या 4 सेकंड के बाद कॉल ड्रॉप का सामना करना पड़ सकता है। जबकि उपभोक्ता से इस तरह की ड्रॉप कॉल के लिए केवल 4 या 5 पैसे लिए जाते हैं, सेवा प्रदाता को उक्त उपभोक्ता को एक रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ता है।

इसे बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकरण ने मुआवजे को प्रति दिन तीन कॉल ड्रॉप तक सीमित करने का निर्णय क्यों लिया या उपभोक्ता को हुई असुविधा की भरपाई के लिए यह 1 रुपये के आंकड़े पर कैसे पहुंचा। यह समान रूप से स्पष्ट नहीं है कि अकेले बुलाने वाले पक्ष को मुआवजा क्यों प्रदान किया जाता है क्योंकि, स्पष्टीकरण के अनुसार

ज्ञापन के कारण असुविधा का सामना करना पड़ता है

कॉल में व्यवधान, और ऐसी असुविधा कॉल करने वाले पक्ष और कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्ति दोनों को होती है। प्राप्तकर्ता पक्ष वैध रूप से दावा कर सकता है कि उसका

कॉल ड्रॉप होने पर होने वाली असुविधा उतनी ही बड़ी होती है जितनी कॉल करने वाले पक्ष को होती है। और प्राप्त करने वाले पक्ष को बनाने की आवश्यकता हो सकती है

दूसरा कॉल, जिस स्थिति में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और कॉल करने वाले पक्ष को प्राप्त करने वाले पक्ष द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च के लिए 1 रुपये प्राप्त होते हैं। यह सब प्राधिकरण द्वारा इस तरह के विनियमन को तैयार करने में बुद्धिमान देखभाल और विचार-विमर्श की पूरी कमी को दर्शाता है, जिससे विवादित विनियमन स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होता है।

मनमाना और अनुचित "।

90. वर्तमान मामले में, महाराष्ट्र राज्य ने निर्देश के पीछे के कारणों वाली कोई सामग्री या फाइल नहीं दिखाई है

14.11.2017 . यह विवाद में नहीं है कि यह निर्देश पैरा 17 (ई) में एन. जी. टी. के निर्देशों के परिणामस्वरूप और पूरी तरह से आधारित था। जैसा कि पहले देखा गया है, वे निर्देश किसी भी वैज्ञानिक साक्ष्य या किसी तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर आधारित नहीं थे। इसके अलावा, विवादित अधिसूचना में भी यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि "पहाड़ियों" का गठन क्या है, और उन्हें लहरदार क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में स्थित कस्बों और समुदायों में कैसे लागू किया जा सकता है। यह न केवल अस्पष्ट है, बल्कि निर्देशों को मनमाना बनाता है क्योंकि उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा अपनी इच्छानुसार लागू किया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी क्षेत्रीय और विकास योजनाओं में व्यापक बदलाव के बराबर हैं। जबकि इस तरह के निर्देश जारी किए जा सकते हैं, यदि परिस्थितियाँ इस तरह की आवश्यकता होती हैं, जैसे कि असाधारण या आकस्मिक परिस्थितियों में, किसी भी आदेश की पूर्ण अनुपस्थिति।

राज्य द्वारा उन्हें जारी करने के कारण, किसी भी सहायक विशेषज्ञ रिपोर्ट या इनपुट की कमी के साथ, इसे एक मनमाना अभ्यास बनाता है। यह कि वे केवल एन. जी. टी. के आदेशों पर आधारित हैं, केवल उन्हें जारी करते समय राज्य की ओर से किसी भी तरह के विवेक की कमी को रेखांकित करता है।

91. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है; इसे दरकिनार कर दिया जाता है। नतीजतन, धारा 154 (दिनांक 14.11.2017) के तहत अधिसूचना में दिए गए निर्देशों को निरस्त कर दिया जाता है।

निदेशक सामान्य (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्ग 1131 अगस्त। भारत का बनाम। आम आदमी लोकमान्च [एस. रवींद्र भाट, जे.]

92. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस निर्णय के निर्देशों के संदर्भ में सीए 6932/2015 और सीए 5971/ए 2019 का निपटारा किया जाता है।

एनजीटी के आदेश और एनजीटी के आदेश के खिलाफ तीसरे पक्ष द्वारा विशेष अनुमति द्वारा अन्य अपीलों को उपरोक्त शर्तों में आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान